खण्ड-157, अंक-5
शुक्रवार, 1 आश्विन, शक संवत् 1877
(23 सितम्बर, 1955 ई0)

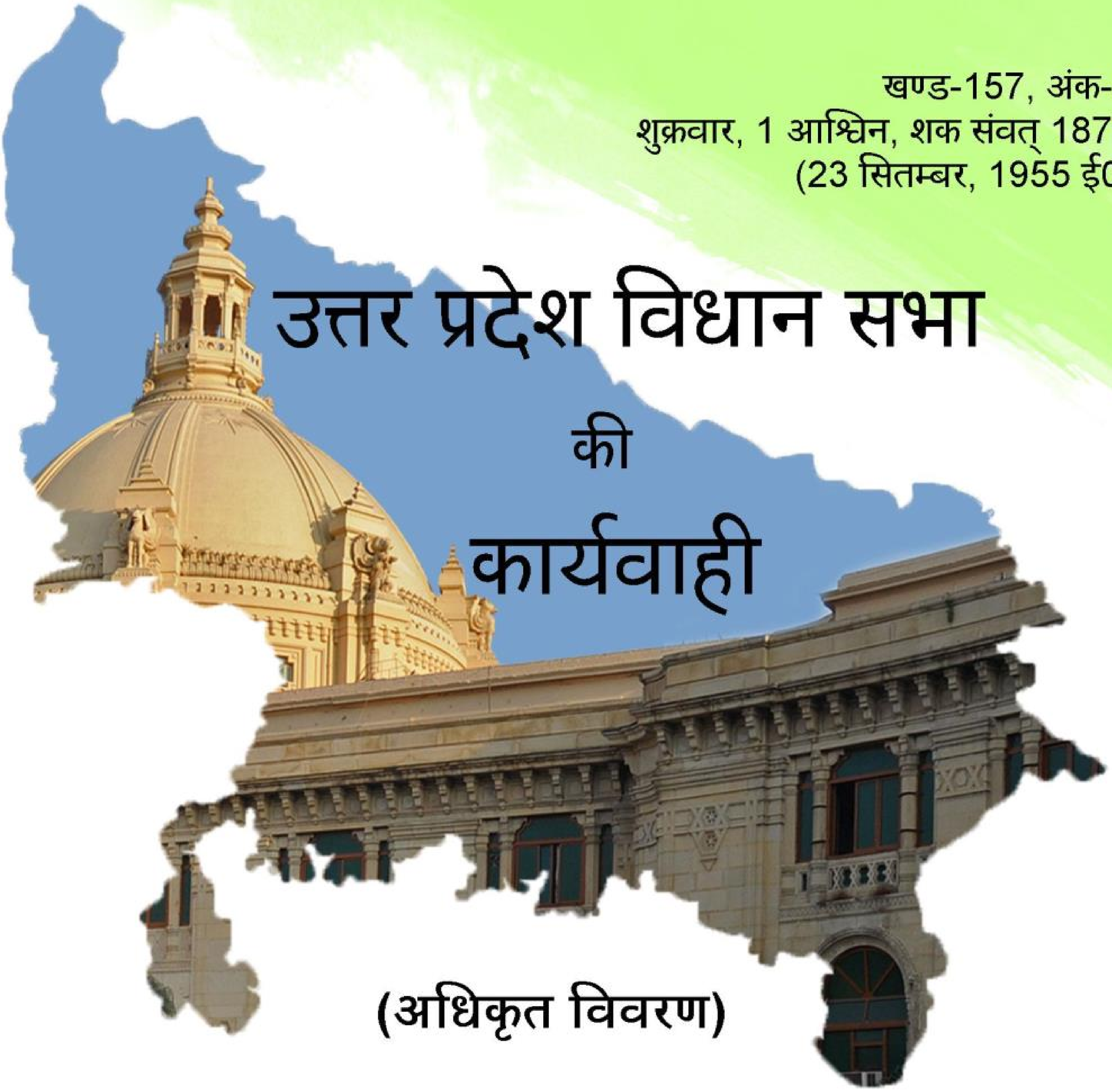

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 157 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २३ सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५७)

अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख़्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मोईज़ ख़ां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख़यालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायणसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री

रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र , श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री

सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २३ सितम्बर, १९५५

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

बलिया शहर के लिए बिजली की मांग

**१—श्री राधामोहनसिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिजली विभाग, बलिया शहर को पानी देने के लिये नलकूप को चालू करने के लिये १९५७ के पहले बिजली देने में असमर्थता जाहिर कर रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्म सिंह)—मऊ पावर स्टेशन जो बलिया शहर को बिजली देगा १९५७ में तैयार होगा।

श्री राधामोहन सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब तक बड़ा पावर हाउस वहां तैयार नहीं हो जाता तब तक स्थायी तरीके पर जो पावर हाउस है उनसे बलिया शहर को बिजली देने का विचार रखती है ?

श्री धर्मसिंह—इस पर विचार हो रहा है कि जब तक सन् १९५७ तक वह पावर हाउस नहीं बनता तब तक हम वहां थोड़ी बिजली दे सकें ताकि वहां वाटर वर्क्स आदि चल सके।

श्री राधामोहनसिंह—क्या यह बात सही है कि बहुत से ट्यूबवेल जो सिंचाई के लिये बलिया और गाजीपुर में बने उनमें से अधिकांश अभी तक नहीं तैयार हो पाये हैं ?

श्री धर्मसिंह—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मऊ पावर हाउस से किन-किन शहरों को बिजली दी जाती है ?

श्री धर्मसिंह—जौनपुर, बलिया गाजीपुर और आजमगढ़ यही तीन-चार जिले हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मऊ पावर हाउस से बिजली मऊ टाउन को क्यों नहीं दी जाती है ?

श्री धर्मसिंह—इस तरह का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—क्या बलिया शहर को पानी देने वाला नलकूप मय टैंक के अब तक तैयार हो चुका है या नहीं ?

श्री धर्मसिंह—तैयार तो हो ही गया होगा तभी तो बिजली मांगने की बात है।

बाढ़-पीड़ित जिलों में टेस्टवर्क पर व्यय

**२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मालमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, सन् १९५५ के द्वितीय सप्ताह तक बाढ़-पीड़ित जिलों में से किन-किन जिलों को कितने-कितने रुपये टेस्टवर्क पर व्यय करने का आदेश दिया गया है ?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—१५ सितम्बर, १९५५ तक बाढ़-पीड़ित जिलों में टेस्टवर्क पर व्यय करने के लिये निम्नलिखित धनराशियां स्वीकृत की गईं :—

	रु०
बस्ती	२,५०,०००
आजमगढ़	१,००,०००
सुल्तानपुर	१,००,०००
देवरिया	१,००,०००
गोरखपुर	५०,०००
बहराइच	५०,०००

केवल इतने ही जिलों से मांग प्राप्त हुई थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शेष बाढ़-पीड़ित जिलों की मांग सरकार के पास किस कारण से नहीं आई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो मुझे नहीं मालूम लेकिन वहां शायद कोई जरूरत नहीं महसूस की गयी होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मालमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में टेस्ट वर्क के लिये सरकार ने नहीं दिया है उन स्थानों के खेतिहर मजदूरों की रोजी के लिये क्या साधन तैयार किये गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिन जिलों में टेस्ट वर्क्स नहीं भी हैं उनमें भी और कुछ काम चल रहे हैं। यह आदेश दिये गये हैं कि वहां जो कुछ काम चल रहे हैं उन कामों में अधिक से अधिक लोग लगाये जा सकें तो लगाये जायं।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में टेस्ट वर्क के कुछ काम आरम्भ हो गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आजमगढ़ को रुपया दे दिया गया है। इसके लिये नोटिस चाहिये कि कितना काम वहां हुआ है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में कई सालों से सूखा के कारण और इस साल की वर्षा के कारण जो आर्थिक स्थिति लोगों की खराब है उसको देखते हुए वहां कोई टेस्टवर्क खोलने के लिये आदेश दिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—इसका तो जवाब दिया जा चुका है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय माल मंत्री बतलायेंगे कि टेस्ट वर्क्स जिन जिलों में जारी करने के लिये आदेश दिया गया था और उसके लिये रुपया दिया गया है क्या सरकार के पास उसकी तालिका भी है कि टेस्ट वर्क्स कहां-कहां शुरू किया जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह जो तालिका रुपया देने की दी गयी है इसके अनुसार काम कहां-कहां शुरू हो गया है इसके लिये तो नोटिस की जरूरत पड़ेगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या फैजाबाद जिले में टेस्ट वर्क्स के लिये रुपया इसलिये नहीं मांगा गया कि वहां द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जन निर्माण विभाग के मातहत काम करने के लिये वायदा था, लेकिन अब पता चला है कि वह भी रोक दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो परस्पर विरोधी सवाल है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---यह वायदा किया गया ।

श्री अध्यक्ष---सवाल जो है वह एक दूसरे को काटता है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---किसको ?

श्री अध्यक्ष---आप कहते हैं कि यह वायदा किया था और इसलिये टेस्ट वर्क नहीं खुला । फिर दूसरा सवाल आप करते हैं वह इसको काटता है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या यह सही है कि फैजाबाद जिले से इसलिये मांग नहीं आई कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये जन निर्माण विभाग के कुछ कार्य वहां चालू किये जायेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---नहीं, यह चीज सही नहीं है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या यह सही है कि सरकार ने पहले वायदा करके अब जन-निर्माण कार्यों को वहां रोक दिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि देवरिया के जिलाधीश की ९ लाख रुपये की मांग थी जबकि १ लाख ही रुपया उनको दिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं । माननीय सदस्य चाहेंगे तो फिर बतला दिया जायगा ।

बलिया शहर के ड्रेनेज के लिए धन की आवश्यकता

**३---श्री शिवमंगल सिंह (जिला बलिया)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बलिया शहर के ड्रेनेज के लिये उसने कितनी धनराशि इस वर्ष देना स्वीकार किया है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---कुछ नहीं ।

श्री शिवमंगल सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बलिया की ड्रेनेज योजना के लिये कितना धन स्वीकृत था और वह पूरी धनराशि दे दी गयी है या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर---उसके पहले फेज के लिये ३ लाख ७५ हजार रुपया मंजूर हो चुका था और वह काम हो रहा है और यह खयाल है कि जुलाई, ५६ तक यह काम खत्म हो जायगा ।

एक्जिक्यूटिव को जुडीशियरी से अलग करने पर विचार

**४---श्री भगवान सहाय---(जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय राज्य के कौन से जिलों में जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव अलग-अलग हैं ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—निम्नलिखित १८ जिलों में—

१—मुजफ्फरनगर
२—बुलन्दशहर
३—मथुरा
४—मैनपुरी
५—बरेली
६—बिजनौर
७—बदायूं
८—मुरादाबाद
९—शाहजहांपुर
१०—फर्रुखाबाद
११—फतेहपुर
१२—झांसी
१३—लखनऊ
१४—उन्नाव
१५—रायबरेली
१६—सीतापुर
१७—गोंडा
१८—बहराइच

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन जिलों में जिनका उन्होंने जिक्र किया एक्जिक्यूटिव और जुडीशियरी किस साल में सेपरेट की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह पहले पहल १९५० में शुरू हुआ।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अनुसार एक्जिक्यूटिव जुडीशियरी से राज्य भर में कब तक अलग कर दी जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सिद्धांततः तो हम इसे मानते ही हैं। वैसे जहां तक जल्दी हो सकेगी करने की कोशिश की जायगी।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या माननीय मंत्री इस बात पर विचार करेंगे कि सबार्डिनेट जुडीशियरी को हाईकोर्ट के मातहत शीघ्रातिशीघ्र लाया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जुडीशियरी हाईकोर्ट के मातहत अपने काम में अब भी है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सबार्डिनेट जुडीशियरी है लोकल जुडीशियल मैजिस्ट्रेट और एडीशनल जुडीशियल मैजिस्ट्रेट जुडीशियल डिवीजनल कमिश्नर्स के मातहत हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक इनके जुडीशियल मैजिस्ट्रेट की हैसियत की बात है कि वे बिलकुल हाईकोर्ट के मातहत हैं।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मुख्य मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि शेष जिलों में जुडीशियरी से एक्जिक्यूटिव कब तक अलग हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेट जो जिलों में रहते हैं, जिनका काम केवल मुकदमे देखना है क्या उन्हें हाईकोर्ट से संबंधित करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—इसका भी जवाब दिया जा चुका है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि यह जो जिलों में जुडीशियल आफिसर्स हैं उनका प्रमोशन किसके हाथ में है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रामोशन का सवाल तो यह है कि उनका ग्रेड अब बन गया है। बाकी कैरेक्टर रोल वगैरह सीधे हाईकोर्ट की राय से ही होता है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे जो जुडीशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलग करने में बाधायें उपस्थित कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता। अलग तो कर दिया गया फिर बाधाओं का क्या सवाल ?

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन जुडीशियल आफिसर्स से एक्जीक्यूटिव वर्क भी जिलों में लिया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोई बहुत सख्त अगर जरूरत पैदा हो जाय तो कभी-कभी लिया भी जाता है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कमिश्नर्स डिवीजन का, जुडीशल मैजिस्ट्रेट्स और एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जुडीशल पर किस प्रकार का नियंत्रण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने बतलाया कि जहां तक उनके जुडीशियल काम का ताल्लुक है वे हाईकोर्ट के मातहत हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कभी-कभी उनसे ऐडमिनिस्ट्रेटिव काम भी ले लिया जाता है। इस वजह से वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के भी मातहत हैं।

तारांकित प्रश्न

फिरोजाबाद ग्लास फैक्टरीज को नियमित समय पर चलाने की मांग

*१—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसका विचार फैक्टरीज ऐक्ट में कोई ऐसा संशोधन करने का है, जिससे फिरोजाबाद की ग्लास-फैक्टरीज में ८ घंटे प्रति दिन काम करने का नियम लागू किया जा सके ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—फिरोजाबाद में जो ग्लास फैक्टरीज हैं और जिन पर फैक्टरीज ऐक्ट लागू है उनमें आठ घंटे का काम का नियम भी लागू है, और तदर्थ ऐक्ट में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

*२—श्री झारखंडेराय—क्या यह सही है कि फिरोजाबाद में अभी हाल में ही श्रम मंत्री ने मजदूरों के प्रतिनिधि मंडल से ऐसा वादा किया था ? अगर हां, तो ऐसा संशोधन विधेयक लाने का सरकार का कब तक विचार है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं ? ऐसा कोई वादा करने का प्रश्न नहीं उठता।

*३—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार के विचाराधीन यह प्रश्न है कि फिरोजाबाद ग्लास-फैक्टरीज एक साथ एक समय पर खुलें और बन्द हों ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं, इस समय कोई इस प्रकार का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय श्रम मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि फीरोजाबाद में ऐसी फैक्टरीज हैं जिन पर फैक्टरीज ऐक्ट लागू नहीं हैं ? अगर हां, तो कितनी हैं और उन पर क्यों लागू नहीं हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---इसकी तो मुझे इत्तला चाहिये, ताकि मैं सूचना इकट्ठी कर सकूं।

श्री झारखंडे राय---माननीय श्रम मंत्री जी बतायेंगे कि जब श्रम मंत्री जी फीरोजाबाद गये थे तो उनसे श्रमिकों की ओर से एक डेपुटेशन मिला था ? अगर हां, तो उसकी क्या मांगें थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

आचार्य जुगल किशोर---जी हां, डेपुटेशन मिला था। उनसे कुछ बातें हुयीं। उन्होंने अपनी दिक्कतें सामने रखी और मैंने कहा कि उन दिक्कतों के बारे में जांच करेंगे। अगर कोई बात हुयी करने की तो वह की जायगी।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय श्रम मंत्री जी बतायेंगे कि फीरोजाबाद ग्लास फैक्टरीज जो एक साथ खुलती नहीं हैं न बन्द होती हैं इससे मजदूरों को दिक्कत होती है इसको ध्यान में रखते हुये क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि ऐसा आदेश दे, जिससे सब फैक्टरीज एक साथ खुलें और बन्द हों ?

आचार्य जुगलकिशोर---ऐसा कोई अधिकार इस वक्त सरकार को नहीं है कि इस तरह के नियम को लागू कर सके।

सेकेंडरी स्कूलों की आर्थिक सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से मांग

*४---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५५-५६ के लिये केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश में सेकेंडरी स्कूल्स की आर्थिक सहायता के लिये कितना रुपया देना स्वीकार किया है और उसे किस आधार पर बांटा जायगा ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)---१९५५-५६ के लिये केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश के सेकेंडरी स्कूलों को आर्थिक सहायता देने के लिये अभी कोई रुपया देना स्वीकार नहीं किया है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से क्या कोई पत्र-व्यवहार चल रहा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह) जी हां, गत दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने एक ऐसा अनुदान दिया था, मार्च और सितम्बर में और जहां तक आशा की जाती है केन्द्रीय सरकार इस साल भी देगी। लेकिन अभी तक उनका कोई स्वीकृति का पत्र नहीं आया है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि केन्द्रीय सरकार से शीघ्र ही यह सहायता प्राप्त हो जाय जिससे कि प्रान्त में स्कूलों आदि में सहायता देने का काम शुरू कर दिया जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह---जी हां।

लेबर वेलफेयर अफसरों के लिये निर्धारित योग्यतायें

*५---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग और दूसरे सरकारी कारखानों में लेबर वेलफेयर अफसर नियुक्त किये जाते हैं ? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति के लिये क्या योग्यतायें निर्धारित की गयी है ?

आचार्य जुगलकिशोर---गवर्नमेंट प्रेस ऐशबाग तथा अन्य सरकारी कारखानों में, जहां साधारणतया ५०० या ५०० से अधिक श्रमिक काम करते हैं वेलफेयर अफसर नियुक्त

किये जाते हैं। इन अफसरों की योग्यतायें यू० पी० फैक्टरीज वेलफेयर आफिसर्स रूल्स, १९५५ केनियम ९ में दी हुयी हैं।

*६—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या इन स्थानों की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन के परामर्श से होती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जहां आवश्यक होता है, नियुक्ति कमीशन के परामर्श से की जाती है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग में जो नियुक्ति की गयी है उस सम्बन्ध में क्या पब्लिक सर्विस कमीशन से परामर्श कर लिया गया था ?

आचार्य जुगलकिशोर—गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग का नियंत्रण तो इंडस्ट्रीज विभाग से होता है, हमारे लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से तो केवल नियम बना दिये जाते हैं कि जिसके आधार पर नियुक्ति होती है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके जवाब में मैं कह सकता हूं कि जहां तक मुझे खबर है वह योग्यता रखते हैं और वह हमारे लेबर आफिसर्स थे, उन्हीं की वहां नियुक्ति की गयी है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इसके सम्बन्ध में जैसा कि मैंने पूछा था पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई परामर्श लिया गया था ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने कहा कि वह उसके लिये असमर्थ हैं, उसका सम्बन्ध दूसरे विभाग से है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी— क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसके लिये अखबारों में कोई विज्ञापन दिया गया था ?

श्री अध्यक्ष—जो उन्होंने जवाब दिया उससे ही इसका उत्तर भी मालूम हो जाता है।

उत्तर प्रदेशीय छात्र संघ कलकत्ता नामक काल्पनिक संस्था को कथित अनुदान

*७—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या शिक्षा मंत्री ने किसी उत्तर प्रदेशीय छात्र संघ कलकत्ता को ६,००० रु० वार्षिक अनुदान दिया है ? यदि हां, तो किस काम के लिये ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*८—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या इस रुपये के अपव्यय के सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत मिली है और सरकार ने इसकी बाबत कोई जांच करायी है ?

डाक्टर सीताराम—प्रश्न नहीं उठता।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार को पता है कि इस प्रकार की कोई शिकायत किसी अखबार में प्रकाशित हुयी थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—तत्कालीन मुख्य मंत्री, माननीय श्री पंत जी जब कल्याणी कांग्रेस में गये थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की एक छात्र संस्था को ६ हजार रुपये का वार्षिक अनुदान देने को कहा था और वह यहां से स्वीकार भी हो गया था। लेकिन जब रुपया देने का सवाल आया तो वहां से अन्य छात्र संघों के ऐसे पत्र आने लगे कि जिसको अनुदान दिया गया है वह एक फर्जी संस्था है। जब ऐसी बहुत सी शिकायतें आयीं तो उस पर छानबीन की जा रही है इस समय।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---तो क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो अनुदान देने का इरादा था वह नहीं दिया गया और बंद कर दिया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह---अनुदान अभी किसी को नहीं दिया गया और उसकी इन्क्वायरी हो रही है ।

जौनपुर जिले के मूंगरा-बादशाहपुर हायर सेकेंडरी स्कूल का अनुदान बन्द करना

*९---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के मूंगरा-बादशाहपुर हायर सेकेंडरी स्कूल की ग्रान्ट उसने क्यों बन्द कर दी है ?

डाक्टर सीताराम---मान्यता तथा अनुदान की शर्तों को न पूरा करने तथा कालेज में कुव्यवस्था के कारण ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मूंगरा-बादशाहपुर हायर सेकेन्डरी स्कूल के पास डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बिल्डिंग में कोई नया स्कूल बना है, जिसको सरकार मान्यता प्रदान करने जा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---जी हां । कोई ग्रान्ट नहीं दी गई है, लेकिन उसको इमरजेंसी पावर्स से मान्यता दे दी गई है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार इस कालेज की व्यवस्था और शर्तों को न पालन करने की बातें सदन को बतलाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम---वहां के मैनेजर जो हैं उस संस्था के लाइफ मेम्बर हैं, लाइफ मैनेजर हैं । दूसरी बात यह है कि वहां के मैनेजर के एक सम्बन्धी उस स्कूल में अध्यापक हैं जो एजुकेशन कोड के पैरा ३५८ के विरुद्ध है । तीसरी बात यह है कि वहां पर जो टीचर रखे जाते हैं वह मई के महीने में वहां से हटा दिये जाते हैं। यद्यपि वह संस्था ३० साल की पुरानी संस्था है, लेकिन फिर भी इस संस्था में सात ही ऐसे अध्यापक हैं, जो परमानेन्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं और यह शिक्षा संहिता के परिच्छेद ३५८ के विरुद्ध है । चौथी बात यह है कि इस संस्था के पास कोई बिल्डिंग नहीं है । पांचवीं बात यह है कि इस संस्था के पास रिजर्व फंड कोई नहीं है या एन्डाउमेन्ट फंड भी नहीं है जो कि शिक्षा संहिता के अनुच्छेद ३५८ के विपरीत मालूम होती है ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह सब जो आप बता रहे हैं इससे पूरे सदन को इतनी दिलचस्पी नहीं है ।

डाक्टर सीताराम---कुल नौ बातें हैं । सात बता चुका हूं । दो और बाकी हैं । अगर आप आज्ञा दें तो बता दूंगा ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं बाकी वह अन्दाजा कर लेंगे ।

श्री हरगोविन्दसिंह---श्रीमन्, आपकी आज्ञा हो तो एक चीज और बता दूं । इससे पहले भी छः दफा इस संस्था का अनुदान बन्द हो चुका है । लेकिन ऐसा होता था कि मार्च में खोल दिया जाता था । इस साल खोला नहीं गया और यह कहा गया कि जब तक ठीक नहीं हो जायगा तब तक नहीं खोला जायगा ।

प्रसार शिक्षकों की भर्ती

*१०---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि इस वर्ष सरकार की नई शिक्षा योजना के अनुसार कितने प्रसार शिक्षकों (एक्स्टेंशन टीचर्स) की भर्ती की गई है ?

डाक्टर सीताराम—४१८

*११—श्री उमाशंकर—क्या सरकार की यह नीति रही है कि प्रसार शिक्षकों की भर्ती में कृषि लेकर हाई स्कूल पास करने वालों को तरजीह दी जायेगी ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*१२—श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि कितने बिना कृषि लिये हाई स्कूल पास शिक्षक रखे गये हैं ?

डाक्टर सीताराम—कोई नहीं ।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार यह बता सकती है कि कुल कितने आवेदन-पत्र कार्यालय में आये थे ?

डाक्टर सीताराम—दस हजार से ज्यादा आवेदन-पत्र कुल आये थे।

श्री उमाशंकर—क्या सभी आवेदनों को साक्षात के लिए बुलाया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी नहीं, जिनमें निर्धारित योग्यता थी वह सभी बुलाये गये थे ।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार को पता है कि चुनाव में प्रथम और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी रह गये और तीसरी श्रेणी के लिये गये ?

श्री हरगोन्दिसिंह—हां, ऐसा हो सकता है । यदि उनमें शारीरिक योग्यता नहीं और यदि वह ऐसे नहीं थे कि देहातों में रह सकते और खेती में दिलचस्पी ले सकते तो फर्स्ट डिवीजन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन सेकेंड डिवीजन के होते हुए वह नहीं लिए गये ।

बुलन्दशहर जिले में समाज कल्याण केन्द्रों के अन्तर्गत कार्य

*१३—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले में समाज कल्याण केन्द्र कहां-कहां स्थापित किये गये हैं और उनके अन्तर्गत अब तक क्या-क्या विशेष कार्य किये जा चुके हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—बुलन्दशहर जिले में समाज कल्याण केन्द्र निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित किये गये हैं । यह केन्द्र गैरसरकारी हैं तथा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा संचालित हैं ।

१—सुरजावली
२—चितसौन
३—मौसमगढ़
४—उटरावली
५—हुरथला
६—घुघरावली
७—सलेमपुर ।

इन केन्द्रों में बच्चों के प्रारम्भिक शिक्षा तथा महिलाओं के लिये प्रौढ़ शिक्षा का प्रबन्ध है । घरेलू उद्योग-धन्धों तथा गृह विज्ञान के प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध है । जच्चा-बच्चा कार्य के लिए एक दाई भी प्रत्येक केन्द्र पर रहती है और कुछ केन्द्रों में निर्धन बालकों, रोगियों तथा गर्भवती स्त्रियों को दूध बांटने की भी व्यवस्था है ।

*१४—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले में समाज कल्याण केन्द्रों पर अब तक कितना-कितना धन व्यय किया जा चुका है ?

आचार्य जुगलकिशोर--राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार बुलन्दशहर जिले के विभिन्न केन्द्रों तथा प्रोजेक्ट (project) कार्यालय पर अक्टूबर, १९५४ से ३१ जुलाई, १९५५ तक कुल ७,२४५ रु० १५ आना व्यय किया जा चुका है ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह केन्द्रीय जो चुनाव होता है यह किस-किस बाडी के द्वारा होता है ? प्लानिंग कमेटी के द्वारा या अन्य कोई ऐसी कमेटी है जिसके द्वारा समाज कल्याण केन्द्र चुने जाते हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--यह जो केन्द्र चल रहे हैं । यह सेन्ट्रल बोर्ड एक है उसकी स्टेट ब्रांच के जरिये से होते हैं और उनकी एक कमेटी है । वह कमेटी ऐसी नियुक्तियां करती है जहां तक मुझको इल्म है ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा और महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा जो दी रही है । उस पर कुछ धन व्यय होता है और वह किन के द्वारा संचालित होता है ?

आचार्य जुगलकिशोर--प्रदेशीय सरकार तो केवल उनको ग्रांट के रूप में रुपया देती है और उसको व्यय करना, उसका नियंत्रण सोशल वेल्फेयर बोर्ड की जो कमेटियां जिलों में हैं वह करती हैं ।

श्री जगदीशप्रसाद--(जिला मुरादाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या जिला नियोजन समितियों का इन केन्द्रों के संचालक से कोई सम्बन्ध है ?

आचार्य जुगलकिशोर--मेरा खयाल है कि उसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

*१५--**श्री रामचन्द्र विकल**--[७ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

जिला बुलन्दशहर के अमर जाट कालेज, लखावटी के जाट विद्यार्थियों के विरुद्ध शिकायतें

*१६--**श्री रामनारायण त्रिपाठी**--क्या सरकार को ज्ञात है कि अमर जाट कालेज, लखावटी, जिला बुलन्दशहर का विशिष्ट (जाट) विद्यार्थी दल, औरंगाबाद तथा आसपास के दुकानदारों मोटर वालों, किसानों आदि को परेशान करता है और इस सम्बन्ध में स्कूल के अधिकारी तथा जिला अधिकारी व पुलिस को सूचना देने पर भी कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं, सूचना प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की गई है ।

*१७--**श्री रामनारायण त्रिपाठी**--क्या यह सही है कि उपयुक्त कालेज की शिकायत वहां की जनता की ओर से सरकार के पास आई है ? यदि हां ? तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ।

डाक्टर सीताराम--जी हां, संबंधित अधिकारियों को उचित कार्यवाही के लिये भेजी गई । परन्तु आरोपों में कोई सत्यता नहीं पाई गई ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगें कि इन सरकारी कार्यवाहियों के बाद अब यह छात्र मोटर वालों और दूकानदारों को कोई परेशान नहीं कर रहे हैं और शान्ति है ?

डाक्टर सीताराम--शान्ति है । अब कोई परेशान नहीं कर रहे हैं ।

इटावा जिले में हरिजनों को कूप निर्माणार्थ सहायता

*१८--श्री तुलाराम (जिला इटावा)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५२ से अब तक इटावा जिले में हरिजनों की ओर से कूप निर्माण हेतु कुल कितने प्रावेदन पत्र उसे प्राप्त हुये तथा कितने कुओं के लिये रुपया स्वीकार किया गया ? इनमें से अब तक कुल कितने कुयें बनकर तैयार हो गये ?

डाक्टर सीताराम--३७६ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा ८७ कुओं के लिये रुपया स्वीकार किया गया, अब तक कुल १२ कुयें बन गये हैं।

*१९--श्री तुलाराम--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इटावा जिले में सन् १९५२ से अब तक कूप निर्माण हेतु हरिजनों को कुल कितना रुपया दिया जा चुका है ?

डाक्टर सीताराम--८,३६१ रु० २ आना दिया जा चुका है।

श्री तुलाराम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में ४ सालों में सिर्फ १२ कुएं बन सके तो यह इतनी मन्द प्रगति निर्माण की क्यों है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--इसलिये कि खुद निर्माण के कार्य में जो दरख्वास्त देता है उसका भी एक भाग है। वह उसकी पूर्ति नहीं कर पाता इस वजह से देर हुई। रुपया तो उनको दे दिया गया है वह जब चाहे बना सकते हैं।

श्री उमाशंकर--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतायेंगे कि शिक्षा विभाग अलग से कुएं की ग्रान्ट देता है और सिंचाई विभाग अलग से ?

श्री अध्यक्ष--यह तो माननीय सदस्य को स्वयं मालूम होना चाहिये। बजट में आता है।

श्री रामेश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग और सिंचाई विभाग के कुओं की जांच करने वाले इंजीनियर्स अलग-अलग हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--शिक्षा विभाग में कोई इंजीनियर नहीं है सिंचाई विभाग में होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले में जो हरिजनों के कुयें बनने के लिये रुपया दिया गया है वह नकद रुपया दिया गया है है या सामान के रूप में दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम--सामान भी दिया गया है और रुपया भी दिया गया है।

राजा वीरेन्द्रशाह--(जिला जालौन) क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह हरिजनों के कुयें बनाने के लिये जो सहायता दी जाती है, उसमें अनुपात क्या होता है सरकार कितना देती है और हरिजनों से कितना मांगा जाता है।

श्री हरगोविन्दसिंह--आधा-आधा।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुछ जिला नियोजन समितियों ने सरकार से यह सिफारिश की है कि हरिजन कुंओं में सरकार २/३ दे और स्थानीय लोगों से १/३ लिया जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह--ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र तो नहीं आया है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब शिक्षा विभाग में कुओं का निरीक्षण करने के लिये कोई आदमी नहीं है तो उन कुओं का निरीक्षण कौन करता है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--शिक्षा विभाग से ये कुयें बनते भी नहीं हैं। हरिजन सहायक विभाग से रुपया दिया जाता है और वहां के लोग ही उनका निरीक्षण भी करते हैं।

श्री झारखंडे राय--क्या यह सही है कि विशेष परिस्थितियों में जब हरिजन खर्चा देने योग्य नहीं होते हैं तो पूरा खर्च सरकार बर्दाश्त करती है।

डाक्टर सीताराम--अभी तक तो आदेश थे कि आधा खर्चा दें, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आदेश दिये गये हैं कि अगर किसी खास वजह से कोई हरिजन कुआं बनवाने के लिये रुपया नहीं दे सकता तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर है कि वह दे सकता है।

श्री तुलाराम--क्या सरकार जो हरिजनों को कुंओं के निर्माण के लिये सहायता देती है उसे किस्तों में न देकर एक मुश्त देने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--उसमें दिक्कतें हैं कि अगर एक मुश्त रुपया पहले ही दे दिया जाय तो सम्भव है कि कुआं न बने तो कौन हरिजन के पीछे दौड़ता फिरेगा। इसलिये किस्तों में दिया जाता है कि वह बनाता जाय और रुपया भी उसे मिलता रहे।

श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब प्लानिंग विभाग से अनुदान हरिजनों को कुएं बनाने के लिये मिलता है तो वे कुएं किस हालत में पूर्ण समझे जाते हैं कि पूरा फाइनल सार्टिफिकेट देने पर उनको रुपया ड्रा हो जायगा ?

डाक्टरसीताराम--जब जगत बनकर पूरी तैयार हो जाती है। तब यह माना जाता है कि कुआँ पूरा तैयार हो गया है और इस सम्बन्ध में जब तक जिला नियोजन अधिकारी अपने सर्टिफिकेट द्वारा सर्टिफाई न कर दें तब तक आखिरी ग्रांट नहीं दी जाती है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार को पता है कि हरिजन अफसर न होने के कारण कुएं के पूरे होने का सर्टिफिकेट महीनों और सालों तक पड़ा रहता है और उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है ?

डाक्टर सीताराम--ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन अब आदेश दे दिया गया है कि क्षेत्र के एम० एल० ए० साहब अगर चाहें तो उस पर सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और पहला और दूसरा इंसटालमेन्ट डी० पी० ओ० दे देंगे और तीसरा इंस्टालमेन्ट जिसका सबसे कम रुपया होगा वह जगत बन जाने के बाद डी० पी० ओ० रिलीज करेंगे।

जालौन जिले में हरिजन-कूप निर्माणार्थ सहायता

*२०-श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)--क्या सरकार को मालूम है कि जिला जालौन में हरिजन बस्तियों में नये व पुराने कुओं के निर्माण हेतु सन् १९५४-५५ में कुल कितने प्रार्थना पत्र आये और उसमें कितने स्वीकृत हुये ?

डाक्टर सीताराम--१९५४-५५ में कुल ५६ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये, जिनमें ४८ प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुये।

*२१-श्री बसन्तलाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त सहायतार्थ कुल कितना रुपया हरिजनों को दिया गया ?

डाक्टर सीताराम--१९,२५४ रु०।

श्री बसन्तलाल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में ५४-५५ में कितने नये कुयें बने और कितना धन व्यय किया गया ?

डाक्टर सीताराम--२३ कुयें बने हैं और ५ रिपेयर हुये हैं।

श्री बसन्तलाल--५४-५५ में ८ प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये गये हैं इसके क्या कारण हैं।

श्री हरगोविन्दसिंह--भिन्न-भिन्न कारण रहे होंगे, जैसे इंक्वायरी से मालूम हुआ होगा कि दूसरा कुआं नजदीक है और वहां से पानी आसानी से मिल सकता है तो उसकी आवश्यकता नहीं है, तो इसी वजह से भिन्न-भिन्न कारणों से अस्वीकृत हुये, वैसे इस समय मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

श्री बसन्तलाल--१९५४-५५ में बने पानी के कुओं के लिये कितनी रकम स्वीकार की गयी ?

डाक्टर सीताराम--३६,०५० रुपये स्वीकार किये गये हैं और १९,२५४ रुपये खर्च कर दिये गये हैं जैसा कि बतलाया जा चुका है ?

राजा वीरेन्द्रशाह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में दो-तिहाई सरकार सहायता देती है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--क्योंकि वहां कुयें बनाने में बहुत कठिनाई होती है, इसलिये यह सवाल विचाराधीन है कि वहां सरकार की सहायता दो-तिहाई हो।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जहां अन्य जिलों में ऐसी कठिनाई कुयें बनाने में होती है वहां सरकार दो-तिहाई सहायता देने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--हां, वह तो जैसा पहले उत्तर दिया गया है कि कहीं-कहीं तो सरकार पूरा तक देने के लिये तैयार है अगर जरूरी हो और जहां हरिजन न बना सकते हों तो जहां जैसी आवश्यकता होगी वैसा विचार किया जायगा।

*२२-२३--श्री चुन्नीलाल समर (जिला बदायूं)--[वापस लिये गये।]

आजमगढ़ जिले के बाढ़-पीड़ित स्कूलों को सहायता

*२४-श्री उमाशंकर--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गवर्नमेंट आफ इंडिया मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन के ५ नवम्बर, सन् १९५५ के पत्र के अनुसार सरकार ने राज्य के कितने बाढ़-पीड़ित स्कूलों को कितनी सहायता प्रदान की।

डाक्टर सीताराम--बाढ़-पीड़ित स्कूलों की संख्या ५३१ है और उन्हें १,५४,१३९ रु० ३ आ० की आर्थिक सहायता दी गयी।

*२५-श्री उमाशंकर--क्या सरकार आजमगढ़ जिले के स्कूलों का नाम तथा सहायता दी गयी रकम की संख्या बताने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम--इस जिले के स्कूलों को ४,१०० रु० की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी जिसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३८९ पर)

श्री उमाशंकर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न २४ में जो रकम बतलायी गयी है उसमें भारत सरकार ने कितना हिस्सा दिया है ?

डाक्टर सीताराम--इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५५ का कौन सा पत्र है, अभी तो वह आया नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--मैं यह समझता हूं कि स्पष्टीकरण कर दिया जाय कि ५४ है या ५५ ।

श्री हरगोविन्दसिंह--माननीय सदस्य को समझ लेना चाहिये था कि ५५ ही होगा ।

श्री अध्यक्ष--ऐसा वह समझ नहीं सकते थे क्योंकि ५३ भी तो हो सकता है ।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार यह बतला सकती है कि आजमगढ़ जिले के कितने हायर सेकेंडरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूलों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे सहायता के लिये ?

श्री हरगोविन्दसिंह--इसकी सूचना तो नहीं है, लेकिन जिनको दी गयी है, उनकी सूचना है ।

गोरखपुर जिले में "हरिजन सहायता कोष" से किये गये निर्माण कार्यों पर व्यय

*२६-श्री द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय--(जिला गोरखपुर) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में सन् १९५१ से १९५४ तक हरिजन सहायता कोष से क्या-क्या निर्माण कार्य किया गया और उस पर कितना व्यय हुआ ?

डाक्टर सीताराम--इसका ब्योरा निम्नलिखित है :—

१--गृह-दशा सुधार - ५,१५० रु०
२--कूप निर्माण - ६,८४५ रु०

*२७-श्री द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय--उक्त हरिजन सहायता कोष से जो निर्माण-कार्य हुआ है, वह किस की देख-रेख में हुआ है ?

डाक्टर सीताराम--यह कार्य जिला प्लानिंग अफसर की देख-रेख में होता है ।

श्री द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गृह-दशा सुधार की मद में नये गृहों का निर्माण कार्य भी शामिल है या नहीं ?

डाक्टर सीताराम--सब शामिल है ।

श्री द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गोरखपुर शहर में कोई नया छात्रावास बना है ?

डाक्टर सीताराम--कोई छात्रावास नया नहीं बना है ।

श्री द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह कुओं के निर्माण का कार्य किस-किस गांव में कराया गया है ?

डाक्टर सीताराम--कुओं की तो बहुत बड़ी सूची होगी । अभी उसकी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गोरखपुर में हरिजन छात्रों के लिये कोई ऐसा सेंटर खोला गया है जिसमें उनको दस्तकारी की ट्रेनिंग दी जा सके ?

श्री हरगोविन्दसिंह--जी हां ।

श्री द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्लानिंग अफसरों के द्वारा कराये गये कार्यों की जांच अभी तक आडिट द्वारा करायी गयी है या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---इसकी कोई सूचना तो हमें इस वक्त नहीं है। मेरा ख्याल है कि समय-समय पर जैसे आडिट होता होगा वैसे वह हुआ होगा।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि गोरखपुर से उनको शिकायत मिली है कि जो रुपया हरिजन कल्याण के लिये दिया गया है उसको कुछ आदमियों ने मोनोपोलाइज करके निजी कार्य में खर्च कर दिया है ?

डाक्टर सीताराम---नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ?

राजकीय एल० टी० कालेज के प्रशिक्षार्थी

*२८-श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट एल०टी० ट्रेनिंग कालेज में कुल कितने अभ्यर्थी प्रशिक्षण पा रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम---३०२

*२९-श्री गुप्तारसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रशिक्षण पाने वालों में कितनी संख्या चुने हुये अभ्यर्थियों की है और कितनी नाम-निर्देशितों की ?

डाक्टर सीताराम---चुने हुये २५६, नाम निर्देशित ४६।

श्री गुप्तारसिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन शिक्षा पानेवाले अभ्यर्थियों में थर्ड ग्रेड के भी अभ्यर्थी शामिल हैं।

श्री हरगोविन्दसिंह---जी हां, थर्ड ग्रेड के भी हैं और कम्पार्टमेंटल के भी हैं।

*३०-३१---श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)---[२१ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*३२---श्री शुकदेवप्रसाद (जिला गोरखपुर)---[१४ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया]

गाजीपुर जिले में डिग्री कालेज खोलने की आवश्यकता

*३३---श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार के समक्ष बलिया जिले की तरह गाजीपुर जिले में कोई डिग्री कालेज खोलने का प्रश्न विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं। इस विषय में अभी तक कोई प्रस्ताव आगरा विश्वविद्यालय से नहीं आया है।

श्री कमलासिंह---क्या सरकार गाजीपुर जिले में इन्टरमीडियट के विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुये वहां पर एक डिगरी कालेज के खोलने की आवश्यकता समझती है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---यह आवश्यकता वहां के लोग ज्यादा महसूस कर सकते हैं, बजाय सरकार के।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या शिक्षा मंत्री जी की जानकारी है कि गाजीपुर में बहुत से लोग डिग्री कालेज स्थापित करने को उत्सुक हैं और उन्होंने सरकार से सहायता की मांग की है।

श्री हरगोविन्दसिंह---मेरे पास कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र नहीं आया।

हाथरस के सूती मिलों की बन्दी से मजदूरों में बेकारी

*३४—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि हाथरस के कपड़ा तथा सूती मिलों के बन्द पड़े रहने से दो हजार मजदूर बेकार हो गये हैं ? क्या उन्हें चालू करने के लिये इन मिलों को सरकार अपने हाथ में लेने पर विचार कर कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, हाथरस की दो सूती मिलों की बंदी के कारण लगभग १६३० मजदूर बेकार हो गये हैं। इस समय सरकार का इन मिलों को अपने हाथ में लेने का कोई विचार नहीं है ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इन मिलों के मिल मालिक मंत्री जी से मिलों को चलाने के लिये कुछ सहायता के लिये मांग कर रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—कोई मांग ऐसी सहायता की नहीं आयी ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि हाथरस की जो मिलें इतने लम्बे अर्से से बन्द हैं उन को चलाने के लिये कोई उचित कार्यवाही की जाय ?

आचार्य जुगलकिशोर—एक मिल के बन्द होने का कारण तो यह है कि उसकी आर्थिक अवस्था इतनी खराब है कि वह उस को नहीं चला पा रहे हैं, अब मुझे मालूम हुआ है कि आगरा के एक पूंजीपति ने उस को चलाने की जिम्मेदारी ली है लेकिन अभी बिलकुल सही सूचना मेरे पास नहीं है । दूसरी मिल के बारे में हाईकोर्ट में मामला है और उसी सिलसिले में हाईकोर्ट ने एक रिसीवर एप्वाइंट किया है और सम्भव है कि वह भी अब चालू हो जाय ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किन-किन तारीखों से यह मिलें बन्द हुयीं ?

आचार्य जुगलकिशोर—लल्ला मल हरिद्वारी मल फैक्टरी १ मार्च, ५३ से बन्द है और रामचन्द्र स्पिनिंग मिल ३० नवम्बर सन् ५३ से बन्द है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार इन मिलों को चलाने के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट से सिफारिश करने जा रही है कि वह इन पर अथाराइज्ड कंट्रोलर नियुक्त कर दें ताकि वह चल सकें ।

आचार्य जुगलकिशोर—कोशिश इसकी की गयी लेकिन वह कामयाब नहीं हुयी और इसीलिये अभी हाईकोर्ट में मामला पड़ा है वह जो कुछ भी निर्णय करे, रिसीवर एप्वाइंट किया गया है सम्भव है, वह चल सकें ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—यह अथराइज्ड कंट्रोलर मुकर्रर किये गये थे वह किस कारण से अपना काम नहीं चला सके ?

आचार्य जुगलकिशोर—आर्थिक कठिनाइयों के कारण ।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय श्रम मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन मजदूरों का कुछ वेतन पड़ा हुआ है और यदि पड़ा है तो दिया गया या नहीं ?

आचार्य जुगलकिशोर—वेतन भी कुछ पड़ा है और उसकी वसूली के लिये मुकदमे चलाये गये हैं और जैसे रेवेन्यू वसूल किया जाता है उसी तरह से कार्यवाही की गयी है ।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—यह वेतन इन मजदूरों को कब तक मिल जायगा ?

आचार्य जुगलकिशोर—जब कोर्ट से फैसला हो जायगा ।

नोट—तारांकित प्रश्न ३४ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछा ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय श्रम मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मजदूरों की संस्थाओं की तरफ से सरकार से पास ऐसे कोई सुझाव आये थे कि अगर सरकार की थोड़ी सी सहायता हो तो वे इन दोनों मिलों को चला सकते हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—जहां तक मुझे याद है कोई ऐसी स्कीम हमारे पास नहीं आयी है। चर्चा जरूर सुनता हूं और मालूम करके बतला सकता हूं कि जो आपने कहा है कि वह कहां तक सही है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी के पास कोई ऐसी सूचना है जिससे अन्दाज लगाया जा सके कि मजदूरों का कितना रुपया बकाये का पड़ा हुआ है ?

आचार्य जुगलकिशोर—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार इन मिलों को चलाने के लिये प्राविंशियल मारकेटिंग फेडरेशन का नाम सिफारिश करने जा रही है कि उसको अथराइज्ड कंट्रोलर मुकर्रर कर दिया जाय।

आचार्य जुगलकिशोर—मुझे इसका कोई इल्म नहीं है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि सरकार पुराने मिल मालिकों की कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर और उन्हें अनुदान दे कर कोआपरेटिव बेसिस पर इन मिलों को फिर से चलवाना चाहती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जब इस तरह की कोई योजना सरकार के सामने आवेगी तब उन पर विचार किया जायगा।

*३५—३७—श्री रामसुन्दर पांडेय—[१४ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*३८—४०—श्री जोरावर वर्मा—[१४ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*४१—श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)—[४ अक्तूबर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

अस्पृश्यता निवारक ऐक्ट के अन्तर्गत चलाये गये मुकदमे

*४२—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार के पास कोई ऐसी सूची है जिससे यह पता चले कि अस्पृश्यता निवारक ऐक्ट के मुताबिक जनवरी, सन् १९५३ ई० लगायत जनवरी, सन् १९५५ ई० तक कितने केस किन-किन जिलों में चलाये गये ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*४३—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार उपरोक्त तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३९० पर)

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि तालिका में जो केसेज दिये हुये हैं उनमें से कितने केस पब्लिक ने चलाये और कितने सरकार ने स्वयं चलाये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—इसकी सूचना नहीं है।

श्री बाबूनन्दन—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस अपराध को कागनिजिबिल आफेन्स करार देने की सरकार व्यवस्था करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—वह तो भारत सरकार के कानून द्वारा सब जगह कागनेजिबल हो गया है।

श्री रामहेतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी उस तालिका को सदन में पढ़ने की कृपा करेंगे ताकि सब सदन को उसकी जानकारी हो जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह—देवरिया १, इटावा २, बदायूं १, गढ़वाल १, इलाहाबाद १, आगरा १, अलीगढ़ ४, मथुरा १, बरेली ६, हमीरपुर ५, झांसी ५, शाहजहांपुर, बनारस २, बुलन्दशहर १ और लखनऊ १।

सिंचाई कर सम्बन्धी संकल्प को प्राथमिकता न देने तथा कार्यक्रम में न होने पर आपत्ति

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)—अध्यक्ष महोदय, आज की सूची में कुछ रद्दोबदल हुआ है, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आज की २३ तारीख के लिये जो प्रस्ताव निश्चित हुये थे वे नहीं हैं और इनमें कुछ रद्दोबदल हो गया है। हम लोगों के पास जो पत्र गया था सचिवालय की ओर से उसमें कार्यक्रम में प्राथमिकता कुछ अन्य संकल्पों के बारे में थी, लेकिन वे संकल्प आज नहीं रखे गये हैं। वैसे १६ तारीख को जो रह गये हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी और यह बात सही है कि वीरेन्द्रपति जी यादव का प्रस्ताव चलेगा, लेकिन उसके उपरान्त आज की तारीख के लिये जो कार्यक्रम थे, वह आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—जो उस रोज नहीं हुये वे समाप्त हो गये।

श्री तेजप्रतापसिंह—नहीं, अध्यक्ष महोदय, उसके लिये २३ तारीख के लिये अलग से शलाका हुयी थी। यह १३ सितम्बर का जो पत्र मेरे पास है, उसमें यह दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष—तो आज के कार्यक्रम में वह नहीं है आप कहते हैं, तो वह किस कारणवश नहीं आये। इस सम्बन्ध में जरा जांच करके उत्तर दे दूंगा।

सदन के भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने असेम्बली के प्रोग्राम के सम्बन्ध में सुना है कि बड़ी अवधि के लिये असेम्बली बन्द होने वाली है। माननीय मुख्य मंत्री को कोई अधिकृत सूचना हो तो मालूम हो जाय।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, कई बाढ़ग्रस्त जिलों के सदस्यों ने यह इच्छा प्रकट की है कि वे चाहते हैं कि उनको इस बात का मौका दिया जाय कि वे अपने जिलों में जायं और इस वक्त काम करें। तो मैंने यह देखा कि पहली दूसरी तारीख को छुट्टी है और फिर ७,८ और ९ को छुट्टी पड़ती है। बीच में ४ दिन पड़ते हैं। इसलिये हमारा ऐसा विचार है कि १ तारीख से लेकर ९ तारीख तक असेम्बली बन्द रहे और १० तारीख को खुले। इसके साथ ही अभी मुझसे कहा गया कि ३० तारीख को भी छुट्टी कर दी जाय जो कि नान आफिशियल डे है। इससे और ज्यादा आसानी होगी। मुझको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। माननीय सदस्य चाहेंगे तो ३० ता० से लेकर ९ ता० तक छुट्टी रहेगी और फिर १० तारीख को असेम्बली खुलेगी।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—जहां तक छुट्टी का ताल्लुक है वह तो ठीक है, लेकिन ३० तारीख जो नान आफिशियल डे है उस तारीख को छुट्टी न होनी चाहिये। पहले असेम्बली का काम होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री ने कहा अगर माननीय सदस्य चाहेंगे, अगर उनकी इच्छा होगी तो ३० तारीख छुट्टी में जोड़ देंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अब तक यह व्यवस्था रही है कि नान आफिशियल डे के बदले में एक आफिशियल डे दे दिया दिया जाता था। अगर माननीय मुख्य मंत्री ऐसा कर दें तो छुट्टी भी हो जाय और काम भी हो जाय।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, ३० तारीख को अनन्त चौदस है इसलिये मैं समझता हूं कि उस दिन छुट्टी अवश्य होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---इस प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री को कुछ कहना है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---नान-आफिशियल डे के लिये कोई दूसरा दिन देने का सवाल तब पैदा होता जब उस नान-आफिशियल डे को कोई सरकारी कार्य के लिये मांगते। लेकिन यह चीज है नहीं। हमने अपनी तरफ से तो यह कहा कि १ ता० से ९ ता० तक छुट्टी देने का निश्चय किया है लेकिन जैसी कुछ माननीय सदस्यों ने इच्छा प्रकट की है और सदन की ऐसी इच्छा हो तो ३० तारीख को भी छुट्टी हो जाय, हमको उस पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष---इसके ऊपर बाद में निश्चय होगा। यहां पर कोई निश्चय नहीं हो सकता।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्षेत्र में विद्यार्थियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---कल माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रस्ताव आपके सामने भेजा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दो विद्यार्थियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में और आपने उसे अस्वीकार किया था। परन्तु मुझे आज मालूम हुआ है कि वहां यूनिवर्सिटी की हालत बहुत खराब होती जा रही है। आशा है कि सरकार की ओर से इस पर कुछ प्रकाश डाला जायगा।

श्री अध्यक्ष---लेकिन इसके ऊपर मैं बहस की इजाजत नहीं दूंगा। माननीय मुख्य मंत्री इस बात की और कुछ जानकारी रखते हों तो इस सम्बन्ध में ये कुछ थोड़ा सा, प्रकाश डाल सकते हैं।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---कल जिस रूप में एक प्रस्ताव यहां रक्खा गया था, उसमें कुछ ऐसा जिक्र था कि अनधिकृत रूप से विश्वविद्यालय के अन्दर पुलिस ने प्रवेश किया इत्यादि-इत्यादि। अनधिकृत का सवाल तब पैदा होता जब यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई शिकायत होती लेकिन विश्वविद्यालय ने हमारे पास किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं की। दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट के अन्तर्गत और उन दोनों की बाबत इतना मालूम हुआ कि वे किसी समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, अब नहीं हैं, यूनिवर्सिटी से उन्हें रस्टिकेट कर दिया गया है। यों तो हम सब कभी न कभी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे हैं, लेकिन जन्म भर इस नाते कोई विद्यार्थी गिना जाय यह बात मानने की नहीं है। प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट के मातहत उनकी गिरफ्तारी हुयी है और जो कानून के मुताबिक होगा, वह किया जायगा। यूनिवर्सिटी में कोई घबराहट है, कोई विषम स्थिति है, ऐसी हमको कोई खबर नहीं है और न यूनिवर्सिटी ने हमारे पास ऐसी कोई शिकायत ही भेजी है और न हमें पता है जिसमें गवर्नमेंट को दखल देने की जरूरत हो और गवर्नमेंट का जिससे कोई सम्बन्ध हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुर्वीक्षण नहीं किया।

बाढ़ स्थिति पर विवादार्थ तिथि निश्चित करने की मांग

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--इधर बारह और सोलह तारीखों के बीच में इतनी बारिश हमारे जिलों में हुयी है कि रोज तीन-चार चिट्ठियां और तार आ रहे हैं तो जैसे बाढ़ का इलाका था वैसे ही बांगर का इलाका हो गया है कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने बाद विवाद करने के लिये बचन दिया था। हम चाहते हैं कि उसको जितनी जल्दी हो छुट्टी दे दें। हम लोग वहां एक बार घूम लें।

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मंत्री जी कोई दिन निश्चित करेंगे ही जल्दी।

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--मैं समझता हूं कि जब छुट्टी में घर हो आये और वहां की स्थिति देख आये उसके बाद वाद-विवाद करना अच्छा होगा। वहां से वापस आने के बाद जल्दी ही कोई तारीख रख देंगे।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--जनाब स्पीकर साहब, मैं अर्ज करूं अगर आप इसको तय फरमा दें तीस तारीख वाला मामला तो हम लोगों को प्रोग्राम बनाने में आसानी होगी। जहां तक १-९ तक का ताल्लुक है उसमें कोई इख्तलाफ है नहीं। एक बात हमारे उधर के बैठने वालों ने फरमायी थी वह यह कि ३० तारीख के लिये आपने फरमाया कि बाद को तय होगा। कल असेम्बली बन्द हो जायगी आज शाम को लोग चले जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--कल ३० नहीं है। ३० छः सात रोज बात आयेगी। तो सभी कैसे चले जायेंगे ?

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--कल ही लोग चले जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--मैं तो समझता हूं कि २६ को लोग असेम्बली में आयेंगे।

*राज्य में निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा की गति तेज करने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--श्री वीरेन्द्रपति यादव के निम्नलिखित संकल्प पर, जो १६ सितम्बर, १९५५ को उपस्थित किया जा चुका है, विचार जारी रहेगा।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिन मैंने इस बात पर अपने विचार प्रगट किये थे कि हमारी सरकार को किन कारणों से प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिये। इन दिनों में जब से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने इस विभाग को सम्हाला है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रगट होता है कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को प्रारंभिक शिक्षा से कोई विशेष रुचि नहीं है और जिसके प्रमाण सरकार द्वारा प्राप्त आंकड़े मेरे पास मौजूद, हैं जिससे यह प्रगट होता है कि बेसिक प्राइमरी स्कूलों और उनमें पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या लगातार कम होती गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं शिक्षा मंत्री महोदय, मैं यह आशा करता हूं कि वह ग्रामीण जनता के उत्थान के लिये और सरकार की योजनाओं को सही रूप से जनता तक पहुंचाने के लिये यह कृपा करेंगे कि ग्रामीण जनता के लिये प्रारंभिक शिक्षा को एक विशेष स्थान देकर उसको शिक्षित बनायें और इसी उद्देश्य के लिये माननीय यादव जी ने यह संकल्प रखा है।

दूसरी बात मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि आज प्रारंभिक शिक्षा की जो दुर्दशा है उस पर भी उनको विशेष ध्यान देना चाहिये। यों तो

---

*संदर्भ के लिए १६ सितम्बर १९५५ की कार्यवाही देखिए।

सीधा सम्बन्ध प्राइमरी शिक्षा से हमारी सरकार का नहीं है। यह ठीक है कि डिप्टी इंस्पेक्टर और सब डिप्टी इंस्पेक्टर और दूसरे शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी निरीक्षण के लिये रहते हैं जो सरकार के अन्तर्गत कार्य करते हैं। लेकिन जहां तक अध्यापकों की नियुक्ति और उनके प्रबंध का सम्बन्ध है वह हमारी स्वायत्त संस्थाओं के अध्यक्षों के अधीन आता है। आज सरकार ने प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों के वेतनों की ओर भी ध्यान दिया है। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने अखबारों में पढ़ा, जिला गोंडा के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों को कई महीनों से लगातार वेतन नहीं मिला। यह हमारी सरकार की इस ओर उदासीनता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सरकार एक तरफ अध्यापकों की जिन्दगी को ऊंचा करन, उनक मान को बढ़ाने और उन से कुछ विशेष आशा रख कर नये समाज की रचना में सहायता चाहती है और दूसरी ओर उनको लगातार वेतन न मिले तो सिवाय इसके और क्या माना जा सकता है कि हमारी सरकार इस बुनियादी प्रारंभिक शिक्षा को अनावश्यक समझती है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि वे शीघ्रातिशीघ्र ऐसे कदम उठायें, जिससे प्रारंभिक शिक्षा से हमारी सरकार का सीधा सम्बन्ध हो, अथवा सरकार की देख-रेख में सीधे ही प्रारंभिक शिक्षा रहे। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों की नियुक्ति, उनके तबादले और जो उनसे संबंधित दूसरे प्रश्न हैं, उनके विषय में यह बात कहते हुये जरा भी झिझक नहीं होती कि शिथिलता आती जा रही है जिसका कारण इनका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के प्रबंध में रहना है। सारे कार्य पार्टी बाजी में पड़े रहते हैं।

मेरी दूसरी मांग माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से यह है कि इस कार्य में तीव्र गति पैदा करने के लिये, तथा शिथिलता को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की सीधी देख-रेख में अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है, जो हमारे समाज की नयी रचना के लिये अत्यन्त आवश्यक है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि यदि हमारी सरकार अपने कार्यों से जनता को लाभ पहुंचाना ही चाहती है तो उसके लिये यह अति आवश्यक है कि सरकार की ओर से इन बातों की ओर जिन पर मैंने अभी शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया है, जल्दी से जल्दी कदम उठाये जायं और सरकार का एक निश्चय शीघ्रातिशीघ्र जनता अथवा इस सदन के सामने आना चाहिये, जिससे कि यह आशा की जा सके कि भविष्य में प्रारम्भिक शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा।

हमने अपने संविधान में इस बात को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है कि हमें अपने समाज की निरक्षरता को शीघ्र दूर करना है और उसके लिये हमारा अथवा सरकार का प्रयत्न जारी रहना चाहिये था, लेकिन जैसा मैंने सरकारी आंकड़ों के आधार पर बताया कि प्राइमरी शिक्षा की ओर इस सरकार की उदासीनता है। वह इस बात को प्रकट करती है कि ग्रामीण जनता की ओर सरकार शिक्षा के मामले में ध्यान नहीं दे रही है। जहां तक नियोजन तथा अन्य नयी-नयी योजनाओं का सम्बन्ध है उसके लिये हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की ओर से धन्यवाद की पात्र है, जिसका कारण यह है कि विकास के जितने भी कार्य हैं वे सब ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे हैं। फिर मैं नहीं समझता कि प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में ही क्यों इस प्रकार की जरूरत पड़ी कि हमारे माननीय सदस्य को इस प्रकार का एक संकल्प यहां लाना पड़ा और मुझे खुद इस बात का अफसोस है कि ऐसे शब्द मुझे माननीय शिक्षा मंत्री से कहने पड़े। लेकिन मैं आशा यह करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री प्रारंभिक शिक्षा को सरकार की देख-रेख में सीधा लाने के लिये प्रयत्न करेंगे और अनिवार्य शिक्षा शीघ्र से शीघ्र प्रारम्भ करेंगे। अगले बजट पर हमें यह मौका होगा कि हम माननीय शिक्षा मंत्री को आपके द्वारा इसके लिये बधाई दें। यह पूरी आशा है कि माननीय शिक्षा मंत्री हमारे देहातों की हालत सुधारने के लिये ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का विकास करेंगे और अच्छे से अच्छे अध्यापक हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भेजने के लिये हमारे अध्यापकों के वेतन और उनके वेतन-क्रम और उनकी नियुक्तियों में अपना सीधा सम्पर्क स्थापित करेंगे।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव यादव जी ने सदन सामने रखा है मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं और उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । श्रीमन, हमारे सभी मित्र और मैं समझता हूं कि सरकार भी इस प्रयत्न में है कि प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य हो जाय और जल्द से जल्द हो जाय । लेकिन में यह समझता हूं कि और मैं इसी लिए इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और जो आज देहाती क्षेत्र में शिक्षा के विकास में जो अड़चने पड़ रही है उनको मैं मंत्री जी के सामने या सदन के सामने बतलाऊं ताकि वे अड़चने दूर हों और देहाती क्षेत्र में अधिक लाभ हो सके ।

सबसे पहली बात तो यह है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को आपने स्कूल सौपे हैं वहां के टीचरों का ध्यान पढ़ाई और स्कूल की तरफ देने के बजाय वे सिर्फ पार्टी और प्रेसीडेन्ट का प्रोपेगन्डा करने और उनके लिये चुनाव क्षेत्र बनाने में लगे रहते हैं । जैसा कि मेरे जिले में हैं या जहां जहां मैंने देखा वहां यही हाल है । मैं समझता हूं कि मैंने दोनों तरह के नियन्त्रण जिन पर पहले सीधे सरकार का नियन्त्रण था उनकी भी शिक्षा देखी और अब जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नियन्त्रण हैं उसका जो प्रबन्ध होता है उसको भी मैं देख रहा हूं और श्रीमान् दुख के साथ कहना पड़ता है वहां की पढाई में इतना फर्क है कि मंत्री जी को अपनी डिपार्टमेन्टल रिपोर्टस से मालूम होता होगा कि क्या वहां की हालत रहती है । एक आतंक सा कायम रहता है पार्टी-बन्दी के कारण । और सबसे बड़ी अड़चन देहाती क्षेत्र में यह है कि उनका ट्रांस्फर करना या उनके पीछे तरह २ की चीजे लगाना या जो आदमी काम नहीं करता है उसको सजा न मिलना सिर्फ इस वजह से है कि उसका लगाव डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के किसी मेम्बर से है । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अगर आप चाहते हैं तो आपकी शिक्षा का और आपकी स्कीम का ठीक-ठीक तरीके से देहाती क्षेत्र में मैं नहीं समझता कि शहर में ऐसा होता होगा क्योंकि वहां तो लोग पढ़े लिखे होते है और वे अपना काम कर सकते हैं, चलाना है तो आपका काम यह है कि आपका स्टाफ और जो कर्मचारी हैं वे उत्सुक हैं लेकिन इन अड़चनों की वजह से वे कुछ कर नहीं सकते इन अड़चनों को दूर करने की बात सोची जाय । एक नहीं मैं तमाम उदाहरण बता सकता हूं और मेरा खुद का अनुभव है कि हमारी जागीर के जो टीचर्स थे उनको किस तरह परेशान किया गया। सिर्फ इस वजह से कि उनके एप्वाइन्ट किये हुए आदमी नहीं थे । रोज प्रेसीडेन्ट साहब मास्टर को लिख कर भेजते हैं कि तुम्हारी सेवायें खत्म की गई या ट्रांसफर किया गया और रोज ट्रांसफर होते हैं सरकार को मालूम है । तो जहां ऐसी स्थिति हो कि एक आदमी को मालूम नहीं कि कब उसका ट्रांन्सफर हो जाय तो वह क्या पढायेगा ।

दूसरी बात यह कहनी है कि जब से हम स्वतन्त्र हुए हैं देहात में सब लोग चाहते हैं कि वहां स्कूल हों और उन्होंने कोशिश करके स्कूल खड़े भी किये हैं। अब उनकी दिक्कतें बताना चाहता हूं एक तो यह है कि सरकार की ओर से कोई ऐसी स्कीम या प्लान बन करके जावे वह ऐसी होनी चाहिये जो आज तरह तरह के विधान स्कूलों में बनते हैं गुटबंदी के लिये पार्टी बनाने के लिये और इसी उद्देश्य से कार्यकारिणी बनती हैं, वे खत्म हों क्योंकि उनसे उनके सिवाय पार्टीबाजी बढने के संस्था का कोई फायदा नहीं होता । अगर विभाग की ओर से एक चार्ट बन कर जाय कि चाहे जूनियर हाई स्कूल हो हाई स्कूल हो, उसके नियन्त्रण के लिये ये चीजें माननी जरूरी होंगी और ये चीजें उसमें रजिस्टर करना आवश्यक होगा तो बहुत सुविधा हो जायं । हम यह देखते हैं अपने जिले में श्रीमान मुझे यह कहने में शर्म आती है कि बहुत से लोग बहुत से कार्यकर्त्ता ऐसे हैं जिन्होंने अब इस तरह का धन्धा चलाया है कि स्कूल के लिए वे इस आड़ में चन्दा इकट्ठा करके उस पर अपना आधिपत्य बनाने के लिए ऐसे विधान बनाते हैं कि श्रीमन यहां तो नहीं लेकिन मैं बताऊंगा माननीय मंत्री जी को ऐसे स्कूल, वहां चलते थे जिनमें उन्होंने ऐसा विधान बनाया कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उन्हीं के घर के लोग उस पर हमेशा अपना कब्जा रखें और उस संस्था को अपनी प्राइवेट प्रापर्टी बनाकर हमेशा कब्जा बनाये रखने की कोशिश अब वह करते हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि सरकार इस चीज को देखें और इसके लिए कोई इन्तजाम करे ऐसा कोई विधान बनाना चाहिये कि जो स्कूल, खुले उनका विधान सरकारी ड्राफ्ट के मुताबिक हो। श्रीमान इसकी जरूरत खास तौर से इसलिये है कि आज प्लानिंग के जरिये, कार्यकर्ताओं के जरिये देहात में जो हम शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं उसमें जो यह त्रुटियां आ रही है, और ये अड़चनें पड़ रही हैं इनको माननीय मंत्री जी सुलझाने की कोशिश करेंगें तो बहुत से झगड़े हमारे देहात के मिट जायेगें।

तीसरी बात मैं यह अर्ज करूगां कि फीस का भी बहुत भारी सवाल है। यानी जो लड़कों को प्राइमरी स्कूल में फीस देनी पड़ती है वह बाज बाज जो देहात के रहने वाले हैं उनके लिये ज्यादा होती हैं। तो हम यह नहीं कहते है कि सरकार के इतने साधन हो गये हैं कि वह बिलकुल निशुल्क कर दें, लेकिन कम से कम यह सुविधा होनी चहिये कि ऐसे लोगो के लिय कुछ कमी करने के लिये कोशिश की जाय या कुछ परसन्टेज घटाने की कोशिश की जाय।

चौथी बात यह है कि एक पहले सरक्यूलर निकला था एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो लोग फौज में हैं उनके बच्चों की फीस नहीं लगेगी। ऐसा एक सर्क्यूलर पहले था। लेकिन हम देखते हैं अपने जिले में कि ऐसा कोई सर्क्युलर शायद अब आया है कि डिप्टी इंस्पेक्टर साहब कहते है कि उनके ऊपर भी फीस लगेगी। मैं यह कहता हूं कि जो लोग सेना की नौकरी में हैं और उनके बच्चे देहात में शिक्षा पाते हैं उनके लिए कम से कम सरकार को यह चाहिए कि यह सर्क्यूलर वह एक बिलकुल साफ कर दे कि जैसे हरिजनों से फीस नहीं ली जाती तो कम से कम जो फौज की नौकरी में हैं उनके बच्चों की फीस भी नहीं लगेगी। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इन बातों को समझेगें और यह जो प्रस्ताव आपका है यह बहुत सुन्दर है इसको वे स्वीकार करेगें।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रस्ताव को पढ़ा लेकिन मेरा निवेदन यह है कि यह प्रस्ताव जिस रूप में आया है उससे तो कोई काम सिद्ध नहीं होता। जो इनका वास्तविक प्रस्ताव था, उसमें तो कोई लाइफ थी और जिस रूप में कि यह अब सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है, यह तो मेरे ख्याल से बिलकुल रिडंडेंट है।

यदि इसको पास भी कर दिया तो इसका कोई लाभ ही नहीं होगा। वास्तव में अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में जब तक कि हम कोई डेट नहीं रखते कि इस डेट तक हमको इस शिक्षा को फ्री और कम्प्लसरी कर देना है तब तक यह प्रस्ताव बिलकुल निर्जीव है। इससे बढकर डाइरेक्टिव तो हमारे डाइरेक्टिव प्रिंसिपल में हैं जो कि संविधान में दिया हुआ है। तो गवर्नमेन्ट तो खुद ही प्लेज्ड है इस बात के वास्ते कि वह इस डाइरेक्टिव को माने जो कि संविधान में दिया हुआ है। इसलिए इस प्रस्ताव में यह बहुत बड़ी कमी महसूस होती है और इसका पास करना या न करना बिल्कुल एक बराबर सा है। एक और दूसरी कमी इस प्रस्ताव में हैं जिसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह कमी यह है कि इस प्रस्ताव में लड़कों के लिए तो एजूकेशन का दरवाजा खोल दिया गया है और जो सिफारिश की गयी है वह लड़कों के सम्बन्ध में है लेकिन शिक्षा की दूसरी साइड भी है कि जो प्रौढ लोग है जो बच्चे नहीं है, उनकी शिक्षा का क्या बन्दोवस्त है उसकी तरफ इसमें कतई तवज्जह नहीं दी गयी है। प्रौढ शिक्षा के बारे में इसमें कत्तई भी संकेत नहीं किया गया और जबतक हम प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कोई संकेत नहीं करते तब तक हमारे देश की समस्या हल नहीं हो सकती इसके अलावा एक तीसरी कमी भी हमें इस प्रस्ताव में महसूस हुई जिसको कि मैं सदन के

[श्री नौरंगलाल]

सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूं और वह कमी यह है कि एजूकेशन के सम्बन्ध में यह तो बताया गया है कि वह और कम्पलसरी कर देनी चाहिये लेकिन इस बारे में कोई रोशनी नहीं डाली गयी है कि एजूकेशन की प्रणाली यही रहे या इसमें कोई परिवर्तन हो । हो सकता है कि जो वर्तमान प्रणाली है अगर उसको हम बदलें तो फिर यह बकीया जो खर्च होगा वह बेकार होगा इसलिये इसमें यह भी कमी है गवर्नमेन्ट से इस बात की अपील की जा रही है कि एजूकेशन के सिस्टम को जल्दी से जल्दी बदला जाय और प्राईमरी एजूकेशन और सेकेन्डरी एजूकेशन के सम्बन्ध में जो विधेयक सदन के सामने आने वाला है उसको शीघ्र से शीघ्र जिससे जितना भी रुपया हम खर्च करें ....

शिक्षा मंत्री (श्री हर गोविन्द सिंह)—प्राईमरी की निस्बत कोई विधेयक नहीं आ रहा है ।

श्री नौरंगलाल—तो अगर नहीं आ रहा है तो एक विधेयक इस सम्बन्ध में आना चाहिये कि जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है वह इस काबिल है कि नहीं कि उसका प्रसार किया जाय । इसमें बहुत सी कमियां है और अगर हम उन कमियों के साथ में इस एजूकेशन का प्रसार करते हैं तो सम्भव है कि वह उतनी लाभदायक न हो जितनी कि हम सोच रहे हैं । इन तीन चार कमियों को सोच कर इस प्रस्ताव को इस रूप में लाना मैं समझता हूं कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है ।

इसके साथ हमें गवर्नमेन्ट की मुश्किलों को भी समझना है और उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिये । मेरे ख्याल से अध्यक्ष महोदय, दो बड़े कारण है जिनकी वजह से शिक्षा कम्पलसरी और फ्री इस वक्त होना जरूरी दुशवार सा नजर आता है । पहला कारण आर्थिक है और दूसरा कारण सांस्कृतिक है । जहांतक कि आर्थिक कारण का सम्बन्ध है वहां पर अगर हम फ्री और कम्पलसरी एजूकेशन इस समय कर भी देते है तो सरकार के सामने एक बड़ी कठिनाई यह आती है कि गांव के पेरेन्टस और गार्जियन लड़कों को स्कूल, में जाने के लिये तैयार नहीं करते । उनके छोटे से बच्चे ७ वर्ष की अवस्था से देहातों में कमाने लगते है वे मजदूरी करते हैं, खेतों में जाते हैं। मां बाप का हाथ बटाते है । तो जब उनसे कहा जाता है कि तुम इस लड़के को स्कूल में भेजो तो वह कन्नी काटते है और इन्कार करते है और तरह तरह के बहाने रहते है । यह आर्थिक समस्या शहर में भी है और देहात में भी है । जबतक हम इस समस्या को हल नहीं करते तबतक पेरेन्टस को मजबूर करने के लिए आपको सिर्फ दंड नीति से ही काम लेना उचित नहीं होगा । दूसरा कारण जो मुझे प्रतीत होता है वह कारण है सांस्कृतिक कल्चरल । वहां पर लोग पढ हैं और अपढ होने के कारण वह इसको कुछ अच्छा नहीं समझते कि उनके बच्चे आगे पढे । वहां तो सुपर्सटीशन है कि जिस फैमिली में बच्चा पढा नहीं है तो वह कहते है कि अगर बच्चा पढ जायगा तो मर जायगा । एक नयी चीज होने जा रही है हमारे बाप दादा नहीं पढे तो अगर यह पढे तो इसकी मौत हो जायगी। इस तरह के सुपर्सटीशन देहातों में मौजूद हैं । तो गवर्नमेन्ट के सामने मुसीबते हैं । कल्चरल और आर्थिक । इनको देख करके हमें इस शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ कहना पड़ेगा । साथ ही साथ और भी एक डिफिकल्टी गवर्नमेंट के सामने है और वह इमारतों के बारे में है। हर जगह पर जगह नहीं मिलती खेत नहीं मिलते और पब्लिक इसमें सहयोग नहीं देती ।

गवर्नमेन्ट की तरफ से एलान है कि जिस जगह पर एक मात्रा में जमीन मिल जाय एक मात्रा में रुपया मिल जाय वहां पर वह स्कूल, खोलने को तैयार है लेकिन हमारे देहात के रहने वाले न तो रुपया ही एकत्र कर सकते है और न जिस मात्रा में जमीन चाहिये उस मात्रा में जमीन ही पैदा कर सकते हैं । तो दिक्कत यह पड़ती है कि गवर्नमेन्ट इतना रुपया कहां से लाये । अगर टैक्स लगाती है तो यह उन्हीं देहातियों पर पड़ता है । तब मुसीबत यह पड़ती है कि टैक्स नहीं लग सकता । फिर रुपया भी चाहिये ।

तो गवर्नमेन्ट की जब पब्लिक मदद नहीं करती तो किस तरह से हम करोड़ों रुपये का खर्च जोकि इस एजुकेशन के सम्बन्ध में होगा करें। सिवाय इसके कि बजट से रुपया प्रोवाइड किया जाय ९ करोड़ जो देते हैं तो १८ करोड़ दें और उस तरह से शिक्षा को बढ़ायें और क्या रास्ता है। तो इस ९ करोड़ की आमदनी कहां से हो और जब तक हम यह सुझाव सरकार को नहीं देते तब तक हमको यह कहने का अधिकार नहीं है कि बिना रुपया सरकार इस एजुकेशन को चलाये। यह तय है कि किसी देश की उन्नति के लिये अनिवार्य और फ्री शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है और जबतक कि गवर्नमेन्ट इस चीज को नहीं करती तब तक उसका एक वेलफेयर स्टेट होना असम्भव सा है। इसलिये यह तो स्वीकार करना ही पड़ता है कि जहां तक इस प्रस्ताव की स्पिरिट का सम्बन्ध है उससे तो कोई इन्कार ही नहीं कर सकता, सब सहमत हैं कि ऐसा होना चाहिये लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि किस तरीके से इसको कामयाब बनाया जाय और किस ढंग से हम उसको कामयाब बना कर आज इस सदन के सामने प्रस्तुत करें जिससे कि जो प्रस्ताव हम पास करते हैं उसको किसी न किसी तरीके से कामयाब बना सकें। अगर हम कोई प्रस्ताव यहां पास करते हैं और उसको कामयाब नहीं बना सकते तो यह उचित नहीं होगा यह हाउस की शान के विरूद्ध है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक शिक्षा का सवाल है वह अनिवार्य और फ्री तो अवश्य होनी चाहिये। लेकिन इसके साथ ही साथ इस प्रणाली को भी हमें बदलना चाहिये इसके साथ ही साथ हमें इसके लिये रुपये का भी प्रबन्ध करना चाहिये और वे कठिनाइयां जोकि आर्थिक हैं कल्चरल हैं उनको भी दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये और यह केवल एक ही तरीके से हो सकता है और वह तरीका सब जानते हैं। वह तरीका है प्रचार देहातों में प्रोपेगेंडा किया जाय कि कोई कोई नेशन जो उठती है वह अपने पैरों के बल उठती है और जब तक कि हम स्वयं बली नहीं हो जाते तब तक दुनियां हमको एजुकेशन नहीं दे सकती है। अगर हम इसका प्रचार करें तो सम्भव है कि जिस चीज को आज हम दो साल में करने जा रहे हैं उसको शायद ६ महीने के अन्दर ही कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों के साथ इस स्पिरिट का तो स्वागत करता हूं लेकिन इस बात को समझते हुये कि अगर यह प्रस्ताव इस रूप में पास हो जाता है तो यह निरर्थक होगा बेकार होगा मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इस प्रस्ताव का जो उसमें संशोधन आये हैं उनके साथ पास किया जाय तब यह ठीक होगा

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक संशोधन था।

श्री अध्यक्ष—तो मैं नाम पुकारता हूं कि जिन लोगों के संशोधन हैं। अगर वे मौजूद हैं इस वक्त तब तो उनके संशोधन लिये जायंगें और अगर नहीं मौजूद हैं तो मैं समझूंगा कि वे पेश करना नहीं चाहते। तो श्री व्रजविहारी मिश्र। आप तो मौजूद ही हैं। श्री मती चन्द्रवती। यह मौजूद नहीं हैं यह इसलिये इनका खत्म हो गया। श्री रणंजय सिंह। आप मौजूद हैं। श्री द्वारका प्रसाद मौर्य। नहीं हैं। तो श्री रणंजय सिंह का और लिया जायगा पहिले श्री व्रजबिहारी मिश्र आप पेश करें।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन, इस सम्बन्ध में एक जानकारी चाहता था ये जो संशोधन संख्या १२, १३, १४ और १५ पर हैं ये उस दिन एजेन्डा में थे या नहीं। मेरा खयाल है कि ये उस दिन एजेन्डा में नहीं थे। ये बाद में दिये गये हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर फिर से दिये गये हैं तो उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने संशोधन नहीं दिये हैं उनको भी देने का हक मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—वे उतने समय के अन्दर आ चुके हैं जितना समय ३६ घंटे का संशोधन देने के लिये होता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं उपस्थित हो गया हूं।

श्री अध्यक्ष--आप पहले थे नहीं। अब आगये हैं तो आप भी बाद में अपना संशोधन पेश कर सकेंगे।

श्री व्रजविहारी मिश्र--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि संकल्प की पंक्ति २ का शब्द नहीं निकाल दिया जाय तथा शब्द 'और न' निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "परन्तु" रख दिया जाय और पंक्ति ३ का शब्द 'ही' के स्थान पर शब्द 'नहीं' रख दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के बाद संकल्प का यह रूप हो जाता है :--

"इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति संतोषजनक रही है परन्तु निकट भविष्य में उसमें विशेष उन्नति होने की सम्भावना नहीं प्रतीत होती है, अतः संविधान के अनुच्छेद ४५ को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यकीय है कि अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की गति को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र किया जाय ताकि संविधान में दिये हुये निर्धारित समय के अन्दर लक्ष्य की पूर्ति हो सके।

माननीय उपाध्याय महोदय, जैसे कि संकल्प पहले प्रस्तुत किया गया था उस का अर्थ यह होता है कि हम यह मानते हैं कि प्रांत में जो प्रारम्भिक शिक्षा हो रही है उसकी प्रगति ठीक नहीं रही है, मुझे इससे विरोध है। अब तक जो प्रगति हुई है उसे मानना पड़ेगा कि उसकी प्रगति अच्छी रही है, हजारों की तादाद में नये स्कूल खुले हैं, लाखों विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, प्रौढ शिक्षा का प्रबंध किया गया है और बालिकाओं की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया गया है परंतु संकल्प में लिखा हुआ है कि प्रगति नहीं हुई है ठीक नहीं है। परन्तु यदि इतना कहा गया होता कि उसकी प्रगति धीमी रही है तो मैं मान लेता और अपना संशोधन उपस्थित न करता हम भी मानते हैं कि इसकी प्रगति धीमी रही है अब रहा दूसरा हिस्सा जो संकल्प का है कि अगर यही प्रगति रही तो इस बात की शंका हो रही है कि निकट भविष्य में समुचित उन्नति नहीं हो सकेगी। इसलिये हमने अपना संशोधन उपस्थित किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मानना पड़ेगा जिसे सब मानते हैं कि प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति जैसी होनी चाहिए थी नहीं हुई और उसका विशेष कारण यही रहा कि उसका प्रबंध जिला बोर्डों को दिया गया है। मैं जिला बोर्ड के प्रबंधको की कोई टीका करना नहीं चाहता परन्तु आप मुझे कहने की आज्ञा दें तो यह मानना पड़ेगा कि सरकार ने इस तरफ काफी ध्यान नहीं दिया और जिला बोर्ड भी परिस्थितियों के कारण मजबूर थे यही कारण है कि जितनी उन्नति करनी चाहिये थी वे नहीं कर सके। मुझे जिला बोर्डों का काफी दिनों का तजुर्बा है गत २४ वर्षों से मैं जिला बोर्ड में काम करता रहा हूं जिला बोर्ड के शिक्षा के कार्य में डायरकी चलती है। इंसपेक्टर तथा डिप्टी इंसपेक्टर सरकार के मातहत हैं और जिला बोर्ड के चेयरमैन यानी अध्यक्ष का नाम मात्र का शासन उन पर रहता है। उनके पियुन का भी जिला बोर्ड के चेयरमैन को ट्रांस्फर करने, मुअत्तिल करने या जुर्माना करने का अधिकार नहीं है। ऐसी दशा में यह आशा करना कि डिप्टी इंपेक्टर अथवा अन्य निरिक्षक लोग अध्यक्ष की राय के अनुसार निरीक्षण करेंगें, यह असंम्भव हो जाता है। हमने यह देखा है कि नियम यह है कि जिला बोर्ड के हर स्कूल का साल में कम से कम तीन बार डिप्टी इंसपेक्टर अथवा सब डिप्टी इंसपेक्टर निरीक्षण करें लेकिन देखा यह जाता है कि एक मर्तबा भी मुश्किल से निरीक्षण हो पाता है यही नहीं देख लीजिये जिला में जिस तरफ भी नजर जायेगी मालूम होगा कि स्कूलों के भवन धराशायी हो चुके हैं और जिला बोर्ड का खर्चा बढ़ता चला जा रहा है, क्यों बढता है, क्यों बढोत्तरी होगई है, इसका कारण साफ है हमने देखा है जहां पहले जिला बोर्ड का खर्चा ११,१२ लाख था वही आज खर्चा २१,२२ लाख के करीब हो चुका है। इस तरह से खर्चा तो बढ़ गया है और स्कूलों की तादाद भी बढ़ी है परन्तु स्कूलों का जैसा निरीक्षण होना चाहिये वैसा नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से जो अनुदान दिया जाता है पर्याप्त मात्रा में प्रारम्भिक शिक्षा के लिये नहीं दिया जाता है। माननीय रावत जी ने अपने

भाषण में संस्कृत विद्यालयों पर आक्षेप किया था और संस्कृत यूनिवर्सिटी पर भी आक्षेप किया था। वह विषयान्तर था। यह प्रस्ताव तो प्रारम्भिक शिक्षा से ही सम्बन्धित है। प्रारम्भिक शिक्षा पर ही हमारा ध्यान केन्द्रित होना चाहिये। प्रारम्भिक शिक्षा को ही निःशुल्क और अनिवार्य करना है। हम मानते है कि ऐसी परिस्थिति में जिला बोर्ड के लिये यह बिल्कुल असम्भव सी बात होगी कि हम उसे इस प्रकार से चलायें जिस तरह हम चाहते हैं। मेरा सुझाव यह है कि या तो पूरा-पूरा अधिकार जिला बोर्ड के अध्यक्ष को दे दिया जाय और अगर सरकार किसी कारण ऐसा करना नहीं चाहती है तो प्रारम्भिक शिक्षा का कार्य जिला बोर्ड के अधिकार से निकाल लिया जाय। जिला विद्यालय निरीक्षक तो अब हर जिले के अन्दर हैं। पहले ऐसा था कि उनको कई जिलों का कार्य करना पडता था क्योंकि कई जिलों के लिये केवल एक जिला विद्यालय निरीक्षक रहता था और वह कई जिलों का निरीक्षण करता था। परन्तु अब प्रत्येक जिलें के लिये निरीक्षक नियुक्त हो गये हैं। अच्छा यह होगा कि जो डिप्टी इन्सपेक्टर और सब डिप्टी इन्सपैक्टर के सिपुर्द प्रारम्भिक शिक्षा के काम को कर दिया जाय। जिला बोर्ड के पास बहुत सा काम है। जिला बोर्ड ऐक्ट में भी संशोधन होने जा रहा है। प्रारम्भिक शिक्षा का कार्य उनके क्षेत्र से निकाल कर सरकार स्वयं अपने हाथ में ले ले। सरकार का यह प्रारम्भिक कर्तव्य है कि प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध अनिवार्य रूप से प्रान्त भर में किया जाय। गांव-गांव में स्कूलों की स्थापना की जाय और अनेक स्कूल खोले जांय। बेसिक पाठशालायें गांवों में खोली गयी थीं लेकिन मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि प्रान्त के प्रत्येक गांव जो वेसिक पाठशाला खोली गयी थीं वह बेकार हो गई हैं। उनमें मुझे इन स्कूलों के निरीक्षण करने का अवसर मिलता है। मैं देखता हूं कि वह बेसिक पाठशालायें नाममात्र के लिये अब बेसिक रह गयी हैं। जहां पर बेसिक पाठशाला खोली गयी ह उनके अध्यापकों के अन्दर कोई उत्साह शेष नहीं रहा। पहले आपके डिप्टी इंस्पेक्टर और सब डिप्टी इन्सपेक्टर इन बेसिक पाठशालाओं पर काफी ध्यान देते थे, लेकिन अब कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है। स्कूलों के अध्यापक एक चारपाई पर बैठे है और आराम कर रहे है। मालूम होता है कि उनके लिये स्वराज नहीं हुआ ऐसा हम सब महसूस करते हैं। आप स्कूलों में जाइये वहां पर देखेंगे कि वहां की वही पहले जैसी हालत है जैसी २५, ३० वर्ष पहले थी। वही फटे हुये टाट लड़कों के लिये बैठने को हैं। अध्यापकों के लिये कुर्सी नहीं है। अध्यापक चारपाई पर बैठे हुये हैं और बहुत से अध्यापक जमीन पर ही बैठे हुये हैं। यह उनकी अवस्था है। यहां बैठकर हम लम्बी लम्बी बातें करें परन्तु इसका हम पर क्या असर होता है यह देखना है कि जो ध्यान यूनिवर्सिटी के ऊपर दिया जाता है वह प्रारम्भिक शिक्षा पर नहीं दिया जाता है जो कि हमारी शिक्षा की रीढ़ है और यहीं से बच्चे पढ़ने के लिये निकलते है।

माननीय अध्यक्ष महोदय हर एक सदस्य इस बात को यहां पर मानेगा। अगर कोई सदस्य किसी स्कूल में जांय तो यह देखेंगे कि वहां पर अध्यापक पैर पर पैर रखे बठे हैं। लड़कों के कपड़े फटे हैं। नाखून बढे हुये हैं और अध्यापक महोदय चारपाई पर पैर फैलाये हुये लेटे हैं। और कभी-कभी लड़कों से कह देते हैं "पढ़ो-पढ़ो" यही उनके काम की इतिश्री है और यही उनके कर्तव्य का अंत हो जाता है। इसका कारण क्या है इसका कारण यही है कि वे अपने कर्त्तव्य पर ध्यान नहीं देते हैं। हम अपना सारा ध्यान ऊपर की शिक्षा पर ही देते हैं। यूनिवर्सिटीज पर ही ध्यान देते हैं।

मैं अन्य सदस्यों से सहमत हूं कि ऊपर की ओर ध्यान नहीं जाता है जड़ पर नहीं जाता। संयोग से इस समय हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां नहीं हैं परन्तु उपमंत्री जी हैं। इसलिये आप के द्वारा उन से मैं आग्रह करूंगा अनुरोध करूंगा कि वह प्रारम्भिक शिक्षा की ओर समुचित ध्यान दें ताकि यह समस्या हल हो सके। इन शब्दों के साथ मैं अपने इस संशोधन को प्रस्तुत करता हूं।

श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि संकल्प के अन्त में निम्न शब्द बढ़ा दिये जायं :

"साथ ही केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया जाय कि संविधान के अनुच्छेद ४५ में संशोधन करके निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिये १४ वर्ष की अवस्था के स्थान पर पांचवीं कक्षा निश्चित कर दी जाय।"

श्रीमन् उस दिन भी मैंने इस ओर संकेत किया था। मेरा इससे मतलब यह है कि संविधान में जहां पर १४ वर्ष की अवस्था निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिये रखी गयी है वहां पर उसके बजाय शब्द पांचवीं कक्षा रख दिया जाय। संविधान में वैसे तो जो लिखा हुआ है मैं उस का आदर करता हूं, लेकिन हमने देखा कि आवश्यकतानुसार संविधान में संशोधन भी होते रहते हैं। इस धारा का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस से यहां से निरक्षरता का निवारण हो और इसी कारण से हमारे यहां सन् १९३७ में जनता की सरकार बनी थी निरक्षरता निवारण की साक्षरता दिवस यहां मनाया जाता था और इस बात का प्रयत्न किया गया था कि हमारे यहां से निरक्षरता समूल नष्ट हो और उसी के लिये अब भी प्रयत्न किया जा रहा है कि कोई ऐसा न रहे जो नाम तक न लिख सके या चिट्ठी आदि न लिख सके और इस तरह से निरक्षरता को मिटाने का प्रयत्न किया जाता है। जब संविधान बनाया गया तो उसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि १४ वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जा सकती है लेकिन इस अवस्था के भेद रखने से कठिनता यह होती है कि बहुत से लड़के १४ वर्ष के हैं और इन्टरमीडियेट में पढ़ रहे हैं और ऐसे भी हैं कि १४ साल की अवस्था है और बी० ए० में पढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसी दशा में उनके लिये भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होगी। इसलिये यदि कक्षा विशेष पर न रख कर आयु पर रखा जायगा तो कठिनता होगी और आवश्यक है कि ऐसा रखा जाय कि अमुक कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य रहेगी और मैंने उस के लिये ५ वीं कक्षा रखी है और इस प्रकार से सब के लिये समुचित प्रबन्ध हो जाता है। यदि अवस्था विशेष का ध्यान रख कर यह किया जायगा तो इसमें बहुत अड़चन पड़ेगी। बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनकी अवस्था प्रारम्भ से ही २ वर्ष कम लिखवा दी जाती है जिससे नौकरी में उनको सुगमता होती है। इस सरकार को संविधान में इस प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं है, वह केवल भारत सरकार से सिफारिश कर सकती है कि वह ऐसा संशोधन करे। जहां मैं चाहता हूं कि ५ वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा रखी जाय वहां मैं तो यहां तक चाहता हूं कि जो प्रारम्भिक शिक्षा है वह निःशुल्क और अनिवार्य कर दी जाय, बल्कि और आगे अगर दसवीं तक सरकार कर सके तो और भी अच्छा है। और यह सुविधा न केवल हमारे प्रान्त के लिये हो जायगी बल्कि सारे देश भर के लिये जितने राज्य हैं सभी निरक्षरता निवारण में अग्रसर हो सकेंगे। अगर भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाय तो वह अवश्य विचार करेगी और इस अनुच्छेद में संशोधन कर के देश भर के लिये इस समस्या को हल कर देगी और यह सभी के लिये सुविधाजनक होगा। मेरा यह संशोधन इतिहास के अनुसार भी उचित है क्योंकि हमारे यहां ऐसे-ऐसे विद्वान हुये हैं जो बचपन में ही उच्चकोटि के विद्वान हो गये थे। महामना पूज्यपाद आद्य शंकराचार्य जी का जीवनवृत्त जिन्होंने पढ़ा है, उन्हें ज्ञात है कि १६ वर्ष की अवस्था में ही वह सब विद्याओं में पारंगत हो गये थे और केवल पचीस वर्ष की अवस्था तक इस असार संसार में रहे, लेकिन इस बीच में ही उन्होंने जो कार्य किये हैं वे विश्व के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जायंगे। तो बहुत से बचपन में इतने विद्वान हो जाते हैं और बहुत से बुढ़ापे तक निरक्षर रहते हैं। इसलिये ऐसे संशोधन की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष--आप ने अपने संशोधन का अर्थ स्पष्ट नहीं किया। उसमें शब्द हैं:-

"The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years."

तो क्या आप चाहते हैं कि "for all children until they complete the age of fourteen years." के स्थान पर "for all children until they pass their Fifth Standard." हो जाय ।

श्री रणंजयसिंह—जी हां, मेरी यही अभिप्राय है।

श्री अध्यक्ष—और अगर वह फेल होता हुआ चला जाय तो क्या तीस चालीस वर्ष तक उस की शिक्षा चलती जाय। मैं जानना चाहता हूं कि आप का क्या उद्देश्य है ?

श्री रणंजयसिंह—अध्यक्ष महोदय, आप ने जो कहा है वह कुछ सीमा तक हो सकता है, लेकिन अधिकतर नहीं हो सकेगा और इसलिये मैंने यह रखा है कि पांचवी कक्षा तक तो अनिवार्य रूप से पढ़ना रहेगा ही। यहां तक तो लोग सब पढ़ ही लें, उतनी शिक्षा तो अवश्यमेव हो ही जाय। इसमें बालकों के लिये ही रहेगा। बालकों का शब्द रहने से बूढ़े और जवान अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ाये जायंगे और जो बालक होंगे उन्हीं को पढ़ने के लिये सुविधायें होंगी। अगर बालकों का शब्द न हो तब यह हो सकता है। बूढ़े जवान सभी को पकड़-पकड़ कर पढ़ाया जायगा, लेकिन बालकों का शब्द रखते हैं तो बालक ही पढ़ाये जायंगे। अगर बूढ़े और जवान पढ़ाये जा सकते हों तो वे भी पढ़ाये जायं, अच्छा होगा, लेकिन यह बालकों के लिये ही रहना चाहिये और इसमें बालक शब्द रहने से मेरा अभिप्राय सिद्ध हो जाता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था जो हैं वे तो निर्धारित हैं। इसलिये यदि इसमें ऐसा हो जाय कि बालकों की शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा उनकी जो है ५ वीं कक्षा तक होती है। अतएव ५ वीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य कर दी जाय। श्रीमन् ने मुझे इस अभिप्राय के स्पष्टीकरण के लिये अवसर दिया, इसके लिये श्रीमन को धन्यवाद देता हूं। बालकों की शिक्षा का ऐसा प्रबन्ध हो जाय और केन्द्रीय सरकार कोई ऐसा विधान कर दे कि जितने बालक हैं वे ५ वीं कक्षा तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकें और सरकार इस बात के लिये शीघ्र अग्रसर हो और जो संविधान में १० वर्ष की कालावधि रक्खी है उसके अन्दर काम हो जाय। इन शब्दों के साथ में इसको प्रस्तुत करता हूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं इस संकल्प को निम्न रूप में रख देने का संशोधन पेश करता हूं :

> "इस सदन का यह निश्चय मत है कि संविधान के अनुच्छेद ४५ की पूर्ति के लिये उत्तर प्रदेश में अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की गति को विशेष रूप से बढ़ाया जाय।"

वास्तविक जो मूल प्रस्ताव है उसका जो भाव है उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं, लेकिन जो उसकी शब्दावली है उसमें बहुत अनावश्यक शब्द भी हैं और वह बहुत लम्बा चौड़ा प्रस्ताव है। आशय तो यही है कि जो संविधान की धारा ४५ है उसके उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिये। संविधान की धारा ४५ में यही है कि १० वर्ष के अन्दर सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाय, जब तक वह १४ वर्ष की अवस्था न प्राप्त कर ले। मान्यवर, जहां तक प्रारम्भिक शिक्षा की बात है देश के लिये इसकी कितनी बड़ी आवश्यकता है, इसमें दो मत नहीं हैं लेकिन मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भिक शिक्षा से हमारी सरकार उदासीन है और रुपया ज्यादातर ऊंची शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। प्रारम्भिक शिक्षा के लिये यह निश्चिय किया गया था जैसी कि शिक्षा की प्रगति १९५५ सरकारी बुकलेट्स से पता चलता है कि ५ वर्ष के अन्दर ही तमाम विद्यार्थियों के लिये स्कूल खोल दिये जायंगे और उनकी तादाद भी मुकर्रर कर दी जायगी। और इतने-इतने स्कूल खोले जायंगे लेकिन वह योजना स्थगित कर दी गई और जो स्कूल खोले भी गये थे सरकार ने उन्हें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को दे दिया। अगर प्रारम्भिक शिक्षा की योजना को जो हमारे विधान के अन्तर्गत है सफल करना है तो प्रारम्भिक

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

शिक्षा के काम को सरकार को सीधे अपने हाथ में ले लेना चाहिये। इसको पूर्ण करने के लिये सरकार की ज्यादा तवज्जह होनी चाहिये। मुझे दुख है कि जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि प्रारम्भिक शिक्षा में विद्यार्थियों की तादाद घटती जा रही है। जो सन् ५१ में संख्या २८ लाख थी वह घट कर ५३-५४ में २६ लाख हो गई। लेकिन इसके विरुद्ध माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक हाई स्कूल, डिग्री कालेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या निरन्तर बढ़ती चली जा रही है। जहां तक कि माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है १९४९-५० में ३ लाख १६ हजार के करीब विद्यार्थी थे, वे १९५३-५४ में ४ लाख हो गये। उत्तर माध्यमिक में ३ लाख ६० हजार ७ सौ थे और १९५३-५४ में ५ लाख ७७ हजार ६ सौ हो गये। हाई स्कूल में जो विद्यार्थी १९५० में बैठे वे ६४ हजार ६ सौ थे और १९५४ में १ लाख ८५ हजार ९ सौ १० हो गये। डिग्री कालेज में जहां १९५० में २८,२७० विद्यार्थी थे वहां १९५४ में ४७ हजार ६ सौ १३ और इसी तरह विश्वविद्यालय में १९४९ में जहां १७ हजार ७६ थे और १९५० में २८ हजार १ सौ ५३ हो गये।

हमें शिक्षा के क्षेत्र में अपनी नीति को मूल रूप से सोचना होगा। क्या नीति हमारी हो, हमारे विद्यार्थियों का जीवन स्तर ऊंचा हो, और जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसके लिये भी रुकावट हो। मैं आप के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि आज जितने भी ऊंचे दर्जे के विद्यार्थी हैं वे सब बेकारों की श्रेणी में लिख लिये जाते हैं और किसी भी विद्यार्थी से जो बी० ए०, एम० ए० या एंट्रेंस पास हो चाहे उस के घर में कितना बड़ा कारोबार हो या रोजगार हो, हजार एकड़ की भी खेती हो, लेकिन अगर उससे पूछा जाय तो कहता है कि बेकार हूं। पढ़ने लिखने का मतलब बेकारी हो जाता है। तो इस देश में प्रारम्भिक शिक्षा का काम सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये। लेकिन रुपया जो ऊंची शिक्षा पर है वह ज्यादा नहीं खर्च होना चाहिये। पब्लिक की तरफ से जो विद्यालय चल रहे हैं वे चलें और इतनी बड़ी तादाद में जो ऊंची शिक्षा के, हायर सेकेन्डरी स्कूल खुलते जाते हैं देहातों में और उनको मान्यताएं प्रदान होती चली जा रही हैं वे एक बड़ी विषम परिस्थिति हमारे सामने उपस्थित करते चले जा रहे हैं।

मान्यवर, अभी आप ने देखा एक सवाल के उत्तर में माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा जवाब दिया गया कि एक पुराने स्कूल की ग्रांट बन्द की गयी। उस के कारण होंगे। लेकिन उसी के बिल्कुल पास, मैंने पूछा, एक दूसरा स्कूल इस साल खुला और इमर्जेन्सी पावर के अन्दर उस को मान्यता प्रदान की गयी। इस तरह से देहातों में जो स्कूल एक बिजिनेस के तरीके पर खोले जाते हैं और उनको मान्ता प्रदान की जाती है और फिर ग्रान्ट भी सरकार देती जाती है उन स्कूलों से जो विद्यार्थी पढ़ कर निकलते हैं वे जिस तरह से निकम्मे साबित हो रहे हैं उसको देख कर आश्चर्य होता है। एक एंट्रेंस का विद्यार्थी मेरे पास अर्जी लेकर आया मैंने उससे पूछा कि "उसने खाया है" की अंग्रेजी बताओ तो उसने कहा "ही हैज एट" तो इस तरह के नमूने हमारे सामने हैं। जो कोर्सेज हैं, जो टैक्स बुक्स हैं वह तो जो गजेट में छपती हैं उनको देखने से मालूम होता है कि इसको पढ़ने वाला विद्यार्थी जाने कितना बड़ा विद्वान हो जाय। लेकिन विद्यार्थी का बौद्धिक स्तर ऊंचा नहीं होता। उसे कोई भी ज्ञान नहीं होता। निरन्तर टेक्स्ट बुक्स का बदलना यह भी शोभा की बात नहीं है। पुराना के० पी० वसु का अलजेबरा और हाल स्टीवेंसन की जामेटरी में समझता हूं कि इनसे अच्छा अल्जेबरा और जामेटरी आज तक नहीं निकली। लेकिन यह सब बदल रहा है। नयी-नयी किताबें आ रही हैं और उसके सम्बन्ध में फिर लोगों को छापने के लिये दिया जाता है। छपायी का यह हाल है। एक आदमी को छपाई दे दी गयी।

श्री अध्यक्ष—आप विषय पर अब आ जायं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--तो यह ऊंची शिक्षा पर जो खर्चा किया जा रहा है उस में सरकार जरा अपने हाथ को बटोरे। और हमारे प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा मिले यह सरकार की जिम्मेदारी है, उस काम को वह अपने हाथ में ले तब हमारे इस संविधान की मंशा की पूर्ति होगी और हमारे देश की जो निरक्षरता है वह दूर हो सकेगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो स्कूल्स लिये गये हैं उनके अन्दर टीचर्स की जो हालत है और जिस तरह से वह दिन रात घेरे रहते हैं मेम्बर्स को इसलिये कि वह अपने घर के पास पहुंच जायं उससे उनके विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। उनमें मुस्तकिल मिजाजी है ही नहीं और इसलिये वह जो भी पढ़ा रहे हैं उससे उनका विकास ठीक नहीं हो रहा है। अगर सरकार समझती है कि हमें उन बच्चों का स्तर उठाना है, उनको ठीक से पढ़ाना है तो वह इस कार्य को जिम्मेदारी के साथ अपने हाथ में लें और जो सरकार ने पहले योजना बनायी थी और जिस योजना को सरकार ने छोड़ दिया है, उसे वह पुनः हाथ में ले और जल्द से जल्द, क्योंकि विधान के अन्दर १० वर्ष का समय दिया गया है, अगर उसके अन्दर हम इस उद्देश्य की पूर्ति न कर सकें तो १२ या १४ वर्ष के अन्दर तो जरूर पूर्ति कर लें। लेकिन आज जो सरकार की नीति है उससे तो पता चलता है कि यह काम १५, २० साल में पूरा करने का सरकार का इरादा नहीं है और न होने वाला है। मैं समझता हूं कि इस संकल्प को स्वीकार होना चाहिये और सरकार को इस संकल्प के अमल की तरफ भी कदम उठाना चाहिये और मुझे आशा है कि वीरेन्द्रपति जी मेरा संशोधन स्वीकार कर लेंगे, इसलिये कि शब्द थोड़े हैं और उनसे काम चल जाता है।

*श्री मुहम्मद तकी हादी (जिला मुरादाबाद)--अध्यक्ष महोदय, जो तजवीज हमारे दोस्त यादव जी ने पेश की है मैं उस की ताइद में खड़ा हुआ हूं। जब हम यह कहते कि इब्तदाई तालीम में हमने तरक्की नहीं की और इन सात सालों के भीतर कोई खास नुमांया कैफियत न पैदा कर सके तो उस से मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमने कुछ स्कूल ज्यादा नहीं खोले। मैं यह मानता हूं कि इस वक्त हमारी सरकार काफी स्कूल खोल रही है और उनका एक्सपेंशन जरूर हो रहा है, लेकिन एक्सपेंशन का वक्त यह नहीं है। मैं यह देखता हूं कि जो टीचर्स म्युनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट्स बोर्ड्स में इब्तदाई स्कूल के लिये रखे जा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग का कोई खास इंतजाम नहीं है। मैं समझता हूं कि आजादी मिलने के बाद सब से जरूरी यह था कि हम अपनी इब्तदाई तालीम पर जोर देते और इस तरीके तालीम को जो इस वक्त चल रहा है और जिसको हम आगे चल कर सेकेन्डरी और यूनिवर्सिटी एजूकेशन में नहीं चला सकते, उस को ठीक कर लेते। अगर हमारी इब्तदाई तालीम नाकिस है तो कोई यह उम्मीद नहीं कर सकता कि जो तालीम का असली मकसद है वह हम लोग हासिल कर सकेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार को सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि वह अगर एक्सपेंशन के लिये आगे के लिये इंतजाम कर रही है तो यह एक खास चीज है कि वह ट्रेनिंग टीचर्स के लिये इंतजाम करे। मैं देखता हूं कि स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उस में ६० परसेंट टीचर्स भी ट्रेण्ड नहीं होते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि जो तुलबा तालीम पाते हैं उनकी तालीम नाकिस होती है और इसका असर यह होता है कि जब वह हायर सेकेण्डरी या जूनियर हाई स्कूल में जाते हैं तो वह अपनी कमजोरियों को दूर नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारी स्टेट का एक अजीब हिसाब है। यहां इमारतों पर कुछ सर्फ नहीं किया जाता। बुनियादें कमजोर हैं, लेकिन रुपया सर्फ हो रहा है और इससे यह खटका पैदा होता है कि कोई वक्त ऐसा न आ जाय कि हमारा यह सब किया कराया मिट्टी में मिल जाय, सब मटियामेट हो जाय। इसलिये मुझे यह अर्ज करना है कि जो मौजूदा स्कीम और जो तरीके कार चल रहा है इस से भी हम कुछ नहीं कर सकते, हम इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद तकी हादी]

सिलसिले में ऐसी तरक्की इस से नहीं कर सकेंगे जिस पर जोर दिया गया है। इसके पहले अर्ज किया गया है कि हमारा जो तरीका इब्तदाई तालीम का गवर्नमेंट अख्तियार किये हुये है उस पर जहां तक कि तालीम का सवाल है वह दे दिया गया है लोकल बाडीज को। लोकल बाडीज को जिस तरीके से अन्जाम देना चाहिये उस तरीके से अपने फंड्स की वजह से या और दिक्कतों की वजह से नहीं दे पा रही हैं। और इस सिलसिले में हम अब तक कोई सही उसूल नहीं कायम कर सके। उनको इब्तदायी तालीम बहुत खराब होती चली जा रही है, इसलिये कि उनके पास फंड्स नहीं हैं। इसके अलावा जहां तक कि स्कूलों का ताल्लुक है म्युनिसिपैलिटी उन्हें खोलती है, लेकिन जहां तक ट्रेनिंग का ताल्लुक है उसका इंतजाम गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा है। नतीजा यह होता है कि स्कूल बढ़ रहे हैं लेकिन कोई इंतजाम ट्रेनिंग का नहीं है। जो सब से ज्यादा जरूरी बात यह है कि जहां हम इस बात का लिहाज रखें कि अपनी लाजिमी तालीम की स्कीम को चला सकें वहां जरूरत इस बात की भी है कि सरकार अपने फंड्स का ज्यादा रुपया इब्तदाई तालीम में रखे और यह उम्मीद की जा सके कि आइन्दा जो तालीम हो वह सही तरीके से अन्जाम को पहुंचेगी। हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और लोकल बाडीज जो इस वक्त इन्तजाम कर रहे हैं उनकी हालत यह है कि बाज म्युनिसिपैलिटीज में मुझे मालूम है बजाय तरक्की के उल्टे हम देखते हैं कि कमी होती चली जा रही है। उसकी वजह यह है कि वह इस अहमियत से नहीं देखती जिस तरह से देखना चाहिये। इसलिये जरूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट इब्तदाई तालीम को लोकल बाड़ीज से निकाल कर अपने हाथ में ले ले। अगर ऐसा हो गया तो उम्मीद की जा सकती है कि हमारी इब्तदाई तालीम ठीक हो जायगी, लेकिन अगर ऐसी ही छोड़ी गयी तो यकीनन हम एक ऐसे जुर्म के मातहत काम करेंगे कि हम खुद जब तक कोई उसका इलाज नहीं सोचें तब तक जो हमारा मकसद है ज्यादा से ज्यादा तालीम देने का वह हासिल नहीं कर सकेंगे। इसलिये मैं इसकी ताईद करता हूं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण संकल्प पर आप ने हमें अवसर प्रदान किया। श्रीमन्, प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क कैसे हो इस पर गम्भीरतापूर्वक सदन को विचार करना चाहिये और साथ ही इस सरकार के मंत्रीगण या शिक्षा मंत्री या और जो अधिकारी हैं और प्रदेशों के मुकाबले में किस तरह का काम करते हैं, यह भी ध्यान देना होगा। यह तो कह देना बहुत सरल है कि सरकार के पास जो साधन हैं उसके मुताबिक सरकार बड़ी मेहनत लगन और उत्साह के साथ काम कर रही है। श्रीमन्, मेरा तो यह स्पष्ट कहना है कि यह सरकार प्रारम्भिक शिक्षा को आज टेढ़ी नजर से भी देखना नहीं चाहती। आप श्रीमन्, देखेंगे कि इतने बड़े प्रदेश का जिसका बजट ९६ करोड़ का हो और उस बजट में जब हम प्रारम्भिक शिक्षा का अनुदान देखते हैं तो स्पष्ट मालूम होता है कि सरकार का ध्यान प्रारम्भिक शिक्षाओं की ओर कितना है। इस देश में बहुत से छोटे २ प्रदेश हैं जहां पर कि प्रारम्भिक शिक्षा मुफ्त है। लेकिन यह सरकार मुफ्त करना नहीं चाहती और माननीय उपमंत्री जी तो उस झोपड़ी के रहने वाले हैं जिसके लिये सरकार दम भरा करती है कि हम पिछड़ी एवं परिगणित जातियों के लिये बहुत काम कर रहे हैं। श्रीमन्, शिक्षा की जो प्रगति है उसको देखा जाय। हमारे प्रदेश में जो अनुसूचित जातियों के लिये सहायता मिलती है उसको देखा जाय और प्रारम्भिक शिक्षा के ऊपर जो व्यय हो रहा है, इसमें उसको देखा जाय और भी विद्यार्थियों की संख्या घटती जाय उसको देखा जाय तो यह स्पष्ट जाहिर होगा कि सरकार प्रारम्भिक शिक्षा की उन्नति करने में बिल्कुल असमर्थ है। श्रीमन् आप देखेंगे कि आसाम, मध्यभारत, पेप्सू, ट्रावनकोर कोचीन, अंडमन निकोबार, बिलासपुर, मध्य प्रदेश, और विन्ध्य प्रदेश जैसी इतनी छोटी-छोटी स्टेट्स में प्रारम्भिक शिक्षा की पढ़ाई मुफ्त होती है लेकिन हमारे प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा में फीस कितनी ली जायगी इसका कोई ठिकाना

नहीं है। जब हम लोगों ने प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की थी तो दो आने से ज्यादा फीस दर्जा चार तक की नहीं थी, लेकिन आज के प्राइमरी स्कूलों में फीस पांच आने से कम दर्जा पांच की नहीं ली जाती। इसी से श्रीमन्, पता लगाया जा सकता है कि सरकार मुफ्त पढ़ाई चाहती है कि नहीं। मेरा तो यह निश्चित विश्वास है, कि यह मुफ्त पढ़ाई जब तक यह सरकार रहेगी तब तक लागू कर नहीं सकती। लागू करने की दिशा में एक कदम भी आज तक इसका नहीं उठा। श्रीमन्, आप देखेंगे हरिजन विद्यार्थियों से भी फीस ली जाती है।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखेंगे।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि बम्बई और कूच को छोड़ करके सब से ज्यादा फीस से आमदनी प्रारम्भिक शिक्षा से हमारे प्रदेश को होती है और बहुत से ऐसे प्रदेश हैं छोटे-छोटे जहां पर बिल्कुल भी फीस नहीं ली जाती। हमारे प्रदेश में फीस से जो आमदनी होती है, रुपये की शक्ल में वह खर्च का ३.८ प्रतिशत है। यह दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े प्रदेश में इतने ज्यादा बजट में हम प्रारम्भिक शिक्षा में बहुत कम व्यय करते हैं। श्रीमन्, फीस का बोझ बहुत ज्यादा हमारे प्रदेश में है। गांव का रहने वाला किसान जिसके पास ५–७ बीघा खेती है, मैं यह निश्चित रूप से कहता हूं कि वह फीस के भार को बरदाश्त नहीं कर पाता है और ५० फी सदी लड़के प्रारम्भिक स्कूल में आयेंगे बिना खाये और कलम-दवात पटरी लिए और अपने बगल में टाट लिए। मेरा यह भी विश्वास है कि जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों में भी सरकार इस तरह का प्रबन्ध नहीं कर पाती है कि जो लड़के स्कूल में पढ़ने जाते हैं वह पढ़ सकें। श्रीमन्, आप खयाल करेंगे और माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी ज्ञान इसका होगा ही कि जो गरीब घर का लड़का स्कूल में जाता है, फीस न देने पर उसके हाथ में जाड़े में मास्टर मारता है। यही नहीं, उसके मारने के बाद जब वह रोता हुआ अपनी मां के पास आता है मां भी चपेटा लगाती है, फिर स्कूल में जाता है। इसका नतीजा श्रीमान् अन्तिम यह होता है कि वह लड़का घर बैठ जाता है।

स्कूलों की इमारतों की हालत तो श्रीमन्, बहुत ही बुरी है। जब माननीय मुख्य मंत्री जी जो आज हैं, शिक्षा मंत्री के पद पर विराजमान थे तो स्कूल खोलने की बाढ़ शिक्षा विभाग में आई थी और राजकीय स्कूल खोले गये। वह स्कूल जिला बोर्डों के सिपुर्द किये गये, लेकिन उन स्कूलों की हालत आज क्या है? जो बोर्ड के स्कूल हैं उनकी हालत तो बदतर है ही, जो सरकारी स्कूल थे उनकी हालत बड़ी बदतर है और ५० फीसदी ऐसे स्कूल हैं जिनके पास भवन नहीं है। जाड़े, गरमी और बरसात के महीनों में जब तीनों मौसम अपनी प्रचण्ड अवस्था में पहुंचते हैं तो स्कूल बन्द हो जाते हैं। पढ़ाई-लिखाई दो चार दिन, महीने की जो हुई रहती है वह बराबर हो जाती है। जब मैं आंकड़ा देखता हूं तो हैरान रह जाता हूं कि एक छोटा सा प्रदेश है मैसूर, जहां इमारत पर सरकार ६१ प्रतिशत खर्च करती है और प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार नहीं के बराबर खर्च किया है। जब स्कूलों की और फीस की हालत यह है, तो फिर छोटे गरीब घर के लड़के कैसे पढ़ सकते हैं। इस प्रदेश में जो प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय होता है श्रीमन्, वह केवल २६.७ प्रतिशत होता है। जब कि सारे देश में शिक्षा पर ४० प्रतिशत औसतन व्यय होता है तो हमारे प्रदेश में २६.७ व्यय होता है। आप देखेंगे कि २२ प्रदेश ऐसे हैं इस देश में जहां पर हमारे प्रदेश से ज्यादा पैसा प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय होता है। बम्बई प्रदेश बड़ा प्रदेश नहीं है, हमारे प्रदेश

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

से छोटा है, लेकिन वहां ५२.२ प्रतिशत खर्च होता है। मद्रास में ५८.२ है, हैदराबाद में ५३.५ है, कूच में ६८.५ है। विन्ध्य प्रदेश में ४९.१० है, जो सबसे छोटा प्रदेश है। तो यह कह देना कि बजट के मुताबिक खर्च होता है यह भी बिल्कुल गलत है। सरकार बजट के मुताबिक प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय बिल्कुल करती ही नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे श्रीमन्, कि सारे देश में कुल जो व्यय होता है सरकार का प्रारम्भिक शिक्षा पर, वहां भी हमारा प्रदेश बहुत गिरे हुये दर्जे में आता है। हमारे प्रदेश में ६२.७ खर्चा सरकार बर्दाश्त करती है जब कि हैदराबाद में ९८.३, मध्य भारत में ९९.१, मैसूर में ९९.७, पेप्सू में ९८.८, राजस्थान में ९३.२, सौराष्ट्र में ९९, ट्रावनकोर-कोचीन में ९२.३, अन्डमन नीकोबार में १०० प्रतिशत और बम्बई में ७६ प्रतिशत सरकार खर्चा बर्दाश्त करती है। तो सदन इससे भी जानकारी हासिल कर सकता है कि सरकार की कितनी उपेक्षा है प्रारम्भिक शिक्षा के प्रति। इसके अलावा सरकार जो सीधे प्राइमरी स्कूलों पर व्यय करती है उसको देखने से सरकार की तस्वीर साफ देखने में आती है। बम्बई प्रदेश में लड़कों और छात्राओं पर सरकार ९ करोड़ ७० लाख रुपये खर्च करती है, मद्रास में ९,८४,३५,८३६ रुपये खर्च करती है और हमारे उत्तर प्रदेश में केवल ३ करोड़ ७० लाख रुपये सरकार खर्च करती है। जिसमें छात्राओं के जो स्कूल हैं वे भी शामिल हैं। सारे देश की आबादी ३४ करोड़ कई लाख की है और हमारे प्रदेश की आबादी ६ करोड़ ३२ लाख की है। १/५वां हिस्सा आबादी है, लेकिन जब हम प्रारम्भिक शिक्षा का अन्दाज लगाते हैं तो १/१० पर पहुंचते हैं। १/५ की आबादी और १/१० का खर्च। तो यह कहना कि सरकार खर्च करती है वह इस हिसाब से भी गलत है। अगर आप देखेंगे तो कुल भारतवर्ष का खर्चा प्रारम्भिक शिक्षा पर ३६ करोड़ ४८ लाख कुछ हजा ररुपये का है और हमार प्रदेश में ३ करोड़ ७० लाख का है। इस लिहाज से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि प्रारम्भिक शिक्षा पर छात्र-छात्राओं के लिये हमारी सरकार नहीं के बराबर खर्च करती है।

श्रीमन्, इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार प्रारम्भिक पाठशालाओं में भी राजनीतिक अखाड़े कायम करती चली जा रही है। अभी माननीय पं० ब्रजविहारी मिश्र जी ने कहा कि निरीक्षक विद्यालयों और असिस्टेंट निरीक्षक विद्यालयों को जिला बोर्डों के अधीन कर देना चाहिये। मैं सख्त मुखालिफत करता हूं इस सुझाव की। हमारा निजी अनुभव है श्रीमन्, कि जहां पर इस तरह के लोग हैं जिला बोर्डों के अधिकारी वह प्रारम्भिक पाठशालाओं में काम करने वाले अध्यापकों से राजनीति में काम लेते हैं और यह मेरे पास नोटिस छपी हुई है, जिसकी कापी हमने शिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्री जी को भेज दी है, इसमें पाठशालाओं के अध्यापक राजनीति में हिस्सा लेते हैं। नोटिस उनके नाम से छपती है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---उनको अधिकार है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---तब तो ठीक है, वह मजे से राजनीति में हिस्सा लें। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह विश्वविद्यालयों के प्रति सरकार की भावना है उससे और खराब हालत प्रारम्भिक शिक्षा की होती चली जायगी। मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार पढ़ाई-लिखाई के अलावा जो वेतन इनको देती है, वह बहुत ही कम है। हमारे प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा के अध्यापकों को सब से कम वेतन मिलता है, ६८ रुपये से लेकर ७० रुपये तक प्रारम्भिक शिक्षा के अध्यापकों को अन्य प्रदेश में मिलती है। हमारे प्रदेश में जो तनख्वाहें दी जाती हैं अध्यापकों को तो वह ठीक वक्त पर नहीं दी जाती हैं। जिला बोर्डों को ग्रान्ट ठीक समय पर नहीं दी जाती है। मालगुजारी न दें तो जेलखाने जायं, टैक्स न दें तो जेलखाने जायं,

लेकिन जहां अध्यापकों के वेतन का सवाल आता है तो सरकार कोई निश्चित प्रोग्रा लाती नहीं है और ठीक वक्त पर नहीं देती है। मैं निवेदन करूंगा कि प्रारम्भिक शिक्षा पर जो बहुत कम खर्च होता है उसको ज्यादा करें और जो माननीय गंगाधर मैठाणी का संशोधन है कि १९५७ तक अनिवार्य कर दिया जाय, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प माननीय वीरेन्द्रपति जी यादव' ने प्रस्तुत किया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी देश क्यों न हो, वह कितना प्रगतिशील है, उसको हम इससे जान पाते हैं कि वहां कितने प्रतिशत लोग पढ़े-लिखे हैं और किस तरह की उनको शिक्षा दी गई है और यह भी अपनी जगह पर सही है कि हमारी शिक्षा का कोई भी ढांचा क्यों न हो उसकी बुनियाद प्रारम्भिक शिक्षा होती है।

इस सदन के अन्दर जिन साथियों ने अपने भाषण दिये उन्होंने आंकड़े देकर बतलाया है कि हमारे प्रान्त के अन्दर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी तादाद १०.८ प्रतिशत है जब कि हमारे इस देश के अन्दर ही ऐसे हिस्से हैं जहां की तादाद २३.८ प्रतिशत है। यह भी बतलाया गया है कि स्त्रियों की जो तालीम है, उसके आंकड़े यहां ३.६ प्रतिशत हैं जहां और जगह १३.५ प्रतिशत हैं। उनका खंडन करते हुये शर्मा जी ने कहा था कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारे प्रदेश में शिक्षा पाये हुये लोगों की जो प्रतिशत संख्या है वह और प्रदेशों से कम है। परन्तु उन्होंने संतोष किया और यह बतलाया कि जहां तक शहरी तालीम का सम्बन्ध है हमारे प्रान्त का हमारे देश में तीसरा नम्बर आता है।

मैं इस प्रश्न को जैसा कि इसमें है इस दृष्टि से देखता हूं कि जहां तक प्रगति का सम्बन्ध है, मेरे पास श्रीमन्, बहुत से आंकड़े हैं और मैं कह सकता हूं कि पिछले दस साल में हमारे प्रदेश ने प्राइमरी एजूकेशन में, माध्यमिक ऐजूकेशन में और हायर एजूकेशन में काफी तरक्की की है। परन्तु जितनी होनी चाहिये थी या जितनी कि हम आशा करते थे उतनी नहीं हो सकी है। मैं सिर्फ कुछ आंकड़े दूंगा, वह शायद सरकार की तरफ से भी दिये जा सकते हैं। मैं १९४५–४६ और १९५४–५५ के आंकड़ों से तुलना करना चाहता हूं। १९४५–४६ में हमारे यहां शिक्षा पर २,५७,४६,००० रु० खर्च होता था वह १९५४–५५ में ९,४६,४६,५०० हो गया और १९४५–४६ में प्रायमरी शिक्षा पर ९०,७८,२०० और १९५४–५५ में ३,९३,९७,५०० और लड़कों की प्राइमरी में तादाद ४५–४६ में ११,९५,६३६ और १९५४–५५ में २२,८३,४३३ और लड़कियों की तादाद ४५–४६ में १,७५,०५८ और १९५४–५५ में ४,११,११२, जैन्ट्स टीचर्स की तादाद बेसिक प्राइमरी में १९४५–४६ में ३८,३७६ और १९५४–५५ में ६९,९९३ और लेडीज टीचर्स की तादाद १९४५–४६ में २,६१० और ५४–५५ में ६,५५९ हो गई। जहां तक प्रगति का सम्बन्ध है वह तो इन आंकड़ों से हमें दिखाई देती है, लेकिन इसके अन्दर मैं यह बात जरूर महसूस करता हूं कि जब हमारा शिक्षा का बजट २ करोड़ ५७ लाख का था तब हमारे इस प्रदेश का बजट १२, १३ करोड़ का होता था जिसके मानी यह थे कि १८, १९ परसेंट तालीम पर हमारा खर्चा होता था। आज हमारा बजट ९० करोड़ का है उसमें ९ करोड़ ४६ लाख की बात जब हम देखते हैं जो कि १० परसेंट के करीब आता है तो जरा कुछ अच्छा सा नहीं मालूम होता है। इसका कारण माननीय मंत्री जी कह सकते हैं और मैं भी कह सकता हूं और सब जानते हैं कि चूंकि हमारे इस प्रदेश के अन्दर डेवलेपमेंट एक्टीविटीज बहुत बढ़ रही है और जब डेवलपमेंट एक्टीविटी बढ़ रही हैं, तो प्रायोरिटी फिक्स करने की बात है कि हम एजुकेशन को बढ़ायें या जो हमारी आर्थिक स्थिति है पहले उसको बढ़ायें। निस्सन्देह मैं इस बात को मानता हूं कि

[श्री नवलकिशोर]

देश का डेवलेपमेंट अत्यन्त आवश्यक है, परन्तु साथ ही साथ मेरा यह भी मत है कि हम कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारी जनता के अन्दर उचित ढंग से शिक्षा न हो। कुछ लोगों ने बतलाया कि ५०–५१ तक १० हजार स्कूल खोले गये और उसके बाद वे बन्द हो गये। मान्यवर, मेरा यह विचार है कि बजाय इसके कि नये स्कूल खोले जायं मैं यह चाहता हूं कि जितने स्कूल आपके पास हैं उनको आप कंसोलिडेट कर दें। जिस चीज की उनके अन्दर कमी है, टीचर की कमी या मैटीरियल की कमी उसको आप पूरा कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। जिस समय वह १० हजार स्कूल खुले थे, उस समय का कुछ अनुभव मुझे भी है और मुझको भी १००, १५० स्कूलों को देखने का अवसर मिला। उस समय इन स्कूलों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ट्रान्सफर करने की बात थी। वह उस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधीन नहीं थे जब कि मैंने उनका मुआयना किया। मैंने ऐसे स्कूल भी देखे जहां पर १०, ११ विद्यार्थी थे और ३, ४ टीचर थे, लेकिन आज जब कि आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ट्रान्सफर कर चुके हैं तो कम से कम मैं अपने जिले बरेली की जानता हूं कि कहीं आपको यह शिकायत नहीं मिलेगी और वहां पर ४० विद्यार्थी के ऊपर एक टीचर से ज्यादा का औसत नहीं बैठता है। आज स्थिति यह है कि नये स्कूलों के लिये हमारे पास टीचर्स की तादाद भी ज्यादा नहीं है।

जहां तक इमारत का सवाल है उसके लिये एक हजार रुपया आप देते हैं। वह रुपया आपने दिया तो वहां के लोगों ने मिल कर स्कूल बना दिया। मैं सब जगहों की तो नहीं जानता, लेकिन कुछ जगहों पर जहां सरकार ने १ हजार रुपया दिया वहां पर २, ४ कच्ची दीवारों के अलावा और कुछ नहीं खड़ा था। आज हमारे सामने प्रश्न यह है कि प्रारम्भिक शिक्षा बढ़नी चाहिये। लेकिन मैं इस बात पर भी जोर देता हूं कि हमारी शिक्षा पद्धति क्या हो? मुझको इस सम्बन्ध में श्रीमन्, एक कहानी याद आ गयी। मैंने सुना कि एक दफा मास्को में किसी नर्सरी स्कूल में मार्शल स्टालिन को जाने का अवसर हुआ। उसने वहां देखा कि एक छोटे बच्चे ने छोटे-छोटे ढेले इकट्ठा करके एक छोटा सा मकान बनाया और स्टालिन से कहा कि यह मेरा मकान है। स्टालिन ने उसके बाद यह आर्डर ईशू किया कि जितने छोटे ढेले वहां पर अथवा अन्य नर्सरी स्कूलों में हैं उनको हटवा दिया जाय। उसने बाद को बताया कि मेरा मन्शा यह था कि जब यहां से वे छोटे ढेले हट जायंगे तो कोई अकेला लड़का मकान नहीं बना सकेगा और यह नहीं कह सकेगा कि यह मेरा मकान है। वहीं पर यदि बड़ी ईंट इकट्ठा होगी तब बड़ी ईंटों को एक बच्चा न उठा सकेगा। उसको बहुत से बच्चे मिल कर उठायेंगे और वे अगर मकान बनायेंगे भी तो सब ही कहेंगे कि हमारा मकान है। उदाहरण देने का मेरा मन्तव्य यह था कि अगर हम अपने देश में चाहे डेमोक्रेसी की बात कहें, चाहे सोशल डेमोक्रेसी की बात कहें और चाहे सोशलिस्ट पैटर्न की बात कहें जो भी ढांचा हम अपने देश में बनाना चाहते हैं उसकी शुरुआत ३, ४, ५ वर्ष के बच्चे से होती है जो कि प्राइमरी स्कूल से अपने जीवन को शुरू करता है तो जब तक कि आप उन बच्चों को वह शिक्षा नहीं देंगे चाहे वह सोशलिस्टिक पैटर्न की हो, चाहे डेमोक्रेसी की हो, वह टेम्परामेंट नहीं पैदा करेंगे, जिसके आधार पर आप अपना कोई सामाजिक या राजनीतिक ढांचा बनाना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी देश के राष्ट्रीय निर्माण का आधार वहां की शिक्षा ही होती है। मुझे दुःख है कि जब यहां अंग्रेजों का जमाना था तो हम कहते थे कि यहां की तालीम निकम्मी है और उससे हमारे देश का हित नहीं होने वाला है, लेकिन आज देश को आजाद हुए ७ वर्ष से अधिक हुए, पर मैं नहीं समझ पाया हूं कि यहां अभी तक कोई शिक्षा नीति निर्धारित हो सकी है या नहीं। हमने अपने यहां बहुत से एक्स-पेरीमेंट्स किए हैं प्राइमरी एजूकेशन के, हायर सेकेंडरी एजूकेशन और ऊंचे एजूकेशन

के भी, लेकिन हम उनसे किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे बल्कि और उलझते ही गए मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि—

"Confusion has been made worst confounded"

जब हम अपने यहां के छोटे-छोटे बच्चों के बस्तों को देखते हैं तो उनमें इतनी अधिक किताबें मिलती हैं कि देख कर हैरान हो जाते हैं कि बच्चा किस तरह उस बोझ को उठा सकता है। हमें भी तालीम प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ था, हमने भी अपने जमाने में शिक्षा पाई, लेकिन अब जितनी किताबें छोटे बच्चों के दिमागों पर लाद दी जाती हैं बिना इस बात के सोचे हुए कि इसका उनके दिमाग के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा और एक हेपहेजार्ड तरीके से वहां सब चीजें चलती जाती हैं। इसकी तरफ हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सब का फल यह हो रहा है कि हमारा एजूकेशन का स्टैन्डर्ड दिन पर दिन गिरता जाता है।

आज के विद्यार्थी के और पिछले ७ या ८ साल पहले के विद्यार्थी को अगर आप मिलायें तो उन दोनों के स्टैंडर्ड में आप जमीन आसमान का अन्तर पायेंगे। अब प्रश्न यह है कि आगे हमारी शिक्षा की पद्धति क्या हो, कौन से प्रकार की शिक्षा हम अपनावें। आप एक चीज यही देखें कि यह नई हिन्दी की लिपि आई है, छोटे-छोटे बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं, मैं उस लिपि की बहस में तो नहीं जाता, क्योंकि मंत्री जी कहेंगे कि वह केन्द्रीय सरकार की बात है हमारे अधिकार की नहीं है। लेकिन इतना मैं कहता हूं कि यह नई लिपि जो सारे देश में इन्ट्रोड्यूस हुई है और जब मैं छोटे-छोटे बच्चों की यह नई लिपि की किताबें देखता हूं तो मुझे तो उनको पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होती है और मैं नहीं समझ पाता कि कैसे बच्चे उसको पढ़ते होंगे। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हमने शिक्षा के मार्ग में बड़े बड़े एक्स-पेरीमेंट किए और उनका परिणाम यह है कि हमने अपने यहां तादाद तो बढ़ाई एजूकेटेड यूथ्स की तादाद बढ़ी, प्राइमरी शिक्षा में भी, यूनीवर्सिटी में भी, तादाद सब जगह बढ़ी, लेकिन हमने इस तरह के एजूकेटेड यूथ्स बढ़ाये जो बेकार घूमते हैं और जिनको एम्प्लायमेंट नहीं मिलता और मुझे तो इस प्रकार की शिक्षा से बजाय हित के देश का अहित ही दिखाई पड़ता है।

माननीय मिश्र जी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टीचर्स स्कूलों में चारपाई पर पांव पर पांव रख कर लेटते हैं, एक छड़ी उसके पास रहती है जिसे वह कभी कभी चला देते हैं और ऊंघ में कभी-कभी जब नींद कुछ खुलती है तो कह देते हैं कि "पढ़ो पढ़ो।" हमें यह देखना चाहिए कि सम्भवतः इसका मूल कारण भी कुछ होगा। हम अपने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टीचर्स को, जिनको हम अपने राष्ट्र का निर्माता कहते हैं, जिनके हाथ में हम अपने ७–८ साल तक के बच्चों को आरम्भ में सौंपते हैं उनको क्या वेतन देते हैं। यह आयु ऐसी है कि जिसमें बच्चा जीवन भर के लिये सीखना आरम्भ करता है। साक्रेटीज ने कहा था कि—

"give me the first five years of a child and you take the rest."

मुझे बच्चे के पहले ५ साल दे दो और बाकी चाहे किसी को दो। मतलब यह है कि यह वह आयु है जब बच्चे का दिमाग बनता है, उसके विकास की नींव रखी जाती है, जिसके ऊपर उसकी शिक्षा और उसके मानसिक विकास का ढांचा बनता है। हम अपने ऐसे मासूम बच्चों को उन टीचर्स के हाथ में देते हैं जिनका वेतन इतना कम है कि वह उससे जीवन के साधन भी नहीं प्राप्त कर सकते तो फिर यह स्वाभाविक ही है कि उनकी हम यह शिकायत सुनने को मिले। वह अपने चेयरमैन और एजूकेशन के चेयरमैन के पास आते हैं और कहते हैं कि हम अपने गांव के आदमी को स्कूल में रखने दिया जाय, ताकि वह [illegible] या कोई दूसरा [illegible]

[श्री नवलकिशोर]

घर पर रह कर कर सकें, जिससे उनकी उदरपूर्ति हो जाय। और जब वह इस तरह से दूसरे खेती या अन्य व्यापार का काम करते हैं तो वह शिक्षा की तरफ अधिक ध्यान नहीं दे पाते। मैं जानता हूं कि सरकार के सामने आर्थिक कठिनाइयां हैं और शिक्षा मंत्री जी कहेंगे कि आर्थिक कठिनाई हमारी है और हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं कि हम इन तमाम टीचर्स का वेतन बढ़ा सकें। लेकिन इस कठिनाई को ही हम हमेशा कहते रहें तो उससे इस समस्या का हल नहीं होने वाला है। कोई न कोई कदम और मजबूत कदम उठाना पड़ेगा ताकि हम उन अध्यापकों को जो उनकी आर्थिक कठिनाइयां हैं उनसे मुक्त कर सकें। इसके अलावा हमारे स्कूलों के अन्दर फर्नीचर नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें संदेह नहीं है कि हमारे प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा को तेजी से बढ़ाना चाहिये, लेकिन खाली हैफहैजर्ड वे में स्कूलों को खोलते हुये चले जायं, जिनमें न फर्नीचर हो, न इक्विपमेंट हो, न ट्रेंड टीचर्स हों तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि एक कठिनाई और है जिसका मुझे अनुभव भी है कि कई जगह ऐसे स्कूलों को हमने खोला पर वहां से उनको हटना पड़ा। मैं समझता हूं और जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि हमारा प्रदेश एक ऐग्रीकल्चरल प्रदेश है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से आदमी चाहे वे बैकवर्ड क्लासेज के हों, चाहे वे खेती में लगे हुये लोग हों, वे चाहते हैं कि उनके बच्चे जानवर चरायें, ढोर चरायें लेकिन वह इसको उचित नहीं समझते कि अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में भेजें। तो अगर हमको शिक्षा को आगे बढ़ाना है तो हमें लोगों में एजूकेशन के प्रति कांशसनेस उत्पन्न करनी पड़ेगी।

फंड्स की कमी पूरी करने के बारे में मेरा एक प्रस्ताव है कि गवर्नमेंट यदि चाहे तो इस बात पर विचार करे कि एक एजूकेशन सेस की बात सोची जाय और धनवान तथा शिक्षित लोगों से वह सेस लिया जाय ताकि फंड आवें और लोगों को पढ़ाया जा सके।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प जो इस प्रदेश के बच्चों से जो निकट भविष्य में ही इस देश के नागरिक बनने वाले हैं सम्बन्धित है और उनकी जिन्दगी के उस पहलू से जिसका ताल्लुक उनको एक अच्छा नागरिक बनाने से सम्बन्धित है इसलिये उसकी शुद्धता, कोमलता, उसके महत्व और उसकी आवश्यकता के बारे में इस आदरणीय सदन में और जनता में भी दो रायें नहीं हो सकतीं। इस महत्वपूर्ण संकल्प को प्रस्तुत करके उस विषय पर विवाद करने का अवसर देने के लिये मैं वीरेन्द्रपति जी यादव को हार्दिक बधाई देता हूं। इस संकल्प में संविधान का हवाला आया है। यह गम्भीर प्रश्न जो आज हमारे सामने उपस्थित है वह नया नहीं है और न आज ही इसका इतना महत्व बढ़ गया है बल्कि जब संविधान बनाया गया था उस वक्त भी यह सवाल इतना ही गम्भीर था, उसका महत्व इतना ही ज्यादा उस समय था। हमारे संविधान के बनाने वाले महानुभावों ने उस समय भी उस पर समुचित विचार किया था और उसमें जो उनका आदरणीय निश्चय है उसको हम अच्छी भांति पाले हैं। संविधान में दो प्रकार की डिमोक्रेसी स्थापित करने की बात कही गई है, पोलिटिकल डेमोक्रेसी और एकानामिक डिमोक्रेसी। पोलिटिकल इंडिपेंडेंस तो हमें मिली इसीलिये संविधान के बनाने वाले महानुभावों को पोलिटिकल डिमोक्रेसी के ढांचे को निश्चित करने का मौका मिला और उन्होंने वह स्थापित किया, लेकिन चूंकि उस वक्त एकानामिक इंडिपेंडेंस प्राप्त नहीं हुई थी इसलिये एकानामिक डिमोक्रेसी का ढांचा तो उन्होंने निश्चित कर दिया लेकिन उसके स्थापित करने का क्या ढंग होगा, उसकी क्या रीति-नीति होगी यह आने वाली सरकारों पर, उनकी आइडियालोजीज पर और उनके रिसोर्सेज पर

छोड़ दिया। अब इसके अन्दर इस इकनामिक डिमोक्रेसी का वह अंश जो १४ वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जिन्दगी से सम्बन्धित है और उसमें जो १० साल का नकशा था वह संविधान में साफ है और उसमें उन्होंने यह बात साफ कही कि इस उम्र के बच्चों को बड़े कल-कारखानों, जिनमें उनको बड़ी मेहनत पड़े, उनमें नहीं रखना होगा। तो प्रश्न यह उठता है कि वह बच्चे कहां जायेंगे? डाक्टर अम्बेदकर ने कहा कि सारे बच्चे शिक्षा पायेंगे, उनको शिक्षा देना बहुत आवश्यक है, लेकिन वित्तीय साधन किसी राज्य के शुरू-शुरू में इतने अच्छे नहीं हो सकते कि वह तमाम स्टेट के बच्चों को तालीम दे सकें। इसलिये संविधान में यह रक्खा गया कि शुरू शुरू में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों तरफ से यह कोशिश की जाय कि अधिक से अधिक मात्रा में वहां के बच्चों को शिक्षा दी जाय और यह कोशिश की जाय। संविधान की धाराओं को हम देखेंगे तो उनमें साफ लिखा हुआ है कि राज्य सरकारें पब्लिक सेक्टर की तरफ बराबर ध्यान दें और राज्य सरकार उसमें बताये हुए ढंग से चलेंगी तो उनके पब्लिक सेक्टर इतने मजबूत हो जायंगे कि वे अपने राज्य के अन्दर दस वर्ष के अन्दर प्रारम्भिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से करने में सफल हो सकेंगे। शिक्षा के महत्व के सम्बन्ध में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम भलीभांति जानते हैं कि अच्छी शिक्षा से एक आदमी अपने मुल्क में अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, अच्छा देशभक्त बन सकता है और क्या-क्या नहीं बन सकता है और शिक्षा के अभाव से एक शख्स अपने मुल्क के लिये लायबिलिटी बन सकता है, एक डाकू बन सकता है, चोर बन सकता है और न मालूम क्या-क्या पाप कर सकता है? जिसके ऊपर न मालूम उस रकम से कितना ज्यादा सरकार को खर्च करना पड़ सकता है जो उसको शिक्षित करने में खर्च करना पड़ता। इसलिये शिक्षा के सम्बन्ध में हम भलीभांति जानते हैं कि यह बहुत आवश्यक है। एक मनुष्य का साइंटिफिक आबजर्वेशन है कि हम कमियां देखते-देखते आदी हो जाते हैं। हम देखते हैं कि बिजली का पंखा चलता है, हम देखते हैं कि बिजली का बल्ब जल रहा है लेकिन यह पंखा कैसे चलता है और बल्ब कैसे जलता है इसको हम सोचने की जरूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि हमें देखने की आदत पड़ गई है। इसी प्रकार शिक्षा का लेना बहुत जरूरी सवाल है, बहुत आवश्यक चीज है, लेकिन हम रोज सैकड़ों की तादाद में गांवों के बच्चों को गलियों में घूमते, बेकार फिरते देखते हैं और इतने महत्वपूर्ण सवाल को उस सायकालोजी के असर के मातहत भूलते जा रहे हैं।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह आगे बढ़े और इसकी इम्पार्टेन्स पर उचित ध्यान दे। आजकल जो तरीका श्रीमन्, प्रारम्भिक शिक्षा देने का है वह केवल देहातों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मातहत है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से मेरा कुछ सम्बन्ध है इसलिये मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की शिक्षा को अच्छी तरह जानता हूं। लोकल बाडीज हमारे मुल्क में बहुत पुरानी हैं। अंग्रेजी के जमाने से चली आती हैं। लोकल बाडीज को स्थापित करने का जो आशय था वह मैं समझता हूं यह था कि वे उनको बहुत ज्यादा काम देते थे और उनको साधन कम देते थे। जिससे विधेशियों का यह मतलब था कि वे हमको इनएफिशियेंट करार दें। आज अपनी सरकार है। मैं चाहूंगा कि अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को आप शिक्षा का काम सौंपते हैं तो पर्याप्त मात्रा में उनके लिये धन का इन्तजाम करें वर्ना कोई भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चाहे वह कितना ही कर्मठ क्यों न हो भली प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सकता। जो स्कूल हैं वे कम हैं, कम होने के साथ-साथ जो शिक्षा उनको अन्दर दी जाती है उसको अगर आप देखें तो और भी हमारा दुख बढ़ जाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं न ब्लैक बोर्ड है, न टाट कक्षा है। बच्चे अच्छे और साफ सुथरे जाते हैं और गन्दे होकर आते हैं। अच्छी आदतें घर पर सीखते हैं और स्कूल से गन्दी आदतें सीख कर आते हैं।

[श्री शिवराजसिंह यादव]

न क्वांटिटी सन्तोषजनक है और न स्तर ही सन्तोषजनक है। शिक्षा के सम्बन्ध में मुख्तलिफ विचार हो सकते हैं। मुल्क में तीन प्रकार की शिक्षा हो सकती है। प्रारम्भिक, माध्यमिक और उच्चतर। तीनों शिक्षाओं के लिये भिन्न-भिन्न विचार हो सकते हैं कि किसे प्राथमिकता देना चाहिये। मेरा तो विचार है कि एक नई डेमोक्रेसी में जरूरत इस बात की है कि प्रारम्भिक शिक्षा पर ध्यान ज्यादा हो और उसका स्तर ऊंचा हो वर्ना वहां के नागरिक सरकारी कानूनों को भली प्रकार से नहीं समझ पायेंगे, उसकी योजनाओं को एप्रिशियेट नहीं कर पायेंगे और उसको जितने सहयोग की आवश्यकता है वह नहीं दे पायेंगे। जो आजकल हम मुल्क में देखते हैं उसके अनुसार गांव वाले शिक्षा का उल्टा मतलब लगाते हैं। मिसाल के लिये अभी हमारे देहात में मवेशियों को टीका लगवाना शुरू हुआ कुछ लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि यह जानवरों को मारने की प्रथा है। लोगों ने टीका लगवाना बन्द कर दिया। इस तरह की जहालत है। कोई प्रदेश में योजना चलाना चाहते हैं, हम कर नहीं पाते हैं। हमारी अज्ञानता इसका मुख्य कारण है। अगर हम इस समय इस पर फैसला नहीं करेंगे तो एक पुश्त हमारी अशिक्षित रह जायगी। हम पचास वर्षों के लिए इस महत्वपूर्ण सवाल को छोड़ रहे हैं और जो नुकसान होगा उस सम टोटल को मेजर करने की कोशिश करें, तो बड़ा दुःख होता है। इसलिये इन दोषों को शीघ्र से शीघ्र दूर करने के लिये सरकार इस संकल्प को मान ले।

एक पोलिटिकल थाट है। जहां डेमोक्रेसी होती है वहां प्रश्न के ऐब्सोल्यूट वेल्यू पर ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि उसके रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर पर ध्यान दिया जाता है। अगर यह सवाल इस सदन में गिर जाता है, तो मैं इसकी वजह केवल यह समझूंगा कि इस सदन में उन मासूम बच्चों के कोई नुमाइन्दे नहीं हैं, हम सब बालिग मताधिकार से आये हुये हैं और उनके इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर जितना ध्यान देना चाहिए, हम उतना नहीं दे रहे हैं। मैं शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इस संकल्प को वह स्वीकार करेंगे और इस देश और प्रदेश का कल्याण करेंगे।

श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में इस समय उपस्थित इस संकल्प का हृदय से स्वागत करता हूं जिसके अन्दर अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क रूप में दी जाय यह बहुत बड़े महत्व की बात है। मेरा खयाल यह है कि इस वर्तमान काल में जो शिक्षा चल रही है, उसमें समता की एक बहुत बड़ी शैली बन जायगी।

प्रारम्भिक शिक्षा ठीक न होने के कारण से उसमें बड़े दूषण पैदा होते हैं। लिखा हुआ है "मन न नवै फिर उकठ उकाठू"। बचपन में जब बांस टेढ़ा हो जाता है तो उसके सुधार करने में बहुत बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसे ही बाल्यकाल की शिक्षा जब टेढ़ी हो जाती है तो उन बालकों के सुधारने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विद्या मनुष्य का भूषण कही गयी है। लेकिन भूषण यदि पहनते न बने तो दूषण के रूप में आ जाता है। मैं एक जीता जागता उदाहरण देना चाहता हूं बाल्यकाल की शिक्षा के सम्बन्ध में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् राम बाल्यकाल में गुरुदेव वशिष्ठ के यहां पढ़ने जाते हैं। "गुरु गृह पढ़न गये रघुराई, अल्प काल विद्या सब आयी।" थोड़े ही दिनों सुन्दर विद्या उनको आ गयी। आज कल मैं देखता हूं कि पढ़ने के लिये शिक्षित लोग घरों पर आते हैं। लेकिन फिर भी वह शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पाती है, जिस शिक्षा से उनका कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। यह मानना पड़ेगा कि शिक्षा की पद्धति में दूषण अवश्य है। भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ के यहां पढ़ करके क्या सीखा उसका भी जीता जागता उदाहरण है "प्रातःकाल उठि के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहिं माथा" "आयुसु मांगि करें पुरकाजा, देखि चरित हरषें मन राजा।" हमें उदाहरण मिलता है, बाल्य-काल की उस शिक्षा का। लेकिन मैं आज देखता हूं कि उसके विपरीत शिक्षा पद्धति हो गयी है। "नहिंगावहिं मात पिता गुरु देवा, मोहन से करवावहिं सेवा"। जिनके यह आचरण भवानी, तेनिश्चर सम जानहु प्राणी।"

में बाल्यकाल में जब विद्यार्थी था तो एक बार श्री अयोध्या जी गया। वहाँ पर एक ईसाई महिला दो-दो पैसे की पुस्तकें बेच रही थी। उसको मैंने खरीदा और खरीद कर तत्काल पढ़ा और पढ़ने के बाद दो बातें मुझे फौरन् याद आ गयीं। उसके अन्दर लिखा हुआ था "जियत पिता नहिं पूछें बात, मरे पिता को दालिव भात, जियत पिता सो दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचावै गंगा।" यह शिक्षा की शैली उल्टी हुई है जो कि मानव समाज में बढ़ती जा रही है। इस शैली को मिटाने के लिये हमें भरसक प्रयास करना है। हमारी शिक्षा पद्धति वैसी हो कि जैसी किसी जमाने में हमारे भारत वर्ष में थी और हमारे भारत वर्ष की मानवता और मनुष्यता, इंसानियत इतनी ऊंची थी कि दुनिया के कोने-कोने के लोग हमारे भारतवर्ष में शिक्षा लेकर उअपने अपने मुल्कों में जाकर उसका प्रचार करते थे। यह हमारा वह भारतवर्ष था कि—

यह भरतखंड समीप सुरसरि, थल भलो संगति भली,
बैरी कुमति कायर कलपवल्ली चहत विषफल फली।

श्रीमन्, शिक्षा की यह पद्धति हमें अमानुषिक व्यवहार की ओर ले जा रही है। हमें अपने देश में उसी पुरानी मानवता को लाने के लिये इस शिक्षा पद्धति को सुधारना है।

इसका सबसे बड़ा कारण, मैंने जितना समझा है, सबसे प्रथम तो माता पिता का दोष होता है, उसके पश्चात् शिक्षा गुरू का और तत्पश्चात् सरकार का दोष है। आज कल यह पद्धति हो गई है कि माता पिता बालकों को केवल उदर पूर्ति की शिक्षा देते हैं। इसका हमें उदाहरण मिलता है।

"मात-पिता बालकन बुलावहिं, उदर भरहि सो धरम सिखावहिं।" यह शिक्षा दी जाती है आजकल। मैं तो दावे के साथ कहुंगा कि बालकों की शिक्षा का सुधार सब से प्रथम माता पिता पर है, तत्पश्चात् शिक्षा गुरु का होता है। उदाहरण हमारे पास उपस्थित है। कौरव काल की शिक्षा का उदाहरण हमारे पास है। जब कि अर्जुन की धर्मपत्नी को गर्भ था तो उस समय उन्होंने चक्रव्यह भेदन की बात अपनी पत्नी को समझायी थी। उस समय गर्भावस्था में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन का जो अनुभव प्राप्त किया था उसके बल पर उसने कौरव पांडेय युद्ध में चक्रव्यूह का भेदन करके बड़े बड़े वीरों के छक्के छुड़ा दिये थे। तो यह उस समय की गर्भकाल की शिक्षा थी। मेरे कहने का आशय यह था कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतान भी होती है और सब से पहले माता पिता को चाहिये कि वे अपनी संतान को ऐसी शैली सिखायें कि जैसी अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु को सिखाई थी और अभिमन्यु जैसे लाल पैदा हों। शुकदेव मुनि गर्भ से ही त्यागी बन कर निकले थे। क्या कारण था? उनके माता पिता में वह शक्ति थी, उनमें वह अध्यन शैली थी, उनमें वह आत्मविद्या थी, उनमें ऐसी सुन्दर शिक्षा थी कि जिसके कारण ऐसे ऐसे लाल हमारे देश में पाये जाते थे। आज भी हो सकते हैं जब कि माता पिता, गुरू और सरकार इस ओर पूर्ण रूप से ध्यान दें। मैं शहर लखनऊ में जब देखता हूं कि माता पिता अपने समस्त परिवार के साथ सिनेमा घर में घुस जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे उसमें से नयी शिक्षा लेकर लौटते हैं तो मुझे ताज्जुब होता है। मैं यही एकदिन पूजा कर रहा था कि मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा गुनगुना चला जा रहा था "आजा आजा मोरे बालमा"। मुझे देख कर ताज्जुब हुआ कि यह इसके बाल्यकाल में हालत है, आगे जा कर यह बच्चा किस शैली में ढलेगा और इससे उसका अपना, समाज और देश का कल्याण कैसे हो सकता है? तो यह हमारी शिक्षा शैली है। इस समय हमें इस शिक्षा शैली को अवश्य बदलना चाहिये और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा करके अपने देश के बालकों का सुधार करना है। उन्हें इस योग्य बनना है कि वह बड़े हो कर हमारे देश और समाज का कल्याण कर सकें। मैं तो चाहूंगा और हृदय से चाहता हूं कि हमारे बालकों में वह शक्ति आये, वह शिक्षा उनकी हो, वह अनुभव उनका हो, उनकी धारणा और भावना वह हो कि—

आवेगा वह दिवस भी जब मैं जवान हूंगा,
अरविन्द दास, गांधी, दादा समान हूंगा।

[श्री उमाशंकर मिश्र]

यह भावना हमारे राष्ट्र के बच्चों की होनी चाहिये। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा देश ऊंचा होगा, कोई शक नहीं कि हमारा भारतवर्ष वह भारतवर्ष हो कर रहेगा जो कि किसी जमाने में था और इसलिये मैं अधिक समय न लेकर पुनः यह निवेदन करूंगा कि इस वर्तमान काल की शिक्षा को बदलना है और ऐसी शिक्षा हमें यहां लाना है। जिस तरह से हमारा यह भारतवर्ष, हमारा प्राचीन भारतवर्ष होकर के रहे और दुनिया के लोग देखें कि भारत की शिक्षा इस योग्य हो गयी है।

श्री शान्तिस्वरूप कार्ला—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को अन्तिम अवसर दूंगा।

श्री नवलकिशोर—श्रीमन्, मुझे यह कहना कि है अभी आप की तरफ से कुछ बात नहीं हुई कम से कम पता चल जाय कि आप का क्या व्यू है।

श्री उपाध्यक्ष—नियम तो यह है कि जब क्लोजर मूव हो जाता है तो जिसने प्रस्ताव पेश किया है वह अपनी बात कहेगा और अन्तिम भाषण करने का मौका माननीय मंत्री को दिया जायगा।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी आप से नम्र निवेदन यही करूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री के विचार मुझे मालूम हों और उनका मैं उत्तर दे सकूं।

श्री उपाध्यक्ष—उस हालत में माननीय सदस्य को दूसरा मौका नहीं मिलेगा।

श्री वीरेन्द्रप्रति यादव—उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता तो यह था कि मैं मंत्री जी के विचार सुनने के बाद कुछ २, ४ शब्द कहूं और मैं यह भी समझता हूं खैर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है और मैं कुछ कहने ही जा रहा हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि कम से कम इस सदन के लिये यह एक तरफा सी बात होगी कि शिक्षा मंत्री जी मेरे बाद कहें। लेकिन चूंकि आपकी आज्ञा है, चूंकि एक ऐसी रूलिंग हो चुकी है उसको सभी को उचित ही समझना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव के सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। प्रारम्भ में मुझे जो विचार सुनने को मिले वह माननीय शुक्ला जी के थे। मैं क्या कहूं पहले तो मैं उनके विचार सुनने के बाद कुछ निराश हुआ और दुर्भाग्य से उन्होंने मुझको वह स्थान दिया जो कि एक विरोधी दल के सदस्य को दिया जाता है। चूंकि मैं जहां पर हूं जहां पर मुझे रहना चाहिये वहां पर रहना ही है उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया मैं हैरत में आ गया और दो मिनट के लिये मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वह शब्द क्या हैं मैं कहने जा रहा हूं उस शब्द को सुनने के बाद हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि विधान सभा में हम जैसे लोगों की आवश्यकता है या नहीं। खैर कुछ देर बाद जब हमारे और साथियों ने विचार प्रकट किये जहां से उन्हें निराशा किया, उसके बाद इस सदन के सदस्यों द्वारा आशा ही प्रकट होने लगी। माननीय शुक्ला जी की तरफ से कहा गया कि इस सरकार को सेन्सर करने के लिये, मैं उसी शब्द का प्रयोग करूंगा, इस प्रस्ताव को यहां पर लाया गया है। मैं समझता तो हूं कि सेन्सर के यही माने होते हैं जब सरकार के विरुद्ध

(इस समय ३ बज कर १० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के कुर्सी पर श्री बड़ अधिष्ठाता श्री रामकारसमय त्रिपाठी पीठासीन हुये।)

अविश्वास किया जावे। मैं नहीं समझता कि हमारे विद्वान साथी, जिनको मैं विद्वान ही समझता हूं, उन्होंने ऐसा विचार मेरे लिये कैसे प्रकट किया। और, चूंकि विद्वान हैं, बुजुर्ग हैं, मैं अधिक उनके बारे में नहीं कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा जो मूल प्रस्ताव था उसमें मैंने एक समय निर्धारित किया था। वह समय था १ जुलाई, सन् १९५७ जब तक कि सरकार से यह आशा की जाने वाली थी कि उस समय तक प्रारम्भिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य समस्त प्रदेश के अन्दर कर दिया जावेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस निर्णय पर आया कि जो शब्द मैंने रखे, समय निर्धारित किया, उचित नहीं था। मेरी उस सम्बन्ध में किसी माननीय सदस्य से या किसी सरकारी व्यक्ति से कोई बातचीत या परामर्श भी नहीं हुआ था। लेकिन मैंने समझा कि जहां संविधान ने सरकारों को दस साल का समय दिया है उसके भीतर वह प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से लागू करने का प्रयास करें, वहां यह उचित नहीं था कि उस समय को मैं या यह माननीय सदन दस साल से, छः या सात साल कर दें। जो कुछ मेरी भावना थी इस सम्बन्ध में, वह यही थी।

दूसरी बात यह थी कि सरकार से आशा की जाय कि अपनी कठिनाइयों को जो उसके सामने हैं उनको वह दूर कर सके। तो इन कठिनाइयों के बन्धन के कारण भी यह उचित नहीं था कि उस समय को बदस्तूर रक्खा जाय। इन कारणों से मैंने यही उचित समझा कि इस समय का बन्धन निकाल दिया जाय और संविधान में जो समय दिया गया है उसी के अन्तर्गत सरकार से आशा की जाय कि इस समय के अन्दर वह इस बात का प्रयास करे कि प्रदेश में शिक्षा को, प्रारम्भिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया जावे। इस सम्बन्ध में हमारे मित्र माननीय नौरंगलाल जी ने भी कहा कि यह जो प्रस्ताव है यह अस्पष्ट है। उन्होंने भी विचार प्रकट किया कि समय होना चाहिए था। साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा था कि इस प्रस्ताव में एडल्ट एजुकेशन का कोई प्रश्न नहीं है। यहां पर कुछ न कुछ प्रौढ़ शिक्षा के बारे में भी होना चाहिए। मैं आपके द्वारा यही उनसे कहना चाहता हूं, यह जो प्रस्ताव है वह संविधान की धारा ४५ जो है, उसके सम्बन्ध में है। प्रौढ़ शिक्षा से और इस प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में जो कि अन्तिम संशोधन माननीय रणंजयसिंह जी द्वारा प्रस्तुत किया गया कि जहां संविधान में १४ वर्ष तक के बच्चों का उल्लेख है वहां कक्षा ५ तक रख दिया जाय और इस किस्म का संशोधन केन्द्रीय सरकार करे, इसके बारे में यहां से सिफारिश की जाय। मैं नहीं समझता यह किस तरह से हो सकता है और यह उचित भी नहीं मालूम पड़ता। अगर माननीय रणंजयसिंह जी के संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं समझता हूं कि प्रारम्भिक शिक्षा में, प्रौढ़ शिक्षा में और बीच की शिक्षा में कोई अन्तर ही नहीं रहेगा। अगर उनका संशोधन स्वीकार किया जाय तो बच्चे और प्रौढ़ साथ-साथ बैठकर पढ़ सकेंगे, फिर तो कोई बन्धन ही नहीं रहेगा। यह कह सकते हैं कि प्रौढ़ों को भी प्रारम्भिक शिक्षा दी जा रही है। लेकिन यह उचित नहीं मालूम होता है कि जहां एक छः साल का बच्चा पढ़े, वहीं एक साठ साल का आदमी भी पढ़े, साठ साल की स्त्री भी पढ़े। तो इस तरह से यह जो रणंजय सिंह जी का संशोधन है, मैं समझता हूं कि यह एक मजाकिया सी चीज है, इसको व्यावहारिक रूप कभी भी नहीं दिया जा सकता है। वैसे उनके विचारों का मैं आदर करता हूं और मैं क्या उनके विचारों को सभी लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं। माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि यह ठीक नहीं है कि प्रदेश में शिक्षा की प्रगति नहीं हुई है। यह भी कहा गया कि शिक्षा की प्रगति संतोषजनक रही है,

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

आंकड़े भी प्रस्तुत किये गये कि विद्यार्थियों की शिक्षा भी बढ़ी है, रुपया भी अधिक खर्च किया जा रहा है। प्रारम्भिक शिक्षा हो, चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो, चाहे युनिवर्सिटी एजुकेशन हो, मैं इन विचारों से सहमत हूं, इसमें कोई सन्देह नहीं शिक्षा ने तरक्की की है, शिक्षा ने उन्नति की है, लेकिन यह जो सदन के सामने प्रस्ताव है, इसका उद्देश्य यह था कि जो बढ़ती हुई आबादी है, जिस तेजी के साथ आबादी बढ़ रही है, उसके रेश्यो में जो शिक्षा हमारे प्रदेश में, बच्चों में शिक्षा होनी चाहिये थी उस तरह से नहीं बढ़ रही है। मैं जानता हूं, यह भी ठीक है, जैसा कुछ हमारे साथियों ने कहा कि सरकार का ध्यान यूनिवर्सिटी एजूकेशन की तरफ अधिक जा रहा है। यह भी ठीक है, मैं तो कह देने के लिये तैयार हूं कि अगर उन बच्चों की खातिर या प्रदेश के किसानों की खातिर, किसानों को बढ़ाने की खातिर, या आपके कम्युनिटी प्रोजेक्ट की योजनाओं की खातिर, जितनी आपकी भिन्न-भिन्न योजनाएं चल रही हैं उनको सफल करने की खातिर, अगर यूनिवर्सिटी एजूकेशन को शिथिल करना पड़े तो यह सहन किया जा सकता है। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज बढ़ने वाली हैं, चाहे मेरठ की हो गोरखपुर की हो या बनारस की संस्कृत यूनिवर्सिटी हो, इनको रोक दें तो किसानों के हित में होगा। जो रुपया उधर खर्च करने वाले हों, वह इधर खर्च होगा। मेरा इससे उद्देश्य यह नहीं है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को बिल्कुल बन्द कर दिया जाय, बल्कि प्रारम्भिक एजूकेशन को तरजीह दी जाय, प्रिफरेंस दिया जाय और उसके बाद सेकेंडरी एजूकेशन और यूनिवर्सिटी एजूकेशन को बढ़ाइये। इससे आपके देश का नाम होगा।

यह भी कहा गया कि हमारे अरबन एरियाज में, नगरों में ५४ फीसदी साक्षरता है। मैं मानता हूं, इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है। नगरों में साक्षरता है, उसको और भी बढ़ाया जाय। यह कहा गया कि १२ फीसदी ऐग्रीकल्चरिस्ट क्लासेज में साक्षरता का प्रसार हो रहा है, वह भी ठीक है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह कह देना चाहता हूं कि साक्षरता जो हमारे इतने बड़े प्रदेश में होनी चाहिये, जिसका मान, जिसका आदर यही देश नहीं करता बल्कि विदेशों में भी इस प्रदेश का नाम लिया जाता है, तो वहां साक्षरता एक बहुत बड़ी मात्रा में होनी चाहिये थी। मैं इस सम्बन्ध में यह भी कह देना चाहता हूं कि १९४१ या १९५१ की सेंसस रिपोर्ट्स में बहुत विस्तार रूप से लिट्रेसी के बारे में विवरण नहीं है जो कि १९३१ की सेंसस की रिपोर्ट में है। लिहाजा हम जब आंकड़े देखते हैं तो विशेष रूप से सन् १९३१ के सेंसस रिपोर्ट में जाना पड़ता है। वहां पर आप देखें तो मालूम होगा कि ५८ फीसदी से ज्यादा जनता के साक्षरता के आंकड़े लगाये जायं तो साढ़े तीन फीसदी से अधिक नहीं होगा। अगर २० साल में उसका ऐवरेज और औसत निकालेंगे तो साढ़े चार प्रतिशत है। शहरों की साक्षरता को लीजिये और जो गांव वाले आदमी हैं उनकी साक्षरता को लीजिये। ठीक है सन् १९५१ में जो दिया गया है, ५४ फीसदी शहर के लोग साक्षर हैं, लेकिन ग्राम जनता में जो ग्रामों में निवास करते हैं उनमें ४ फीसदी से आज भी अधिक नहीं हैं।

अभी कुछ साथियों ने कहा कि इमारतों का प्रश्न है, कहां से रुपया सरकार लायेगी? मैं तो कह देने के लिये तैयार हूं कि सरकार पहले अध्यापकों का प्रबन्ध कर ले कि किस तरह से उनको वेतन दिया जायगा? सरकार को इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि बिल्डिंग की तरफ ध्यान अवश्य आकर्षित करे। ध्यान तो थोड़ा बहुत अवश्य करे, लेकिन बाद में होना चाहिये। हमने दूसरे देशों में यह भी देखा है, जहां-जहां प्राइमरी एजूकेशन को फ्री और कम्पलसरी किया गया वहां उन्होंने बगैर बिल्डिंग्स के काम किया। इसी बीसवीं शताब्दी में हमने देखा कि शुरू-शुरू में इंगलैण्ड में भी बच्चे जो पढ़ा

करते थे तो रेलों के आर्चिज में पढ़ा करते थे। फ्रांस, जर्मनी में वहां बिल्डिंग्स की बड़ी टूटी-फूटी हालत थी जहां बच्चे पढ़ा करते थे और जापान और चायना में लड़के मन्दिरों में पढ़ा करते थे। इसी तरह से आज हमारे प्रदेश में भी कम से कम गांवों में कोई ग्राम ऐसा नहीं है जहां बच्चों को पढ़ाने का अगर माकूल इन्तजाम न हो सके, तो कुछ इन्तजाम न हो सके। कुछ माकूल इन्तजाम तो हो ही सकता है। आजकल हमारे यहां पंचायतघर बने हुये हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पंचायत सप्ताह में एक दिन बैठती है। हमारे बाग़ात हैं, वहां बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, धर्मशालाओं में पढ़ाया जा सकता है, पेड़ों के नीचे पढ़ाया जा सकता है। बिल्डिंग्ज का ध्यान सरकार को अवश्य रखना चाहिये लेकिन एक दफा उसका प्रबन्ध न भी हो सके तो हमें इस आधार पर इस समस्या को समाप्त नहीं कर देना है कि चूंकि बिल्डिंग्ज का कोई इन्तजाम हम नहीं कर सकते लिहाजा प्रारम्भिक शिक्षा को हम अनिवार्य लागू नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में अधिक मैं नहीं कहना चाहता। केवल इन दो शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को सीमित रखूंगा और मुझे आशा है जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किया कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, माननीय मंत्री जी भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। जो संशोधन आये हुये हैं मैं उनका अधिक यहां पर उल्लेख नहीं करना चाहता, जब समय आयेगा कि किन-किन संशोधनों को स्वीकार किया जाय उस वक्त अधिष्ठाता महोदय, आपके सामने राय रखी जायगी।

मैं अधिक न कहकर विशेष रूप से माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि यह इस प्रदेश की समस्या है और इस प्रदेश की जनता की खातिर आपको इसका किसी न किसी तरह हल निकालना है और किसी न किसी तरह जो समय निर्धारित है उसके अन्दर इस बात का प्रयास करना है कि शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया जाय और इसके लिये मैंने विशेष रूप से सदन के सामने यही रखा है कि ग्रामीण जनता में निःशुल्क शिक्षा का प्रसार किया जाय। वैसे हम जानते हैं कि हमारे प्रदेश में भी करीब दो हजार गांव हो सकते हैं, जिनमें प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क है। हमारे नगरों में भी जिनकी संख्या कम से कम १२२ है प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क है। लेकिन हमारे प्रदेश में ग्रामों की संख्या करीब एक, सवा लाख के करीब है। तो ऐसी हालत में अगर दो या तीन हजार गांवों में प्रारम्भिक शिक्षा जारी है तो वह नहीं के बराबर है और जिस दशा में आज अनिवार्य शिक्षा चल रही है वह भी बड़ी शोचनीय है। इसकी तरफ हमारे माननीय चन्द्रसिंह रावत ने पिछले दिन सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। यह दारुलशफा आपका है। उसके पीछे दो कदम पर आप जायें तो वहां एक स्कूल है, जहां अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा लागू है। वह कितनी शोचनीय दशा में है यह आपको इससे मालूम होगा। मैं परसों ही उधर से जा रहा था। शिक्षा विभाग के आपके एक स्पेशल आफिसर भी मेरे साथ थे। दुर्भाग्य से कहिये या भाग्य से कहिये जो मास्टर थे उन्होंने हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वहां का ब्लैक बोर्ड जो लिखने का हुआ करता है उसकी चौड़ाई मैं समझता हूं (एक फूलस्केप साइज का कागज दिखाते हुए) इस कागज से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा जो वहां कुर्सियां रखी हुई थीं उनके अन्दर न बेंत है न काठ। उनमें मैं या हमारे कोई साथी अगर बैठ जायं तो नीचे ही चले जायंगे और न जाने क्या हालत हो। तो जहां तक नगरों में अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का सवाल है हम उसको बन्द कर सकते हैं ग्रामीणों की खातिर, क्योंकि नगरों में तो साक्षरता पहले से ही निवास कर रही है। इस सम्बन्ध में भी आपके साधन काफी काम कर रहे हैं। ग्रामों में साक्षरता जाग्रत कीजिये। जिस तरह से साक्षरता दिवस हमारे प्रदेश में मनाया जाता है उसकी हालत क्या है? हमारी सरकार की मंशा तो यह है कि साक्षरता दिवस ग्रामों में मनाया जाय, लेकिन हम ही लोग वहां भी उपस्थित

[श्री वीरेन्द्रमणि यादव]

होते हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से साक्षरता दिवस नगरों में मनाया जाता है। ठीक है, जहां साक्षरता पहले से निवास कर रही है वहां उसको और बढ़ाया जाय, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसे साधनों को आपको जुटाना है ताकि ग्रामीणों की तरक्की हो सके। मैं यही कहना चाहता था और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे।

सिंचाई कर सम्बन्धी संकल्प को प्राथमिकता न देने व कार्यक्रम में न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था की प्रार्थना

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)--अधिष्ठाता महोदय, अभी यह प्रस्ताव समाप्ति पर है। मैंने आज सुबह एक प्रश्न उठाया था कि आज के एजेंडे में, कार्यक्रम में जो इर्रीगेशन रेट्स वाले प्रस्ताव को प्राथमिकता मिलनी चाहिये थी, जिसकी सूचना हम लोगों को मिल चुकी थी, वह आज के एजेंडे में नहीं है। वह तारीख ६ सितम्बर को और जो शलाका १० सितम्बर और १६ सितम्बर को हुई थी उसमें आज निकलने वाला था, वह भूल वगैरह से नहीं आ सका तो जब यह प्रस्ताव अब समाप्ति पर है तो मैं चाहूंगा कि वह लैप्स न हो जाय इसके लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये।

अधिष्ठाता--इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि वह रूलिंग देंगे। ४ बजे वह आयेंगे तो उस समय रूलिंग देंगे। अगर मंजूर कर लिया तो ऐसा होगा कि आज पेश किया जाय और अगले दिन ले लिया जायगा और यह लैप्स नहीं होगा।

राज्य में निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा की गति तेज करने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--श्रीमन्, जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत है, उसके महत्व से, उसकी आवश्यकता से, कोई इन्कार नहीं कर सकता है। इसके बारे में दो रायें हो भी नहीं सकतीं और यह ठीक है कि जितनी जल्दी हमारे प्रान्त में और साथ ही साथ हमारे देश के सभी प्रान्तों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रसार हो जाय उतना ही अधिक मैं समझता हूं कि इस देश के लिये लाभदायक होगा। लेकिन इन प्रश्नों पर एक दूसरी पृष्ठभूमि में विचार करना चाहिये अपनी-अपनी जगह पर। विकास के किसी कार्य को आप रखना चाहें, उसको एक पिक्चर में रखकर, उसको एक तस्वीर में रखकर देखना चाहिये तो जो आज दो दिन से विचार इस सदन में इस प्रस्ताव पर प्रकट किये जा रहे हैं, वही विचार विकास के सभी कार्यों पर इसी तरह से प्रकट किये जा सकते हैं।

यह ठीक है कि शिक्षा का स्थान किसी योजना में प्रथम हुआ करता है और जैसा मैंने कहा कि यह भी अपनी जगह पर ठीक है कि किसी योजना की सफलता निर्भर करती है, वहां की जनता की शिक्षा पर। विकास के जितने भी कार्य हैं वह तभी सफल हो सकते हैं जब लोगों का आपको सहयोग प्राप्त हो और लोगों का सहयोग आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब लोग आपकी योजनाओं को समझें और वह समझ तभी सकते हैं जब वह शिक्षित हों, उनके दिमाग का विकास हुआ हो, उनमें वह शक्ति पैदा हो गई हो कि वह सभी चीजों को यथास्थान रख कर सोच सकें, समझ सकें और अपने सुझाव दे सकें। इसीलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जितना व्यय शिक्षा में होता है, वह राष्ट्र के लिये इस दृष्टि से बड़ा ही उपयोगी होता है कि इसमें लाभ के अलावा किसी हानि की गुंजायश कभी नहीं होती है, उसमें लाभ ही लाभ होता है। हां, यह अन्तर जरूर है कि वह लाभ थोड़े समय बाद आता है,

हु लाभ उसी समय नहीं आता है। जैसा कि आज हम इस विकास की योजना को चला रहे हैं। ट्यूबवेल आप बनाते हैं, नहर आप खोदते हैं तो इस साल आप लाख को पाइप्राप्त दो चार महीने के अन्दर फसल मिलने लगेगा और इससे लाभ होगा और हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। उससे हमारे पैदावार इतनी बढ़ गयी। यह उससे फौरन लाभ हुआ और फौरन हम इस विकास कार्य से अपने लोगों की आर्थिक स्थिति सुधार सके। लेकिन शिक्षा ऐसी चीज नहीं है। जब छोटे बच्चे को शिक्षा देनी आरम्भ की जाती है तो हम और आप यह आशा करते हैं कि यह बच्चे जब १८, २० वर्ष के होंगे २४, २५ वर्ष के हो जायेंगे, ऊंची शिक्षा का इनको लाभ होगा और ऊंची शिक्षा ये प्राप्त करेंगे इनका विकास बढ़ेगा और यदि सुविधा मिली तो यह इस शिक्षा से कुछ देश को भी दे सकेंगे। तो यह एक इन्वेस्टमेंट हुआ लेकिन इस इन्वेस्टमेंट का लाभ तो होगा देश को, वह थोड़े दिनों के बाद होगा। तो जब हम एक ऐसे काल से गुजर रहे हैं, मैं इसको संकट काल तो नहीं कहता क्योंकि यह हमारे देश के लिये संकट काल नहीं है, हां संक्रमण काल अवश्य इसको कहा जा सकता है, तो इसमें यदि आपको जीवित रहना है और यदि आप राष्ट्र को जीवित रखना चाहते हैं, तो जो आपने योजना बनायी तो उसमें अपने स्थान अपने सब कार्यों को आपको देना पड़ेगा। एक आवश्यकता देनी पड़ेगी। आप यह नहीं कह सकते हैं कि जो राष्ट्र की फौरी आवश्यकता है उसको हम नजरअन्दाज करें और उस ओर न देखें और बाद में १०, २० वर्ष में जिसकी उपयोगिता देश के लिये साबित होगी उनको हम आज लेना चाहते हैं। तो यदि इस प्रकार की योजना बनेगी और इस प्रकार आज की योजना का आधार होगा तो वह राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता है। आज हमारे राष्ट्र की हालत क्या है? जैसा मैंने कहा कि जब तक पूरा चित्र, जो कार्य आप करना चाहते हैं उसकी पृष्ठभूमि पर विचार नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं हम अपने विचारों में गलती करेंगे। जब हम इस बात को समझते हैं कि इस चीज से देश का कल्याण हो सकता है, जनता को प्रोत्साहन मिल सकता है, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों तो इस प्रकार की योजना को हम सफल बना सकते हैं। यदि हमारा और आपका ध्यान इस ओर नहीं गया और हमने यह सोचा कि नहीं इस चीज को पहले करना है चूंकि इसकी आवश्यकता अधिक है तो जैसा मैंने कहा हम अपने किसी कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं। तो उस चित्र को, जो विकास का चित्र आप सारे देश के लिये बनाना चाहते हैं उसी चित्र को लेकर आपको बढ़ना चाहिये और जिसकी प्राप्ति हम और आप मिल कर करना चाहते हैं उसमें देखना यह है कि हमारी इस शिक्षा का स्थान कहां हो। यदि हम और आप मिल कर यह कहें कि नहीं, बच्चे के पास अगर खाने को नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है, माता और पिता के पास खाने के लिये नहीं है तो यह कहा जाय कि कोई परवाह नहीं है, लेकिन प्रारम्भिक शिक्षा अवश्य होनी चाहिये तो मैं समझता हूं कि मैं गलती नहीं करूंगा। अगर यह कहूं कि इस सदन में शायद ही कोई सदस्य ऐसा हो जो इससे सहमत हो। कोई भी यह नहीं कह सकता कि भूखा अध्यापक और माता पिता, भूखे बच्चे को पढ़ने और पढ़ाने के लिये कह सकते हैं। तो सारे चित्र को हमको उस पृष्ठभूमि में रख कर देखना चाहिये।

जहां तक इसकी महत्ता का प्रश्न है उसके लिये मुझे अधिक नहीं कहना है। इस समय हमारे प्रान्त में हमारे पूर्व अधिकारी ने सन् १९४७ में एक स्कीम यहां पर चलायी तो उस समय २२ हजार स्कूल, १० वर्ष में अर्थात् २,२०० स्कूल प्रतिवर्ष खोलने की यहां पर योजना बनायी गयी थी। तो यह स्कीम सन् १९४७ में कभी चली थी। उसके बाद दस वर्ष की अवधि कम करके ५ वर्ष कर दी गई कि ५ वर्ष में ही वह २२,००० स्कूल पूरे खोल दिए जायेंगे। साथ ही साथ प्रस्तावक महोदय ने यह भी कहा कि १२२ नगरों में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा है और कुछ गांवों में भी है।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

में यह मानता हूं और मानने में मैं हिचकता नहीं कि हम जितनी उन्नति देना चाहते हैं उतना हम कर नहीं पा रहे हैं, इसलिये आप इसको चाहे सन्तोषजनक कहें चाहे असंतोषजनक कहें, इन शब्दों से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हम स्वयं अपने स्थान पर समझते हैं कि यह अवस्था सन्तोषजनक नहीं है, क्योंकि सन्तोषजनक और असन्तोषजनक यह दोनों सापेक्ष वस्तु हैं, जिस चीज से हमें सन्तोष हो सकता है उसी से असन्तोष भी हो सकता है। जो हमारी आज अवस्था है वह हमारे लिए सन्तोष-जनक नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर वह हमारी दृष्टि में सन्तोषजनक हो जाय तो हम आगे कदम न बढ़ा सकें और अगर किसी राष्ट्र के निर्माण में अगर कोई चीज असन्तोषजनक है तो उसमें कोई घबड़ाने की बात नहीं है, वह तो आगे बढ़ने का साधन है और अगर सन्तोष से निष्क्रियता आ जाय तो वह सन्तोष ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपने पिछली लड़ाई भी देखी, जिसमें आरम्भ में फ्रान्स समझता था कि हमारे सामने कौन आ सकता है और उसकी सैनिक शक्ति सन्तोषजनक है और सोचता था कि हमारी मेजिनाट लाइन बहुत मजबूत है उसको कौन तोड़ सकता है और जर्मनी की क्या हिम्मत है कि वह आ सके, लेकिन वह १४ दिन में खत्म हो गई और फ्रान्स पददलित हो गया। इस तरह से सन्तोष राष्ट्र के लिए घातक चीज हो सकता है और वह अच्छी चीज नहीं है। इसलिए आप किसी प्रगति को सन्तोषजनक कहें या असन्तोष-जनक कहें मुझे उससे घबराना नहीं है। मैं तो स्वयं चाहता हूं लेकिन इस संक्रमण काल में हमें जरा विवेक बुद्धि से काम लेना चाहिए और हमें देखना चाहिये कि हम अपने पूरे विकास के चित्र में किस चीज को कहां उचित स्थान दे सकते हैं और उस में मुझे दुःख है कि शिक्षा मंत्री होते हुए भी मैं यह कहने का दावा करता हूं कि आज के निर्माण काल में प्रारम्भिक शिक्षा या किसी शिक्षा विशेष को हम सब से ऊपर नहीं रख सकते। इसीलिए जैसा मैंने कहा हमारी धारणा अवश्य है और उसको मैं सदन के सामने रखना भी चाहता हूं कि हमारी जो प्रारम्भिक आवश्यकताएं हैं, जरूरी आवश्यकताएं हैं, भोजन की, कपड़े की, रहने की, और जन संख्या की हम उनके लिये सब से पहले कोईउपाय जल्द से जल्द करेंऔर यदि हम उनके लिये कोई उपाय जल्द से जल्द नहीं करते हैं तो न हमारी शिक्षा चल सकती है और न हमारा कोई काम चल सकता है। इन सब चीजों का आधार यह है कि हम अपने लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा करें। यदि हमारे लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा है, रहन-सहन ऊंचा है और उनकी आमदनी में हमने वृद्धि पर्याप्त कर दी तो हम उन तमाम योजनाओं को चला सकते हैं वर्ना यह हमारी योजनायें ऊपर से तो ठीक होंगी लेकिन उनके नीचे खोखलापन होगा और वह बहुत दिनों तक चल नहीं सकतीं।

अभी माननीय वीरेन्द्रपति जी ने कहा कि लखनऊ में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है और यह भी कहा कि स्कूलों के लिये भवन की जरूरत नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं चाहता हूं कि हम अपने बच्चों को ऐसे वातावरण में शिक्षा दें जिससे कि वह स्वस्थ हों। अगर हम उनको उसी मिट्टी में बैठा कर, बिला ब्लैकबोर्ड के, बिला साफ सुथरे कपड़ों के उन्हें क ख पढ़ाते हैं तो उससे कोई लाभ न होगा। हम अपनी प्रारम्भिक शिक्षा का प्रारम्भ तभी करना चाहते हैं जब हमें विश्वास हो जाय कि हम बच्चों के चारों तरफ जो स्कूल का वातावरण होगा वह उनके लिये लाभकर और स्वस्थ होगा। तो बिला सामग्री के शिक्षा देना मैं समझता हूं कि इससे बड़ा हम राष्ट्र का अहित कुछ नहीं कर सकते। और इसलिये सभी शिक्षा विशेषज्ञों की राय यही है कि अनएजूकेशन खराब एजूकेशन की बनिस्बत अच्छी चीज है। तो चाहे हम शिक्षा न दें वह किसी अवस्था में लाभकर हो सकता है बनिस्बत इसके कि बुरी शिक्षा दें या जैसी उसको शिक्षा मिलनी चाहिये वैसी न दें। इसका केवल एक पहलू है कि जैसा मैंने अर्ज किया है कि जहां तक सरकार की नियत का सवाल है, सरकार के प्रयास का सवाल है वह तो सन् १९४६ और ४७ में ही जब यह संविधान नहीं था तभी उसका आरम्भ हुआ और इस आधार पर आरम्भ किया कि

किसी गांव में गांव के बच्चे को १ मील या डेढ़ मील से अधिक प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये नहीं जाना पड़ेगा। १ मील के अन्दर ही उसको जाना होगा। इस योजना के अनुसार इन स्कूलों की स्थापना की गई। १२, १३ करोड़ रुपया भी खर्च हुआ और आज अवस्था यह है कि आपके जितने जिले हैं, उसमें कोई २५ जिलों के करीब ऐसे हैं जहां आज स्थिति यह है कि प्रत्येक बच्चे को जो प्रारम्भिक पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करने जाता है उसको मील या डेढ़ मील से अधिक नहीं जाना पड़ता है। अभी शेष जिलों में यह अवस्था नहीं आ सकती है। तो इस प्रकार से स्कूल खोले गये तो यह भी देखा गया कि उसका एक ही पहलू नहीं है कि स्कूलों की संख्या बढ़ा दी जाय। यदि केवल इसी दृष्टि से योजना को देखा जाय तो उससे हम प्रारम्भिक शिक्षा को कोई लाभ नहीं पहुंचा सकेंगे। इसलिये आवश्यकता यह हुई कि अब इन स्कूलों को कंसालिडेट किया जाय।

अभी-अभी किसी माननीय सदस्य ने यह कहा कि जब यह स्कूल खोले गये तब यह सरकार के अन्दर थे और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर नहीं थे। तो कहीं-कहीं अवस्था यह थी कि किसी स्कूल में पांच-सात लड़के और ४ टीचर थे। जाहिर है कि आवश्यकता को देखते हुये उस समय यह महसूस किया गया कि इन स्कूलों को खोल दिया जाय। उसके बाद दो वर्षों तक इधर वह वृद्धि स्कूलों की संख्या में बन्द कर दी गई। और दो वर्षों से एक भी स्कूल नहीं खुला। पारसाल इसको फिर शुरू किया गया और २५० स्कूल खोले गये। इस साल के बजट में ५ सौ स्कूलों के खोलने का प्राविजन किया गया है और द्वितीय फाइव ईयर प्लान में जो आ रहा है, एक-एक हजार प्रति वर्ष की योजना की गई है। तो इस तरह से यह कहना ठीक नहीं होगा कि सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। सरकार का ध्यान उस ओर है, लेकिन हां, यह सही है कि निकट भविष्य में यह अवश्य नहीं हो सकेगा कि हम सब जगह निःशुल्क और कम्पलसरी प्राइमरी एजूकेशन कर सकें। हां, शिक्षा में जो दो वर्ष कन्सालिडेशन किया गया उसमें यह कहा गया कि स्कूलों की संख्या कम हुई, बच्चों की संख्या कम हुई, लेकिन वह इस वजह से कम नहीं हुई और मैं माननीय गौतम जी जब बोल रहे थे तब नहीं था शायद उनका मत था कि जितना रुपया हम खर्च करते थे वह रुपया हमने कम कर दिया, इसलिये बच्चों की संख्या कम हुई और इसलिये स्कूल टूट गये।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—मैंने यह नहीं कहा था।

श्री हरगोविन्दसिंह—ठीक है, यदि आपने ऐसा नहीं कहा था। लेकिन फिर भी मैं बतला देता हूं कि बात ऐसी नहीं थी। बात यह थी कि वह स्कूल जो खुले थे तो कहीं-कहीं ऐसा था कि बहुत सी जगहों में एक ही गांव में दो स्कूल, तीन स्कूल खुले और वही बच्चा एक स्कूल में और वही बच्चा दूसरे स्कूल में भी। उसका कारण यह था कि बच्चों की संख्या पर निर्धारित होता है कि उस स्कूल में कितने अध्यापक रहें। तो वही बच्चा गांव के दोनों स्कूलों में लिखा हुआ होता था। राजकीय पाठशालाओं में भी जो सरकार के अन्दर थे और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की पाठशालाओं में भी जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर थे और इन दोनों का मिलाना असम्भव सा था। क्योंकि दोनों के दो अधिकारी हुआ करते थे तो स्कूलों और बच्चों की संख्या यह थी। उस हालत में जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह स्कूल दिये गये तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से यह कहा गया.....

एक सदस्य—यह किस जिले में शिक्षा मंत्री जी?

श्री हरगोविन्दसिंह—बहुत जिलों में। मेरे जौनपुर जिले में हुआ है। आपके जिले में भी हुआ होगा लेकिन आप कहने में शर्माते हैं। मैं तो नहीं शर्माता। यह जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दिया गया तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने एक प्रकार से इसका पुनर्संगठन किया। उन स्कूलों को एक जगह से उठा कर दूसरी जगह किया, दो स्कूलों को मिलाया, तीन स्कूलों के बच्चों को मिलाया। लेकिन जहां तक सरकार का संबंध है सरकार ने अपने अनुदान में कोई कमी नहीं की बल्कि उसे बढ़ाया है। सन् १९५२-५३ में छात्रों की संख्या थी २७,४२,७६०

[श्री हरगोविन्दसिंह]

और विद्यालयों की संख्या थी ३१,९५१ और रुपया जो राष्ट्रीय फंड से दिया गया था ३,२८-२७,६७२ । सन् १९५३-५४ में—इन दो वर्षों में नहीं खोला गया है—छात्रों की संख्या २७,४२,७६० से २६,९४,५४५ हुई। करीब सवा लाख के कम है। ३१ हजार ९ सौ ५० स्कूल थे और अब ३१,११९ रह गये। इस तरह से करीब ८०० स्कूल कम हो गये प्रान्त भर में और अनुदान ३ करोड़ २८ लाख से ३ करोड़ ३४ लाख हो गया तो अनुदान तो बढ़ा। लेकिन इस रिआर्गनाइजेशन की वजह से प्रान्त भर में ८०० स्कूल कम हुये।

श्री मोहनलाल गौतम—मिनिस्टर साहब उस वक्त नहीं थे और वह मेरी बात का जवाब दे रहे थे .....

अधिष्ठाता—माननीय मंत्री ने इजाजत नहीं दी, क्योंकि वे बैठे नहीं। व्यवस्था का प्रश्न आप उठाते तो और बात थी।

श्री मोहनलाल गौतम—लेकिन गलत आर्गुमेंट पर बहस हो रही है ।

अधिष्ठाता—कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाये तो मैं विचार करने के लिये तैयार हूं।

श्री हरगोविन्दसिंह—माननीय सदस्य को गलत फहमी हुई है। और लोग भी बोल रहे थे । उनका खयाल है कि वहीं बोल रहे थे और उनका ही मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री मोहनलाल गौतम—मेरा नाम लिया गया था। इसलिये मैं समझा कि मेरा जवाब दिया जा रहा है।

श्री हरगोविन्द सिंह—यदि इस प्रकार से आप देखें तो उसमें जहां तक सरकार का सम्बन्ध है उस में वह प्रारम्भिक शिक्षा को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना चाहती है। लेकिन हम यह चाहते हैं कि सामग्री उपलब्ध हो, और उतनी ही धनराशि हो जिससे हम इसको अच्छी तरह से चला सकें। बिना सामग्री और धनराशि के हम उस प्रारम्भिक शिक्षा को उतनी भलीभांति नहीं चला सकते और उसे सुचारु रूप से नहीं चला सकते और जैसी शिक्षा देनी चाहिये, वैसी शिक्षा नहीं दे सकते। इसलिये जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैं इसको स्वीकार करने को तैयार हूं और यह विश्वास भी दिला सकता हूं ज्यों-ज्यों हमको सामग्री उपलब्ध होगी हम उसमें जरूर प्रयत्न करेंगे और करना भी चाहिये। जैसा मैंने कहा यह बुनियाद की सब से बड़ी ईंट है और उस ईंट पर भवन न बना तो हमारा वह भवन गिर पड़ेगा। इसलिये मुझको इस प्रस्ताव के स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बतलाया स्थिति आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमसे अधिक जानते हैं तो इसी दशा में कि यदि प्रस्तावक महोदय इसको वापस लेना चाहते हों तो ले लें। यदि वह नहीं लेना चाहते हैं तो हमें उसे स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है।

अधिष्ठाता (श्री वीरेन्द्रपति यादव से)—आप कोई भाषण नहीं दे सकते। आपको राइट आफ रिप्लाई नहीं है। अगर आप वापस लेना चाहें तो सिर्फ इतने ही शब्द कहें। जवाब नहीं दे सकते।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—खैर, जब जवाब देना ही नहीं तो दो मिनट में, अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहूंगा।

अधिष्ठाता—वापस होने के सिलसिले में आप बोलिये।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—हमारी सरकार भी यह नहीं चाहती कि मैं वापस ले लूं। सरकार इसको स्वीकार करना चाहती है। जब सरकार स्वीकार करने के लिये तैयार है तो मेरे वापस करने का सवाल नहीं उठता।

अधिष्ठाता—अब आप के भाषण का भी कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—मैं दो शब्द कहने जा रहा हूं। भाषण नहीं दूंगा आप विश्वास रखिये।

अध्यक्ष महोदय, जहां हमारे माननीय सदस्यों ने इस बात पर बड़ी आपत्ति की कि इस प्रस्ताव के अन्दर कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि बड़े आपत्तिजनक हैं, उसमें कहा गया कि प्रारम्भिक शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं रही है। लेकिन हमें इससे बड़ा साहस मिला है, बड़ी प्रसन्नता हुई है कि माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया, और जरा भी बुरा नहीं माना कि प्रारम्भिक शिक्षा की आज स्थिति संतोषजनक है या नहीं। उनका कहना है कि इसको संतोषजनक न माना जाय तो स्वीकार है। और संतोषजनक माना जाय तो भी स्वीकार है मैं यह उचित समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के इस साहस के लिये, इस असलियत के लिये, जो अन्दरूनी चीज है इस वास्तविकता के लिये मैं उनको बधाई दूं।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—जब आप अपने प्रस्ताव को वापस नहीं ले रहे हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है कि बील कैसे रहे हैं और फिर आप की आज्ञा भी है।

अधिष्ठाता—खत्म कर दिया उसका प्रश्न ही नहीं है। आप बिला इजाजत खड़े हो गये।

अब मैं जो संशोधन हैं उनको एक-एक करके लेता हूं।

प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति १ में शब्द "उत्तर प्रदेश" से लेकर पंक्ति ३ के शब्द "प्रतीत होती है, अतः" तक निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति २ और ३ के शब्द "और न" से ले कर शब्द "प्रतीत होती है" तक निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति १ के शब्द "प्रारम्भिक शिक्षा" के स्थान पर शब्द "बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति २ के शब्द "नहीं रही है" से लेकर पंक्ति ३ के शब्द "प्रतीत होती है" तक निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द "उसमें विशेष प्रगति लाना आवश्यक है और" रख दिये जायं तथा पंक्ति ४ के शब्द "यह" के बाद शब्द "भी" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति ४ के शब्द "आवश्यकीय" के स्थान पर शब्द "आवश्यक" रख दिया जाय और पंक्ति ४ में शब्द "अनिवार्य व निःशुल्क" के स्थान पर शब्द "निःशुल्क तथा अनिवार्य" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री वीरेन्द्रपति यादव—मैं इस संबंध में कुछ शब्द कहना चाहता था।

अधिष्ठाता—जब तक विभाजन नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता।

(घंटी बन्द होने के उपरान्त)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति ४ के शब्द "आवश्यकीय" के स्थान पर शब्द "आवश्यक" रख दिया जाय और पंक्ति ४ में शब्द "अनिवार्य व निःशुल्क" के स्थान पर शब्द "निःशुल्क तथा अनिवार्य" रख दिय जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति १ के शब्द "उत्तर प्रदेश" से लेकर पंक्ति ३ के शब्द "अतः" तक निकाल दिया जाय और संकल्प के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय:—

"साथ ही यह भी आवश्यक है कि पाठ्य-क्रम में ऐसा सुधार किया जाय कि जिससे धार्मिक, साम्प्रदायिक और सामाजिक गलतफहमियां दूर हों तथा एकता और प्रेम के प्रसार से प्रदेश सुखी और शक्तिशाली बन सके।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री व्रजविहारी मिश्र—संकल्प का पहला हिस्सा तो राधामोहन सिंह जी के संशोधन के रूप में स्वीकृत हो चुका है, इसलिये दूसरे हिस्से पर ही वोट लेने चाहिये।

अधिष्ठाता—मैं पूरे पर सदन की स्वीकृति ले लेता हूं और यह सारा एडजेस्टमेंट आफिस कर लेगा लेकिन वह पोर्शन जोकि राधामोहन सिंह जी का है वह ज्यों का त्यों रहेगा।

प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति ४ के शब्द "की गति" से ले कर अन्तिम शब्द "हो सके" के स्थान पर शब्द "समस्त प्रदेश में १ जुलाई, १९५७ तक अनिवार्य कर दी जाय" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:—

पक्ष में ८

विपक्ष में ७४)।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि प्रस्तुत संकल्प को निम्नरूप में संशोधित कर दिया जाय—"इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश में सर्वत्र प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति संतोषजनक बनाने के लिये अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा को तारीख १ जुलाई, सन् १९५६ से लागू किया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति १ में शब्द "प्रारम्भिक शिक्षा" के स्थान पर शब्द "बेसिक तथा टैक्नीकल" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति २ में शब्द "रही" निकाल कर शब्द "है" के बाद पूर्ण विराम रख दिया जाय और शब्द "और" से लेकर पंक्ति ३ के शब्द "है" तक निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति ५ में शब्द "क्षेत्रों" में और शब्द "तीव्र" के बीच में शब्द "प्रत्येक जिले के एक परगने में" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री जगन्नाथ मल्ल—अधिष्ठाता महोदय, माननीय व्रजविहारी मिश्र जी अपना संशोधन वापस लेने वाले हैं, इसलिये इसको पेश ही न किया जाय ।

अधिष्ठाता—(माननीय व्रजविहारी मिश्र को सम्बोधित करते हुए) क्या आप वापस लेना चाहते हैं ?

श्री व्रजविहारी मिश्र—अधिष्ठाता महोदय, माननीय राधामोहन सिंह जी के संशोधन के स्वीकृत हो जाने के बाद उसकी आवश्यकता ही नहीं रह गई, इसलिये मैं वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संकल्प के अन्त में निम्न शब्द बढ़ा दिये जायं:—

"साथ ही केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया जाय कि संविधान के अनुच्छेद ४५ में संशोधन करके निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिये १४ वर्ष की अवस्था के स्थान पर पांचवी कक्षा निश्चित कर दी जाय ।"

श्री रणंजय सिंह—श्रीमन, मैं इस पर कुछ थोड़ा जानना चाहता हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं जो "आवश्यकीय" शब्द माना जा रहा है जब कि आवश्यक शब्द उचित प्रतीत होता है, तो इस प्रकार की बातें हो रही हैं । तो मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अपना प्रस्ताव चाहे वापस लूं या न लूं, स्वीकार तो होगा नहीं । लेकिन इसमें प्रस्तावक महोदय ने जो मजाकिया शब्द का प्रयोग किया था उसके लिये मुझे आपत्ति है, क्योंकि मैं उन शब्दों को पढ़ कर सुना सकता हूं, यदि मुझे.....

अधिष्ठाता—अब इसके लिये समय नहीं । कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करे ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

(इस समय ४ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संकल्प को निम्नरूप में रख दिया जाय:—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि संविधान के अनुच्छेद ४५ की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश में अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की गति को विशेष रूप से बढ़ाया जाय ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१०,
विपक्ष में—६१) ।

श्री अध्यक्ष—अब मैं संशोधित प्रस्ताव को सदन के सामने उपस्थित करता हूं । प्रश्न यह है कि "इस सदन का निश्चित मत है कि संविधान के अनुच्छेद ४५ को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यकीय है कि अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की गति को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र किया जाये ताकि संविधान में दिये हुए निर्धारित समय के अन्दर लक्ष्य की पूर्ति हो सके ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सिंचाई कर सम्बन्धी संकल्प को प्राथमिकता न देने व कार्यक्रम में न रखे जाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--एक प्रश्न सवेरे उठाया गया था श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा कि इस संकल्प के बाद जो नोटिस दिया गया था १३ सितम्बर को उसमें १ (क) पर वह संकल्प था वह यह था कि--

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि दिन प्रतिदिन किसान की पैदावार, जिन्सों इत्यादि के भाव गिरते जा रहे हैं और यह भाव १९५० ई० के भाव के भी नीचे आ गये हैं और किसानों को नहर तथा ट्यूबवेल्स के वर्तमान सिंचाई कर देना दूभर हो गया है । अतः किसानों की कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए सिंचाई कर उतना ही कर दिया जाय जितना कि सन् १९५० ई० में था ।"

इस प्रस्ताव के विषय में वह कहते थे कि इसके पश्चात आना चाहिये क्योंकि बैलट में उसके बाद इसका नम्बर था । कार्यक्रम में वह आज नहीं आया । उसमें कुछ भूल के कारण यह चीज हो गयी । मेरे सामने प्रश्न था कि इसको वैधानिक करार दूं या न दूं. इसलिए वह रोक दिया है । तो मैंने अब निश्चय कर दिया है इस विषय में कि यह वैधानिक है । वह चूंकि आज कार्यक्रम में नहीं आया है इसलिए आज नहीं आयेगा, लेकिन इसके लिए बैलट नहीं होगा और इसकी प्राथमिकता नहीं होगी । इसके बाद पहला स्थान इसको प्राप्त होगा यह मैं सूचना सदन को दे देना चाहता हूं कि इस विषय में मैंने निर्णय यह किया है ।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा यह पूछना चाहता हूं आप से कि आज तो यह प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा, आज तो जिस क्रम से छपा है वही यहां पर संकल्प प्रस्तुत हो सकेगा आज वह चालू रहेगा और अगले दिन जब भी असरकारी दिन होगा तब भी शायद चलता रहे और मुमकिन है दिन भर चलता रहे । तब तो यह लैप्स हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष--यह लैप्स नहीं होगा, यह मैंने निश्चय किया है, किसी रोज लैप्स नहीं होगा । क्योंकि यह आज आना चाहिये था, तो उसका स्थान आ चुका है करीब-करीब । इसलिये अगर यह चलता रहेगा तो समाप्त होने के बाद इसको बैलट में फिर से नहीं रखा जायगा और यह लैप्स नहीं होगा ।

गाय भैंस आदि दुधारू पशुओं के निर्यात को रोकने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं ।

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि आज कल राज्य में शुद्ध घृत तथा दूध एवं कृषि योग्य उत्तम पशुओं की अत्यधिक कमी है जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा कृषि को उन्नतिशील बनाने में पर्याप्त बाधा पहुंचती है । अतः यह सदन राज्य सरकार से अनुरोध करता है कि वह शीघ्रातिशीघ्र कोई ऐसा विधेयक सदन में लाये जिसके द्वारा दुधारू पशुओं की नस्ल के रक्षार्थ उत्तर प्रदेश से गाय तथा भैंस और उनके वंशजों का निर्यात अविलम्ब रोका जा सके ।"

मान्यवर, इस संकल्प को प्रस्तुत करते हुए मैं यह बताना चाहता हूं कि किसी भी देश की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि उस देश के रहने वालों का स्वास्थ्य अत्यधिक अच्छा हो और यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो किसी प्रकार की भी उन्नति मनुष्य कर नहीं सकता है । न उसका ज्ञान काम करेगा, न उसकी बुद्धि काम करेगी, न उसका शरीर

साथ देगा। एक कहावत है कि—"हैल्दी माइन्ड इन हैल्दी बाडी" तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वैसी आधारभूत चीजें जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है वह यह है कि मनुष्य के शरीर के पोषण के लिए दूध की आवश्यकता होती है, अन्न की आवश्यकता होती है और तीसरी आवश्यकता उसके बाद में शरीर ढकने के लिये वस्त्र की पड़ती है।

मैं यह समझता हूं कि यह दूध और दूध से बनने वाली चीजें घृतादि और अन्न तथा वस्त्र ये जो चीजें हमको भारतवर्ष में मिलती हैं इनमें सबसे बड़ा स्थान इनके उत्पादन के मदद करने में जिन पशुओं का है अगर हम देखें तो उन पशुओं में गाय, भैंस, बैल और उनके वंशज आते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मनुष्य का शरीर जिस चीज के ऊपर स्थित है उसमें जब हम शरीर के अन्दर और बाहर की चीजें देखते हैं तो उनमें शुक्र, रक्त, मज्जा, मांस, अस्थि, मेद ये चीजें हमारे शरीर के अन्दर हैं और इन सब चीजों की यदि पूर्णरूपेण पुष्टि और पोषण होता है तो दूध के अलावा और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके साथ-साथ इन सब चीजों को पोषण मिलता हो। दूध एक ऐसी वस्तु है जिससे इन सब चीजों को पोषण मिलता है और साथ ही जैसे शुक्र की प्रधानता शरीर के अन्दर है वैसे ही दूध शुक्र को बनाता भी है और रक्त का सञ्चार करता है। इसलिये दूध एक ऐसी वस्तु है जिससे हमारे शरीर की अधिक से अधिक पुष्टि होती है और ज्ञान की वृद्धि होती है। दूध अन्य पदार्थों की अपेक्षा हमारे पक्वाशय में जाकर जल्दी पचता भी है और अन्य पदार्थों को भी पचाने में सहायता करता है। दूध के सम्बन्ध में ऐसे आंकड़े पाये जाते हैं कि ८६.५६ प्रतिशत उसके अन्दर पानी होता है जो अन्य पदार्थों को पचाने के लिये अत्यंत आवश्यक है और ४.९२ प्रतिशत चर्बी घी के रूप में होती है दूध के अन्दर जिसकी हमारी हड्डियों को लुब्रीकेशन के लिये काफी आवश्यकता पड़ती है और ३. २१, प्रोटीन होती है और इसके अलावा मैगनेशियम, कैलशियम, पोटैशियम क्लोराइड आदि जो लवण पदार्थ है जिनसे कि हमारा मांस और हड्डियां आदि बनती हैं और चूना बनता है जिसके द्वारा हड्डियों को काफी पोषण मिलता है वे भी इसमें ४.५८ प्रतिशत होते हैं। तो इस प्रकार इन चीजों के देखने से यह स्पष्ट होता है कि दूध के अन्दर वे सभी चीजें मौजूद हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर को पूरा पोषण प्राप्त होता है। इसके अलावा दूध से जो घी बनता है उस घी से भी हमारे शरीर में बहुत काफी लाभ पहुंचता है और घी के द्वारा ही हमारी जठराग्नि ठीक चलती है और हमारी पाचन क्रियायें ठीक रहती हैं और हमारा मेदा ठीक रहता है तथा शरीर हृष्ट पुष्ट बनता है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि जिस भारतवर्ष के अंदर और भारतवर्ष में भी प्रधानत: उत्तर प्रदेश के अन्दर जहां दूध और घी की नदियां बहती थीं उस देश के अन्दर आज दूध और घी की इतनी कमी है कि जिसके कारण हमारे देश के अन्दर नाना प्रकार के रोग आदि फैले हुये हैं। संग्रहणी, टी० बी० इत्यादि ऐसे भयंकर रोग हैं कि जिनके बारे में हमारे आयुर्वेद वालों ने तो यह मान लिया कि ये राज रोग हैं और जब तक पूर्ण मात्रा में दूध घृत दही गो मूत्र इत्यादि नहीं मिल सकते तब तक इनका उपचार हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में मैं यह समझता हूं कि दूध की कमी के कारण ही आज दिन प्रति दिन हमारा स्वास्थ्य गिरता चला जा रहा है और नाना प्रकार की बीमारियां फैलती जा रही हैं और इसलिये हमारी आयु भी घटती चली जा रही है। जो १२० वर्ष की आयु भारतवर्ष में मनुष्य की मानी जाती थी आज उसकी स्थिति इतनी दुखद है कि कहते नहीं बनता। तो दूध और घी के सम्बन्ध में जब हम सोचते हैं तो हमारा ध्यान स्वाभाविक है कि उस तरफ जायगा कि कौन-कौन से जीव हैं जिनसे हमको दूध और घृत की अधिक से अधिक प्राप्ति होती है। जब इसके ऊपर हम विचार करते हैं तो दो पशु ऐसे हैं जिनसे हमको इन पदार्थों की प्राप्ति होती है और वे दो पशु हैं गाय और भैंस।

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

तो गाय और भैंस दोनों ऐसे पशु है जिनसे हमें दूध और घी अत्यधिक मात्रा में मिलता है और दूध से बनने वाले नाना प्रकार के पदार्थ मिलते हैं जो अत्यंत सुस्वादु तथा लाभदायक होते हैं और हमारे शरीर को फायदा पहुंचाते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ होता है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक और चीजों का सवाल है उनके ऊपर मैं बाद को जाऊंगा मैं इस समय दूध की चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि हमारे शरीर को इसकी अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। मैं जानता हूं कि दूध एक ऐसी वस्तु है कि यदि कोई मनुष्य इसका सेवन करे और केवलदूध के ही आधार पर रहे तो वह अपना जीवन यापन कर सकता है तथा किसी प्रकार के रोग उत्पादन उसके शरीर में नहीं हो सकता है। दूध से एक ऐसा सात्विक और अध्यात्मिक बल मिलता है जिससे हमारे विचार सात्विक रहते हैं। जो मनुष्य दूध का अधिक सेवन करते हैं, जो मनुष्य घी का अधिक सेवन करते हैं उनमें संक्रामक रोगों का समावेश बहुत कम पाता है। प्रायः देखा जाता है कि जब कभी महा मारी तथा कालरा आदि रोग फैलते हैं तो प्रायः वह ऐसी बस्ती में जोर पकड़ते हैं जहां पर दूध और घी का अभाव होता है और इनकी जगह अन्य चीजें खाई जाती हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य को एक सुझाव दूंगा कि गौ वध निवारण विधेयक पास हो चुका है तो उसमें इन सब बातों पर विचार हो चुका है। असल में तो आपके संशोधन का आखिरी हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश से गाय तथा भैंस और उन के बंशजों का निर्यात बंद कर दिया जाय वह इससे संबंधित है। इस लिये आप कृपा करके अपने संकल्प पर ही भाषण दें।

श्री बसन्तलाल शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, यह बात सत्य है कि वह सब बात उस विधेयक में आ चुकी हैं। लेकिन मैं दूध और घृत की आवश्यकता के संबंध में इनको शारांस में रख लेना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—सदन में जो बात हो चुकी है उसकी पुनरुक्ति न हुआ करे।

श्री बसन्तलाल शर्मा—खैर दूध के संबंध में मैंने जो बतलाया वह ठीक है और मुझे आशा है कि सभी ने उसको सुना होगा।

अब सब से बड़ी समस्या हमारे प्रदेश में खेती की है और इसके संबंध में जब हम विचार करते है तो हमारे प्रदेश का जो भी भौमिक क्षेत्र है वह ७,२२,७८,८०९ एकड़ है जिसमें से ४,९२,२३,१०१ एकड़ भूमि खेती के लिये उपयोग में लाई जाती है इतनी भूमि को जोतने और तोड़ने के लिये यह निर्विवाद है कि जो साधन है वह हमारा पशुधन है क्योंकि हमारे यहां की ८० प्रतिशत जनता आज गांवों में निवास करती है और हमारे आवागमन के साधन यह मानी हुई बात है कि इतने सुगम नहीं है कि वहां हर प्रकार के यंत्र पहुंच सकें। यंत्रों पर पहले प्रकाश भी डाला जा चुका है कि उनसे कोई विशेष लाभ नहीं होता है, अधिक लाभ की बात तो अलग रही, ये वहां पहुंच ही नहीं पाते। भूमि को जोतने और तोड़ने के लिये जो हमारी गोसंवर्धन समिति की रिपोर्ट है उसके अंदर यह दिया गया है और उसी से मैं ने कुछ आंकड़े भी लिये हैं।

मैं इस बातको मानता हूं कि इस भूमि को जोतने और तोड़ने के लिये अगर औसत लिया जाय तो दस एकड़ भूमि पर एक जोड़ी बैल चाहिये, हम इसी को माने लेते हैं, लेकिन आगे चलकर इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि यह काफी नहीं है और एक जोड़ी बैल दस एकड़ भूमि को जोत और तोड़ नहीं सकती है, लेकिन फिर भी हम इसी को एक आधार माने लेते हैं और इसका ही अगर हिसाब लगाया जाय तो ४,९२,२३,००० एकड जमीन को जोतने और तोड़ने के लिये ९८,४६,००० बैलों की आवश्यकता पड़ती है और हमारे प्रदेश में जितने बैल हैं उनमें तीन वर्ष के बछड़े भी आ जाते हैं उनको मिलाकर जो इस समय उनकी संख्या है वह १, १५, ००,००० के लगभग है,तो सैद्धान्तिक रूप से समझ में आता है कि यह ठीक है। लेकिन हम

दस एकड़ भूमि का औसत नहीं मानते हैं। जैसा कि मैं प्रैक्टिस में देखता भी हूं और जैसा कि कार्य रूप में निकलता है कि ५ एकड़ भूमि के लिये एक जोड़ी बैल की आवश्यकता होगी उस हिसाब से १,९६,९२,००० बैलों की आवश्यकता पड़ती है उसको छोड़ दिया जाय। अगर इसी को मान लिया जाय कि ९८, ४६ हजार बैलों की ही आवश्यकता पड़ेगी, तब भी बैल खेती के काम में लाये जाते हैं और कहीं-कहीं पर भैंसे भी काम में लाये जाते हैं और कहीं पर नहीं भी लाये जाते हैं। लेकिन यह मानी हुई बात है कि भैंसे और बैल खेती के अतिरिक्त गाड़ी भी चलाते हैं, रहट भी चलाते हैं, बोझा भी ढोते हैं, कोल्हू भी चलाते हैं, ये सब काम करते हैं। इसके अन्दर जब उन बैलों का औसत निकाला जाय तो यह मानना पड़ता है कि बैल और भैंसे हमारे यहां खेती के लिये पर्याप्त नहीं हैं। उनकी हमारे यहां अत्यधिक कमी है। उस कमी को देखते हुये यह स्पष्ट है कि हमारे प्रदेश के अन्दर खेती को उन्नतिशील बनाने के लिये पशुओं की हमारे यहां अत्यधिक कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिये यह आवश्यक है कि हमारे यहां पशु अधिक से अधिक उत्पन्न हों, इसलिये इस प्रकार का प्रयास करना उचित होगा कि हमारे यहां अधिक से अधिक पशु बढ़े। ऐसा प्रयास करना इसके लिये आवश्यक है जिससे हम आत्मनिर्भर हो सकें। उस वक्त तक हमको इस प्रयास को करते रहना चाहिये जब तक कि हम आत्मनिर्भर न हो जायं और हमारे यहां बैलों की संख्या पर्याप्त न हो जाय और तब तक हमारे यहां से पशुओं का बाहर जाना रोक दिया जाय। इस वजह से मैंने यह संकल्प सदन के सामने रखा है जिससे लोगों को घी और दूध अधिक मात्रा में मिल सके। हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम अपने यहां अधिक से अधिक पशुओं की संख्या बढ़ायें। इसलिये मैं इस संकल्प को प्रस्तुत करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि सदन ऐसा कानून बनावे जिससे पशुओं की रक्षा हो सके। हो सकता है कि कोई कठिनाई संविधान के विषय में आवे। मैंने भी उस पर विचार किया है किन्तु फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई न कोई उपाय अवश्य निकाला जाना चाहिये, जिसके द्वारा पशुओं के सम्बन्ध में हमारा प्रदेश आत्म निर्भर हो सके और हमारे यहां पशु इतने हो सकें कि जिससे हमारा काम अच्छी तरह से चल सके।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं अपने दोस्त माननीय बसन्तलाल जी के प्रस्ताव का विरोध करूंगा। मैं उनके उद्देश्य से जो उनकी इच्छा है उसकी तो कदर करता हूं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने उद्देश्य के सम्बन्ध में बहुत अच्छी तरह से गौर नहीं किया कि उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो सकती है। माननीय बसन्तलाल शर्मा जी का यह कहना है कि "आजकल राज्य में शुद्ध घृत तथा दूध एवं कृषि योग्य उत्तम पशुओं की अत्यधिक कमी है जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा कृषिको उन्नतिशील बनाने में पर्याप्त बाधा पहुंचती है। अतः यह सदन राज्य सरकार से अनुरोध करता है कि वह शीघ्रातिशीघ्र कोई ऐसा विधेयक सदन में लाये जिसके द्वारा दुधारू पशुओं की नस्ल के रक्षार्थ उत्तर प्रदेश से गाय तथा भैंस और उनके वंशजों का निर्यात अविलम्ब रोका जा सके।"

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---इस वक्त कोरम नहीं है। उसको पूरा कर लिया जाय।

(घंटी बजायी गयी और कोरम होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कुछ पशु बाहर भी जाते हैं लेकिन दुधारू पशु और अच्छी नस्ल के पशु जो बाहर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

से आते हैं उस तरफ माननीय शर्मा जी ने कोई विचार नहीं किया। आखिर हिसार कि बैल सांड गाय, सीतामढ़ी के बैल जो बिहार में है गुजरात की भैंस भी तो हमारे प्रदेश में आती है अगर इनकी संख्या मालूम हो सके तो फिर वह यह नहीं सोचेंगे कि जो कानून अपने लिये हम बना रहे है क्या दूसरे राज्य जो है वे अपने लिये ऐसी बात नहीं सोच सकते ? और पंजाब रोके कि हम हिसार के बैल और गाय नहीं आने देंगे इस प्रदेश में, बिहार रोके कि सीतामढ़ी के बैल, जो गोरखपुर, बलिया और बहराइच की तरफ आते हैं, न आने देंगे, गुजरात कहे कि हम अपने यहां की भैंस यहां न भेजेंगे तो ऐसी हालत अगर हो जाय तो माननीय शर्मा जी को बड़ी दिक्कत पैदा होगी और यहां के किसान मुसीबत में पड़ जायेंगे और फिर सब से बड़ी बात यह है कि नस्लों को सुधारने के लिये अगर पशु आते हैं और निरन्तर परिवर्तन होता रहे तो वह दूसरों से मिलते रहते हैं और इससे नस्लों का सुधार होता है और दूध की वृद्धि होती है। नस्लों के सुधार के मानी केवल बदन से ही नहीं हैं, बल्कि दूध भी उनका बढ़े और इस तरह से नस्लों के सुधार से उत्तम और योग्य पशुओं की वृद्धि होती है और ऐसा आदान प्रदान जारी रहे तभी अच्छा होगा। अगर उसको बन्द किया गया तो जो नस्लें खराब हैं छोटी छोटी गाय और बैल हैं उन्हीं में हम फंसे रह जायेंगे और हमारे यहां की नस्ल और भी डिटिरियोरेट कर जायगी। इस चीज को शायद उन्होंने अपने ध्यान में नहीं रखा। मैं और किसी आधार पर इसका विरोध नहीं करता, लेकिन यही आधार जो मैंने बताया वही बहुत जोरदार है और मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूं और सम्भवतः शर्मा जी का ध्यान इस ओर नहीं गया, शायद यह बात उनकी याददाश्त में न होगी। अगर वह इस चीज को समझते तो शायद वह ऐसा प्रस्ताव न लाते।

यह हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि अभी जो बिल गोवध निरोध के सम्बन्ध में हमने विधान सभा में पास किया है उस से बचने के लिये कुछ पशुओं को लोग बाहर ले जायं कि जहां पर यह बिल पास न हुआ हो और वहां उनका कुछ दुरुपयोग करें, लेकिन मैं कहूंगा कि विशेषकर ऐसे पशु जो वध करने के लिये लोग ले जाते हैं वह उन पशुओं को नहीं ले जाते जो दुधारू होते हैं या मजबूत जवान होते हैं, वे तो ज्यादातर पुराने, कमजोर और दूध न देने वाले पशुओं को ले जाते हैं और मेरे ख्याल से उनकी संख्या भी बहुत ही नगण्य होगी और पिछले बिल के वक्त काफी विचार सदन ने इस पर किया है कि वह वही पशु होते हैं जो अनएकनामिक होते हैं। इसलिये वह उद्देश्य भी अगर हो तो वह भी इस से पूरा नहीं होता। इसलिये मैं समझता हूं अब मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रश्न पर माननीय शर्मा जी फिर विचार करें और अगर वह इसको प्रेस न करें तो और भी प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर सदन को विचार का मौका मिलना चाहिये। तो अगर हमसे वह इत्तिफाक करें तो सदन को यह मौका दें कि दूसरे प्रस्तावों पर विचार किया जाय और इस प्रस्ताव को वह वापस ले लें। अगर उनको इस तरह का कोई प्रस्ताव पशुओं की रक्षा के लिये, उनकी नस्ल को सुधारने के लिये और लोगों को दूध दही खिलाने के लिये लाना हो तो वह तो ऐसी जगह पर बैठे हुये हैं जहां पर बैठकर कोई चीज स्वप्न नहीं है। उधर के बैठने वालों के पास इतनी शक्ति है कि वे दुधारू गायों से, दुधारू भैंसों से दूध पैदा करा सकते हैं और गरीब आदमी को धनी बना सकते हैं और धनी को गरीब बना सकते हैं। जिस स्थान पर वे बैठे हुये हैं उस स्थान पर सब कुछ सम्भव है। यदि आप चाहते हैं कि दूध दही लोगों को खूब मिले, लोग नस्ल सुधारें तो आप अपनी पार्टी की मीटिंग में कोई ऐसा प्रस्ताव ले आइये। माननीय उद्योग मंत्री जी बैठे हुये हैं उनको समझाने की कोशिश करें, सिंचाई मंत्री जी तो पानी देते हैं दाम जरा ज्यादा लेते हैं यही शिकायत है। लेकिन उद्योग मंत्री जी तो सचमुच देश को हरा भरा बनाते हैं। माननीय बसन्तलाल जी उनके दरवाजे पर धरना दें तो शायद वे राजी हो जायं। अगर ऐसा हो तो सम्भव है कि हमारे देश में दूध घी की नदियां तो नहीं बह सकतीं लेकिन लोगों को खाने को मिल सकता है, लोगों को अन्न मिल सकता है, लेकिन यह तभी सम्भव है जब उनके सचमुच ऐसी परिस्थिति पैदा की जाय। आज तो सचमुच इस प्रदेश में ऐसे लोग हैं जो दूध दही तो छोड़ दीजिये, सत्तू के लिये झंखते हैं। इधर मेरठ के जिले में तो शायद सत्तू का नाम लिया जाय तो लोग न समझें लेकिन सत्तू अनाज को भुनाकर उसको पीस लेते हैं और उसमें नमक छोड़कर खा लेते हैं। तो बहुत

से जिले ऐसे हैं जो सत्तू के लिये भी तरसते हैं। मैं तो बसन्तलाल जी से कहना चाहता हूं कि हुजूरवाला जरा इस बात को सोचिये कि जो जेलखाने में कैदियों को आपने भोजन दिया है वही भोजन सूबे भर को दिला दिया जाय, दूध-दही की उसमें गुंजाइश नहीं है। दूध की जरूरत तो अस्पताल में जब लोग बीमार पड़ते हैं तब पड़ती है, लेकिन मैं सोचता हूं कि जेलखाने वाला भोजन साढ़े आठ छटांक रोटी और सबजी और थोड़ी सी दाल, कुछ तेल और मिर्च पड़ी हुयी, अगर इतना ही आप यू०पी० के ६ करोड़ ३२ लाख इंसानों को दिला दें तो मैं समझूंगा कि लोगों को दूध दहीं मिल गया और मैं तो माननीय सदस्य, बसन्तलाल जी को बधाई दूंगा और उनकी जयजयकार बोलूंगा। लेकिन मुझे क्षमा करेंगे माननीय बसन्तलाल जी, ये मेरे बड़े मित्र हैं लेकिन इस प्रस्ताव में समय गवाना बेकार समझता हूं। कोई प्रस्ताव ऐसा ले आवें जिसमें सचमुच लोगों के खाने-पीने की दिक्कत दूर हो, किसान के पास तो सचमुच जिस वक्त पैसा पहुंच जाता है, अध्यक्ष महोदय, वह बड़ा फैयाज हो जाता है, सब लोग उसके घर के खरीदना चाहते हैं। कुंअार का महीना जहां आया, फसल आयी, औरत अलग खरीदती हैं, पुरुष अलग खरीदता है, बच्चे अलग खरीदते हैं, सड़ा हुआ दही खरीद लेते हैं, सड़ी हुयी मछली भी खरीद लेते हैं। तो पहले तो उसकी हालत सुधरे, उसके घर में पैसा आवे, साल भर के उसके भोजन के लिये बन्दोबस्त हो जावे और जेलखानेवाला भोजन ही उसको मिल जावे तो फिर देखा जायगा। जेलखाने में तो डरवाने के लिये भेजा जाता है कि वह अपराध न करें, मैं बाहर वाले भोजन के लिये नहीं कहता हूं जेलखाने वाले भोजन दिलाने की व्यवस्था, वैसा एक प्रस्ताव उस तरफ से आना चाहिये फिर ऐसे प्रस्ताव पर सोचा जाय। लेकिन इसके अलावा इस प्रस्ताव से जो कुछ भी उद्देश्य माननीय बसन्तलाल जी का है वह पूरा नहीं होता, कुछ बंधन डालता है। जिन गाय-भैंसों को बेच कर किसान गुजरा करता है उसका भाव यह प्रस्ताव कम करता है। पशु बाहर नहीं गये तो उनकी कीमत गिरेगी और जिनकी भलाई के लिये आप यह कानून बनाना चाहते हैं उनको नुकसान होगा। इसलिये मेरे आग्रह पर, मेरी बातों पर जरूर वह इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

*श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी --जनाब वाला, मोहतरिम स्पीकर साहब, मुझे अफसोस है कि मैं अपने भाई अपोजीशन के लीडर की राय से मुत्तफिक नहीं हो सका। मैंने बड़े गौर से उनकी दलीलें सुनीं, लेकिन मैं समझता हूं कि जितनी अक्ल, जितनी समझ और दूर तक समझ के साथ यह तजवीज आपके सामने रक्खी गयी है जनाब वाला, वह हमारे सूबे के लिये बेइन्तहा मुफीद है। अगर कानून इस आधार पर बनता है जिस उसूल पर हमारे मित्र गेंदा सिंह साहब चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि उन्होंने कानून के दूसरे नुक्तेनजर पर गौर नहीं फरमाया। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है अगर ऐसा कानून बना तो बाहर से जानवर आने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप खुद गौर फरमाइये कि अगर अभी से दूसरे सूबे वाले कोई रिजोल्यूशन पास करते हैं, कानून बनाते हैं कि हमारे सूबे के अन्दर जानवर न आयें तो अभी तो खयाल भी नहीं होगा, लेकिन हमारे हिज्ब मुखालिफ के लीडर खयाल दिला रहे हैं कि वे अपने यहां अपने सूबे में इस किस्म का कानून बनायें। मेरे खयाल में इसको सयासी बसीरत के साथ, समझ के साथ देखना चाहिये। मैं एक और नुक्तेनजर से भी इसको देखता हूं। अभी-अभी गोवध निवारण बिल आपके यहां से पास हो चुका है और ऐसी सूरत में जबकि कानून बड़ी खतरनाक सूरत में पास हुआ है और बराबर गाय, बैल व भैंस अच्छी नस्ल के खसूसियत के साथ दूसरे देशों और प्रदेशों में जाना तय कर लिया गया तो इसमें वे लोग भी जो जानवर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वे भी ले जा सकेंगे और उनके हाथ ले जा कर बेचेंगे जिनको अब तक बेचते रहे हैं और जिनसे हम उनको बचाना चाहते हैं। ऐसी सूरत में जब गाय बैल का यहां से भेजना बन्द कर दिया जायगा तो जिनको गलत मौका मिलता था उस मौके को भी हम इसके जरिये बन्द कर रहे हैं। इससे हम जानवर ही नहीं आदमियों की भी हिफाजत कर रहे हैं। हम बीसियों मर्तबा देख चुके हैं कि जुर्म करने वाला कभी नहीं पकड़ा जाता है और जुर्म न करने वाला ही पकड़ा जाता है। जहां तक दूध-दही का ताल्लुक है वह मसला भी इससे हल होगा। यकीनन जो कानून आ रहा है और जिन जज्बात का इजहार किया गया उससे हमारे सूबे में इतना असर पड़ेगा कि हमारे किसान पूरी ताकत के साथ, पूरी आवाज के साथ चारा बहम पहुंचायेंगे, जमीन बहम पहुंचायेंगे चारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

के लिये और उनको पालेंगे जिससे काफी मिकदार में दूध दही मुहइया होगा। जानवरों को ज्यादा से ज्यादा मुफीद बनाया जाय, उनकी नस्लों को सुधारा जाय और जहां तक कीमत का सवाल है हम चाहते हैं कि मुफीद और कारामद जानवर कम से कम कीमत में हमारे सूबे में मिलें लेकिन हमारे गेंदासिंह जी उनको ज्यादा कीमत पर बाहर भेजना चाहते हैं। इसके मानी यह हैं कि वे हमारे उस किसानों के तबके को जो गरीब है, जो कीमतें ज्यादा नहीं दे सकता, उसको यह आसानी बहम नहीं पहुंचाना चाहते। जब जानवर ज्यादा होंगे और बाहर न जायेंगे और इतने बड़े सूबे में जो सारे देश के तमाम सूबों से सबसे बड़ा है और जहां बहुत बड़ी आबादी है वहां बड़ी तादाद में जानवरों को पाल कर अगर दूध दहीं की नहर न बहा सके तो दूसरों के लिये दुश्वार हो जायगा कि वह दूध दही की नहरें बहा सकें। जहां तक हमारे दोस्त ने हवाला दिया है, हमारे आनरेबिल मिनिस्टर का यह जाहिर है कि अभी तक शायरी की जबान में हम इस काबिल नहीं हो सके हैं कि दूध की नहरें बहा सकें। अभी पानी की नहरें बहा रहे हैं। लेकिन हम यह चाहते हैं कि पानी कि जितनी नहरें निकलती हैं उनके साथ साथ हम दूध की भी नहरें बहायें। जहां तक आप का ताल्लुक है, जिस जिले से आप तशरीफ ला रहे हैं वहां इंसानों के लिये कुछ न कुछ दिक्कत पड़ी हो, लेकिन इतनी काफी जमीन है और जानवर इतने काफी हैं वहां ऊसर जमीन और जंगल हैं, ऐसी जमीन जिस पर गल्ला वगैरह नहीं हो सकता, लेकिन गाय बैल और भैंस के लिये कुछ मिल सकता है। इसलिये आपको तो इसको वेलकम करना चाहिये। हमारे ख्याल में बसन्तलाल जी ने बहुत समझ कर इस तजवीज को आपके सामने पेश किया है और मैं जिस वक्त हमारे दोस्त खड़े हुये थे उनकी तरफ देख रहा था और यह समझता था कि आखिर में कहते कहते फिर वह इस बात पर आ जायेंगे कि कुछ तो जानवरों को यहां रखना ही चाहिये, कुछ प्रतिबन्ध लगाना चाहिये, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमारी बदकिस्मती थी, उनकी तवज्जह उधर नहीं गयी। हम चाहते थे कि वह हमारे साथ इस मामले में होते। कोई जरूरी नहीं है कि हम सारी चीजों में उनको साथ ले सकें। लेकिन यह ऐसा मसला था जिसमें हमें उम्मीद थी कि अपोजीशन के लीडर अपनी पूरी ताकत के साथ हमारे साथ होंगे।

जहां तक कानूनी दिक्कतों का सवाल है उसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दीजिये। बहुत सी चीजों को बाहर भेजना और बाहर से मंगाना, इसके ऊपर कैद करने का अख्तियार सेंट्रल गवर्नमेंट को हासिल है कि किसी चीज को बाहर भेजने की इजाजत दे, या रोक दे, ठीक है। लेकिन जब आप एक मुफीद पहलू लायेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट से कहेंगे तो हम को कम से कम इसमें कोई दिक्कत न पड़ेगी। हम हमेशा चाहते रहे कि हिसार से गाय भैंसें आयें, पंजाब से गाय भैंसें आयें। पंजाब के अब दो टुकड़े होगये। एक टुकड़ा पाकिस्तान में जा चुका है। हमें वहां से जानवर नहीं मिल सकते। तो फिर इतने छोटे से हिस्से से कितने जानवर मंगा लेंगे, अगर हम अपने सूबे से बाहर इन जानवरों को जाने देंगे तो वह खतरे की चीज होगी, रास्ते में अलग खतरा है। फिर दूध दही में कमी होगी और फिर इस सूबे में जहां दूध दही की ज्यादा जरूरत है और दस्तियाब कम हो रहा है, अगर जानवर चले जायेंगे और उनकी कमी होगी, तो खुदा खुदा करके, मैं वजारत के जो लोग हैं जो हमारे मुहतरम हैं उनसे डरता रहा हूं। जरा सा भी गल्ला सस्ता हुआ और उन्होंने पाबन्दी लगानी शुरू कर दी। किसी न किसी तरह से गल्ले को मंहगा करके तब दम लेते हैं। फिर जरा सा जब मौका मिला है, कुछ दूध घी की बनी हुयी चीजें कुछ थोड़ी सी सस्ती हुयी हैं तो इस तजवीज को वेलकम कीजिये। कुछ सस्ता हो, यह सब चीजें जो हमारी तन्दुरुस्ती के लिये निहायत जरूरी हैं वह कहां दस्तियाब हो रही हैं, और जो कुछ दस्तियाब भी हो रही हैं उसमें भी इस तरह से रोड़ा अटके और हम कुछ न कर सकें तो यह हमारे सूबे के लिये नुकसान का वायस होगा। जहां तक इस रेजोल्यूशन का ताल्लुक है मैं अपने मुहतरम भाई से जो अपोजीशन में बैठे हुये हैं, बड़े अदब के साथ फिर अर्ज करूंगा कि अभी दस मिनट बाकी हैं। इस दौरान में जिस वक्त इसके मुताल्लिक राय मांगी जाय तो अपनी राय तब्दील कर दें, तो बड़ी मसर्रत होगी। एक मौका दीजिये मेहनत करने का, जानवरों को पालने का मौका दीजिये, जानवरों को कसरत से पैदा करने का मौका दीजिये। फिर आप के हाथ में कानून है रोज जिस तरह से चाहें तरमीम करें। या अगर कोई चीज मुजिर

पड़े तो तरमीम कर दीजियेगा। अभी तो एक तजवीज की जा रही है कि गवर्नमेंट ऐसा कानून बनाये। जो कोई बिल हमारे सामने आयेगा तो उसको देख लेंगे और अच्छाई-बुराई पर गौर कर लेंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि हमारी ख्वाहिश सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी पहुंचनी चाहिये, बजारत तक भी पहुंचनी चाहिए और हमारी इस ख्वाहिश का सूबे की हुकूमत अहतराम करेगी और जल्द से जल्द सूबे की सरहदों पर ऐसे अहकमा भेजने चाहिये जिससे जानवर निकल कर दूसरे सूबों में न जायं। नस्ल के बढ़ाने के लिये एक आध जानवर खसूसियत के साथ अगर डिपार्टमेंटल तौर पर मांगा जायगा तो भेज देंगे। या अगर सांड़ों को मंगाने की जरूरत पड़े तो मंगा लेंगे या कुछ सांड़ भेज देंगे। लेकिन आमतौर पर जाने का सवाल है, आने का सवाल नहीं है। आने पर कोई रोक हमें नहीं लगानी चाहिये कि अगर बाहर से कोई अच्छे नस्ल का जानवर दूध देने वाला आये तो उसको भी हम सरहद पर रोक दें। तो अगर अच्छे के साथ बुरा जानवर भी आयेगा तो हम उसका बोझ बरदास्त करेंगे, जैसे हम मुखालिफों का बोझ बरदाश्त करते हैं उसी तरह से हम उन अनइकोनामिक जानवरों का भी बोझ बरदाश्त करेंगे। लेकिन हमारी जो भावना यहां जाहिर की गयी है उसका तकाजा यह है कि हम उनको भी पालें। आप चाहते हैं कि सारी आसानी हमारे लिये हो और दिक्कतें दूसरों के पास चली जायं, लेकिन हम जानवरों के लिये भी सारी अच्छी-अच्छी बात मानने को नहीं तैयार हैं, उनमें अगर खराब जानवर आ जाते हैं तो उनको हम सम्हालेंगे, उनको मिल-जुल कर पालेंगे, अगर हम उनका बोझ नहीं उठाते तो हम इंसानियत से गिरते हैं और वह मकसद जिसके लिये चारों तरफ आवाज की जाती है उसमें कमी आती है। इसलिये मैं अपने भाई बसन्तलाल जी की तजवीज की ताईद करता हूं।

श्री रणंजयसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस संकल्प में जो श्री बसन्तलाल जी शर्मा ने पेश किया है निम्नलिखित संशोधन रखना चाहता हूं।

संकल्प की पंक्ति १ में से शब्द "आजकल" निकाल दिया जाय, पंक्ति २ में शब्द "कमी" तथा शब्द "है" के बीच में शब्द "हो गयी" रख दिये जायं;

पंक्ति ३ में शब्द "पर्याप्त" के स्थान पर शब्द "बहुत" रख दिया जाय और शब्द "पहुंचती" के स्थान पर शब्द "पहुंच रही" रख दिये जायं और पंक्ति ६ में शब्द "का" तथा शब्द "निर्यात" के बीच में शब्द "भी वध एवं" रख दिये जायं।

श्रीमान् जी, इस विषय पर माननीय बसन्तलाल शर्मा जी ने बहुत कुछ प्रकाश डाला है और मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। जो प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया है इसमें कोई संदेह नहीं कि आजकल जैसा इसमें लिखा है ....।

श्री अध्यक्ष—आखिरी जो संशोधन है आपका यह इसके दायरे के बाहर जाता है। आप "वध" मिला रहे हैं उसमें तो यह "वध" के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं, क्योंकि उसके सम्बन्ध में एक विधेयक में बहस हो चुकी। यह केवल बाहर जाने के सम्बन्ध में रोकने के लिये है, तो आप इसका दायरा बहुत विस्तृत कर रहे हैं। आप इस तरह नहीं लिख सकते। जो विधेयक में आप न कर पाये हों वह एक संशोधन के द्वारा आप अपना स्वतंत्र प्रस्ताव न लाकर और जो प्रस्ताव केवल निर्यात के लिये है उसमें "वध" का भी प्रश्न घुसा दें, मैं इसको अवैधानिक करार देता हूं। आप अपना सातवें नम्बर का संशोधन पेश न करें।

श्री रणंजयसिंह—मैं इसको माने लेता हूं। तो यह शब्द जो है, यों तो आजकल जान पड़ता है कि बहुत थोड़े दिनों से कोई बात चल पड़ी है और मेरा अभिप्राय यह है कि बहुत दिन हो गये हैं कि घी और दूध की कमी होती चली जा रही है और यहां कृषि योग्य पशुओं की कमी हो गई है, पहले पर्याप्त संख्या में हमारे यहां ऐसे पशु थे कि हमको घी-दूध अच्छी मात्रा में मिला करता था। पर इधर कुछ ऐसी बातें हुयीं। जिनके कारण अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं पर यह मानी हुई बात है कि कमी हुयी है और कुछ अधिक दिनों से कमी चली आ रही है और इस तरह मैं शब्द "आजकल" की आवश्यकता नहीं समझता।

[श्री रणंजयसिंह]

दूसरी बात यह है कि जैसा इसमें बीच में शब्द "है और होती जा रही है" तो यहां पर "हो रही" शब्द रखने के लिये निवेदन किया ।

"पर्याप्त" शब्द के सम्बन्धमें निवेदन करना है, आशा है कि संकल्पकर्ता महोदय मान जायेंगे । "पर्याप्त" शब्द का प्रयोग अच्छी बातों के लिये हुआ करता है और इसके अतिरिक्त "पर्याप्त" शब्द जो है यह "गीता" में भी है जहां टीकाकारों ने इसके अनेक प्रकार के अर्थ किये हैं और उन अर्थों पर विचार करने के लिये कुछ समय चाहिये । तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसे आज्ञा शब्द है, आज्ञा जो है हमें इस बात की आज्ञा है, किसी अच्छी बात की आज्ञा होती है, कहीं आग लगने की सम्भावना हो, उसके लिये आज्ञा का प्रयोग नहीं होगा, अच्छे काम के लिये ही आज्ञा शब्द का प्रयोग किया जाता है । इसी तरह पर्याप्त शब्द के स्थान पर "बहुत" शब्द उचित है । अब "पहुंचती है" के स्थान पर मैंने "बहुत बाधा पहुंच रही है" रखा है क्योंकि पर्याप्त बाधा जो है उसकी सीमा बन जाती है कि इतनी बाधा यहां पहुंच रही है और बाधा दूर हो जायगी । लेकिन बहुत बाधा पहुंचा रही है और बढ़ सकेगी और कहीं यदि इसका ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत बढ़ती चली जायगी । तो यह मतलब हो जाते "बहुत और" पहुंच रही "है" शब्दों के रख देने से प्रस्ताव का भाव बहुत सुन्दर है और मुझे आश्चर्य हुआ है कि गोवध निवारण विधेयक के ऊपर कैसे-कैसे भाषण हुये, लेकिन आज विरोध हो रहा है, मैं क्या कहूं ? प्रस्तावक का जो संकल्प है वह तो स्पष्ट बतला रहा है कि आज हमें कृषि योग्य पशुओं की आवश्यकता है और यह आवश्यकता है कि अच्छी नस्ल के पशु रखे जायं । उनका निर्यात बन्द किया जाय जिससे उनकी संख्या में वृद्धि हो और जब उनकी संख्या में वृद्धि होगी और अच्छी नस्ल के पशु होंगे तो हम अधिक अन्न उपजा सकेंगे और उसके द्वारा हम शुद्ध खाद्य पदार्थ भी प्राप्त कर सकेंगे । तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके लिये मैं समझता हूं कि यहां पर जो इसका विरोध किया गया, उसको देख कर आश्चर्य ही होता है और नहीं तो यह संकल्प बहुत अच्छा है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, कोरम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप आप समाप्त करना चाहते हैं ?

श्री रणंजयसिंह—कुछ थोड़ा ही निवेदन करना है ।

श्री अध्यक्ष—तो आप अगले दिन अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री रणंजयसिंह—जी हां, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष—तो अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, २६ सितम्बर, १९५५ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ;
२३ सितम्बर, १९५५ ।

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३९ पर)

विद्यालय का नाम	सहायता की रकम
हायर सेकेंडरी स्कूल	
	रु०
१—शिबली हायर सेकेंडरी स्कूल, आजमगढ़ ..	१३५
२—सुखनन्दन हायर सेकेंडरी स्कूल, मोहम्मदपुर मठ ..	१५०
३—विक्टरी हायर सेकेंडरी स्कूल, दोहरीघाट	११०
४—महराजगंज हायर सेकेंडरी स्कूल, महाराज गंज ..	१००
५—जनता हायर सेकेंडरी स्कूल, अहिरौला	२००
६—पी०एस० हायर सेकेंडरी स्कूल, अतरौलिया ..	७५
७—शंकर जी हायर सेकेंडरी स्कूल, डीहा	३५०
८—नैशनल अदरी हायर सेकेंडरी स्कूल, इंदारा	४२५
९—बापू हायर सेकेंडरी स्कूल, कोपागंज	३५०
१०—शहीद हायर सेकेंडरी स्कूल, मधुबन	४५०
११—पंचायत हायर सेकेंडरी स्कूल, गौरा मेहनगर ..	४००
योग	२,७४५

जूनियर हाई स्कूल

				रु०
१	जूनियर हाई स्कूल	चुंडेसर ..	..	७०
२	,,	रैंडा ..	..	६०
३	,,	बीबीपुर काबिम	..	४४
४	,,	कप्तानगंज ..	..	७५
५	,,	कमहारिया ..	..	९०
६	,,	मय खरगपुर	..	६६
७	,,	बरदह ..	..	९०
८	,,	वालिदपुर ..	..	२००
९	,,	कुरथी जोफरपुर	..	७५
१०	,,	अतर सावां ..	..	५०
११	,,	मोहम्मदपुर सागरी	..	१७०
१२	,,	नरसिंहपुर ..	..	४५
१३	,,	नदवा सराय ..	..	१३०
१४	,,	ठैकम बिजौली	..	१५०
			योग	१,३१५

संस्कृत पाठशाला

				रु०
१—संस्कृत पाठशाला	जिन्दापुर ..	..		४०
			योग ..	४,१००

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४३ पर)

अस्पृश्यता निवारक ऐक्ट के मुताबिक जनवरी, १९५३ ई० लगायत दिसम्बर, ३१ १९५४ ई० तक निम्नांकित केस चलाये गये ।

जिला का नाम	केसों की संख्या
१— देवरिया	१
२—इटावा	२
३—बदायूं	१
४—गढ़ाल	१
५—इलाहाबाद	१
६—आगरा	२
७—अलीगढ़	४
८—मथुरा	१
९—बरेली	६
१०—हमीरपुर	५
११—झांसी	५
१२—शाहजहांपुर	शून्य
१३—बनारस	२
१४—बुलन्दशहर	१
१५—लखनऊ	१

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १०२ एल० ए०—१९५५—७९६

विधान सभा सचिवालय